खण्ड-142, अंक-1
सोमवार, 5 आश्विन, शक संवत् 1876
(27 सितम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 142 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २७ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलसिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयाल शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य , श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
(प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
(बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खातो, श्री
भगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नालाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फारूरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री

रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां , श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर यादव, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

देहात में शिक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश

**१--श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहात में जहां-जहां अपर प्राइमरी पाठशालायें हैं वहां तथा उनके चारों ओर या डेढ़ मील के घेरे में जो गांव हैं उनके बालक-बालिकाओं की शिक्षा वह अनिवार्य कर देने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--जी नहीं।

श्री गंगाधर शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी वह अनिवार्य शिक्षा करने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--अभी निकट भविष्य में यह संभव नहीं हो सकता।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बतायेगी कि यदि अनिवार्य शिक्षा कर दी जाय तो सरकार का कितना खर्चा होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जैसा मैंने जवाब दिया अभी इसका अनुमान भी नहीं किया गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार उन कारणों को बताने की कृपा करेगी जिनकी वजह से कि शिक्षा अनिवार्य करने पर विचार भी नहीं किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--धनाभाव।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्हें कैसे यह मालूम हुआ जब कि उन्होंने अनुमान ही नहीं लगाया कि शिक्षा पर कितना रुपया लगेगा ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह विवाद है।

सीमेंट से कंट्रोल हटाने का प्रस्ताव

**२--श्री गंगाधर शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार सीमेंट पर से कन्ट्रोल उठा लेने का विचार कर रही है ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---सीमेंट का नियंत्रण केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होता है। सम्प्रति इस नियंत्रण के हटाने का विचार नहीं है ।

श्री गंगाधर शर्मा---क्या सरकार कंट्रोल के दुरुपयोग से जो परिणाम निकले हैं उनके आधार पर वह सेंट्रल गवर्नमेंट को यह लिखने का विचार रखती है कि सीमेंट पर से कंट्रोल हटा लिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कंट्रोल तो जैसे-जैसे आवश्यकता प्रतीत होती है हटा ही रहे हैं। जैसे जैसे चीजें अधिक मात्रा में उपलब्ध होती जा रही हैं कंट्रोल हटाये जा रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या हमारे प्रदेश को इतना सीमेंट मिल गया है जो उसकी जरूरत भर के लिये पूरा है, इसलिये कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो सीमेंट मिर्जापुर फैक्ट्री द्वारा बनाया जा रहा है वह सेंट्रल पूल का हिस्सा रहेगा। केन्द्रीय सरकार ने जो अलाटमेंट अक्तूबर मास का किया है वह १८ हजार टन प्रति माह है परन्तु उन्होंने जो हमको अलाट किया है वह केवल साढ़े सात हजार टन है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सीमेंट हम अधिक मात्रा में पैदा करेंगे वह सेंट्रल पूल का हिस्सा बनेगा और सेंट्रल पूल में से जितना हिस्सा हमें मिल सकता है वही हमें मिलेगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या यह सही है कि किसी कम्पनी का सीमेंट अब भी बिना कंट्रोल के मिलता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हां, दक्खिन की कई कम्पनियां हैं जिनका सीमेंट हम यहां मंगाते हैं और जिनकी अधिक कीमत है, जहां तक कि उनके वितरण का सम्बन्ध है उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार उसके दामों पर कंट्रोल रखने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उसके दामों पर तो नियन्त्रण है परन्तु आने जाने और लाने में जो खर्च अधिक पड़ता है उस कारण से उसका दाम अधिक बढ़ जाता है और उस पर कोई प्रतिबन्ध सरकार लगाना नहीं चाहती और न लगा सकती है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कितने टन सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो अनुमानित आंकड़े हैं वे तो ४० हजार टन प्रतिमास से अधिक के हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---सीमेंट के नियंत्रण के सम्बन्ध में क्या प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उसके मेन कंटेंट्स क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मौजूदा हालत में तो प्रदेशीय सरकार ने कोई पत्र नहीं लिखा है क्योंकि प्रदेशीय सरकार को इस बात का अहसास है कि जितनी मात्रा में सीमेंट की प्रदेश को आवश्यकता है उतनी मात्रा में हमारे प्रदेश को और यहां की जनता को सीमेंट उपलब्ध नहीं है।

तारांकित प्रश्न

जिला आजमगढ़ के बरोहा तथा देवारा मोलनापुर के बाढ़-पीड़ितों के दुबारी तथा गाजियापुर की ऊंची भूमि के लिये आवेदन

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास जिला आजमगढ़, तहसील घोसी के अन्तर्गत देवारा, मौलनापुर और बरोहा के बाढ़-पीड़ित किसानों का आवेदन-पत्र ऊंची भूमि पर बसने के लिये क्रमशः दुबारी और गाजियापुर के लिये आये थे ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—केवल बरोहा के कुछ निवासियों का प्रार्थना पत्र ग्राम गाजियापुर में बसने के लिये श्री रामसुन्दर पांडेय जी द्वारा मुझे मिला था। ग्राम बरोहा तथा देवारा मौलनापुर के निवासियों ने अपना प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को दिया था।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रार्थियों ने जो प्लाट्स मांगे थे उनमें बाग लगे हैं। बागदार उन जमीनों को देना नहीं चाहते थे। सरकार ने प्रार्थियों को ग्राम मौलनापुर का कुछ क्षेत्र जो कि ऊंचाई तथा प्रार्थियों के खेतों के पड़ोस में स्थित है दिया है। प्रार्थियों में से कुछ उक्त भूमि पर बस गये हैं परन्तु कुछ वहां बसने को राजी नहीं हुये हैं।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम दुबारी और गजियापुर में जिस भूमि की मांग की गई है, वह परती पड़ी हुई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—दुबारी की जमीन पूर्ण रूपेण बाग है जिसमें सैकड़ों पेड़ हैं और गाजियापुर की जमीन में कम।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बरोहा और मोलनापुर ग्राम के निवासियों ने सरकार के पास और जिलाधीश के पास कब दरख्वास्त दी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सरकार को तो ७ सितम्बर, सन् १९५३ को और २० फरवरी, १९५४ को दी है। जिलाधीश के पास की दरख्वारत की तारीख की कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बागदार हैं वे कहां के निवासी हैं और कितने हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बागदार का नाम तो लिखा है, कहां के निवासी हैं यह इसमें नहीं है। अगर नाम चाहें तो मैं बतला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि गाजियापुर में जो बाग है उस प्लाट में एक भी पेड़ नहीं है और दुबारी में जो बाग है उसमें शीशम के पेड़ हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जो इत्तिला जवाब में दी है माननीय मित्र को, वह सही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि मोलनापुर के निवासियों को बसने के लिये जो जमीन दी गई है वह नीची है और कटाव से कट रही है ?

श्री चरण सिंह---मैंने कल अखबार में इन गांवों की बाबत एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि कुछ कटाव है। आजकल की बाबत तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन जो डिट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट मेरे पास इस सवाल के जवाब में आयी है और माननीय मित्र ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसका जो जवाब आया है उससे मालूम होता है कि उस वक्त वह जमीन ऊंची थी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिस जमीन को किसानों को बसने के लिये दिया गया है वह बाग की जमीन है या परती जमीन है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---वह परती जमीन है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या जो लोग इसमें बसाये गये हैं वह ऐसी जमीन चाहते हैं जो ऊंची हो, और उपलब्ध हो और दी जा सकती है तो क्या सरकार उसको दिलाने का बन्दोबस्त करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जो उपलब्ध थी उसी में बसाये गये थे और जो बाग की जमीन है जिसके बारे में श्री रामसुन्दर जी ने कहा कि वह दी जाय, तो बागदार उसके लिये तैयार नहीं हैं और जो खाली परती जमीन है उसी पर कुछ लोग बसे हैं और अगर और लोग बसना चाहते हैं तो उसी पर बस सकते हैं।

जौनपुर जिले में मुख्य मंत्री द्वारा बाढ़-पीड़ितों को रुपये का वितरण

*४---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला में जो २ १/२ हजार रुपया गत बाढ़ के पीड़ितों को मुख्य मंत्री द्वारा प्राप्त हुआ था उसका वितरण किस प्रकार किया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---मुख्य मंत्री जी ने अपनी व्यक्तिगत निधि से जो धन जौनपुर जिले के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये दिया था उसका वितरण जौनपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सभापति ने विधान सभा के स्थानीय सदस्यों द्वारा किया था।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार जिनको रुपया दिया गया है उनके नाम बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, क्योंकि जो रुपया दिया गया है वह गवर्नमेंट का नहीं था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रुपया माननीय मुख्य मंत्री को कब दिया गया था और कब बांटा गया ?

श्री चरण सिंह---गवर्नमेंट इस तफसील में जाना जरूरी नहीं समझती क्योंकि वह रुपया गवर्नमेंट फंड नहीं था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---मैं श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी जैसा यहां पर बतलाया गया है कि यह रुपया जो बांटा गया वह चीफ मिनिस्टर के पर्सनल फंड का था और सरकारी फंड का नहीं था। तो मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस तरह के प्रश्न पर यहां पर सवाल के जवाब देने की चर्चा हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष---अगर उन्होंने कोई इसका उत्तर न दिया होता तो ऐसा हो सकता था। अब जितना जवाब इसमें आ गया है उसके ऊपर प्रश्न हो ही सकता है। बाकी हिस्से

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ४ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

के लिये उन्होंने कह दिया कि उसका जवाब देना सरकार उचित नहीं समझती। जितना जवाब उन्होंने दिया है उतना ही जवाब देना वह उचित समझते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि यह रुपया सन् १९५३ ई में दिया गया था और उसका वितरण सन् १९५४ में हुआ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर वह दे चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री का रिलीफ फंड का रुपया उनका व्यक्तिगत फंड है या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का भी हिस्सा है?

श्री चरण सिंह—मैं समझता हूं कि इसका सही जवाब तो माननीय मुख्य मंत्री ही दे सकते हैं लेकिन उसमें लोग इसी प्रकार से रुपया देते हैं जैसा कि उस दिन मेरे सामने एक आदमी ने ५० रुपया दिया कि मैं आप के रिलीफ फंड में यह रुपया देता हूं। वह कुल रुपया इसी प्रकार का है। लेकिन नेशनल रिलीफ फंड का उसमें कोई हिस्सा है या नहीं यह मुझे मालूम नहीं है।

नैनीताल जिले की चौगढ़, विस्जूला आदि पट्टियों में ओला-वृष्टि से हानि तथा सरकारी सहायता

*५--श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना मिली है कि गत तारीख ३१ मार्च, १९५४ के लगभग नैनीताल जिले की चौगढ़, विस्जूला आदि पट्टियों में विनाशकारी ओलावृष्टि हुई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—३१ मार्च, १९५४ को ओला पड़ने के कारण नैनीताल तहसील की पट्टी मल्लीरी और चौगढ़ के जिन गांवों में फसल को अधिक क्षति पहुंची उनकी संख्या केवल १३ है।

*६--श्री नारायण दत्त तिवारी—अगर हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि किन-किन गांवों में कितना नुकसान हुआ है और सरकार इस सम्बन्ध में उन गांवों को क्या-क्या सहायता देने जा रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ऐसे क्षतिग्रस्त ग्रामों की सूची हानि के विवरण सहित संलग्न है। सरकार ने ८,८०० रु० तकावी ऋण के रूप में पीड़ित जनता को सहायतार्थ दी तथा मालगुजारी में छूट देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५ पर।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इन गांवों के लिये सरकार ने १८,००० रुपया तकावी मंजूर की थी लेकिन उसमें से केवल ८,८०० रुपया का वितरण हुआ है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह सही है कि १८,१५० रुपया तकावी का मंजूर हुआ था और केवल ८,८०० रुपया जनता ने लिया जितनी उसकी मांग थी, अगर और तकावी की मांग होती तो रुपया तो सरकार के पास था ही उसी में से और दे दिया जाता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसे लोगों को जिनकी १६ आना फसल नष्ट हो गई है तकावी ऋण देने के सम्बन्ध में सरकार कोई संशोधन करने का विचार रखती है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

श्री गेंदा सिंह—जिस बाढ़ के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है वह पिछले वर्ष की बाढ़ है या इस वर्ष की बाढ़ है ?

श्री चरण सिंह—बाढ़ का कोई जवाब नहीं दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या जिन दस गांवों में १६ आना फसल खत्म हुई है उनकी हालत देखते हुये मंत्री जी कोई टेस्ट वर्क खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—हर जगह टेस्ट वर्क नहीं खोले जाते और खोलने की जरूरत नहीं है केवल इस कारण से कि १६ आना नुक्सान हुआ है।

*७—श्री बाबूनन्दन—[स्थगित किया गया।]

गर्जरिया पोल्ट्री फार्म में चारे का प्रबन्ध तथा फार्म का आय-व्यय

*८—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गजरिया सरकारी फार्म में मवेशियों के चारे का क्या प्रबंध किया गया है और सरकार ने १९५३-५४ में कितने रुपये का चारा बाहर से खरीदा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मवेशियों के लिये चारा फार्म पर पैदा किया जाता है। पहिला ही वर्ष होने से और सिंचाई का पूरा प्रबन्ध न होने से बाहर से भी चारा खरीदने की आवश्यकता हुई है।

सन् १९५३-५४ में ५२,८१५ रुपये १२ आने ३ पाई का चारा बाहर से खरीदा गया।

*९—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सरकारी गजरिया पोलट्री फार्म पर १९५३-५४ में कितना खर्च हुआ और कितनी आमदनी हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—आमदनी १६,००० रु० ० आ० ९ पाई, खर्च ४५,००३ रु० १५ आ० ६पाई।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस गजरिया फार्म में जो मवेशी इस वक्त हैं उससे पहले यहां पर चारे का क्या इंतजाम किया गया था ?

श्री चरण सिंह—चारा खरीदा जाता था।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गजरिया फार्म में इस वक्त कितने मवेशी हैं और कितने एकड़ चारे का बन्दोबस्त किया गया है ?

श्री चरण सिंह—इस के लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह फार्म कब से जारी है और इस पर चारा बोने का बन्दोबस्त कब से शुरू हुआ है ?

श्री चरण सिंह—यह फार्म कोई तीन चार साल से चल रहा है लेकिन उस की बहुत सी जमीन काफी खराब हो गयी है। बहुत सी ऐसी जमीन थी जिस में खेती होती थी वह गोमती से खराब होती है और उसकी फर्टिलिटी बहुत कमजोर है, वह पूअर क्वालिटी की जमीन है। इस जमीन के किसी हिस्से में सिंचाई का भी प्रबंध नहीं है और जो कुछ किया गया है वह भी नाकाफी है। इसलिये उस का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सकता है जब तक कि इर्रीगेशन फेसिलिटी न बढ़ाई जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय–(जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो चारा उन्होंने बाहर से मंगाया है, यह कहां से मंगाया है, किस प्रदेश से ?

श्री चरण सिंह—पहाड़ी प्रदेशों को छोड़ कर बाकी प्रदेश के सब हिस्सों से ।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस फार्म में जो ४५ हजार का खर्चा और १६ हजार की आमदनी हुई, तो इतना बड़ा घाटा सरकार क्यों सह रही है ?

श्री चरण सिंह—यह घाटा नहीं है । मुर्गियां ३/४ दामों पर दी जाती हैं सब्सिडी पर, इसलिये उसकी आमदनी कम दिखाई देती है । नहीं तो आमदनी खर्च से ज्यादा है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ४५ हजार रुपये का खर्च हुआ है उसमें कोई ऐसा खर्च भी शामिल है जो मुर्गियों के खरीदने पर या बाड़े बनवाने पर हुआ हो ?

श्री चरण सिंह—खर्च की तफसील मुझे नहीं मिली ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि पहाड़ के नीचे जो तराई है उसमें लाखों मन घास बेकार जा रही है जिसका सरकार कोई उपयोग नहीं कर रही है ?

श्री चरण सिंह—कहां-कहां घास बेकार जा रही है इस सवाल से, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे दरख्वास्त करूंगा, कि कोई वास्ता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आपने पहाड़ों का जिक्र किया था इसलिये यह सवाल आ गया ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गेंदा सिंह—मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या यह फार्म केवल मुर्गियों का है और अगर केवल मुर्गियों का फार्म है तो यह चारा किस के लिये मंगाया गया था ।

श्री चरण सिंह—यदि माननीय सदस्य सवाल पढ़ने की कृपा करेंगे तो मालूम होगा की पोलट्री फार्म भी है और मवेशियों का फार्म भी है । उन्हीं के लिये चारे की व्यवस्था की गयी थी ।

श्री गेंदा सिंह—यह जो घाटा ४५ हजार और १६ हजार के बीच का है वह किस वजह से है और किस मद पर ज्यादा खर्च हुआ कि जिसकी वजह से यह हुआ ?

श्री अध्यक्ष—वह घाटा तो इन्कार करते हैं और इसलिये आपका सवाल नहीं उठता ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह जो दोनों फार्म चल रहे हैं, मवेशियों का और मुर्गियों का, इन पर एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च सालाना कितना होता है ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

जिला हमीरपुर की हुसेना तथा बगरौन ग्राम समाजों की परती भूमि के लिये हरिजनों व भूमिहीनों की प्रार्थनाएं

*१०–श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ग्राम समाज हुसेना तहसील मौदहा और ग्राम समाज बगरौन, तहसील बरखारी (जिला हमीरपुर), में कितनी जमीन परती पड़ी हुयी है जो ग्राम समाजों के प्रबन्ध में दी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ग्राम समाज हुसेना व ग्राम समाज बगरौन के पास क्रमशः ३०४.९१ एकड़ व २२० एकड़ परती भूमि है।

*११—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि इन दोनों ग्राम समाजों के हरिजनों व भूमिहीन मजदूरों ने क्रमशः लगभग ३—८—५४ और २४—७—५४ को संबंधित प्रधानों व परगनाधीशों को जमीन के पट्टे करने के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—ग्राम समाज बगरौन के प्रधान को छोड़कर अन्य अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये परन्तु चूंकि यह भूमि गांव की कुल जमीन के १० प्रतिशत या उससे कम होने के कारण जलाने की लकड़ी के पेड़ लगाने, फल के बाग लगाने, चरागाह और खाद के गड्ढे आदि बनाने के लिये सुरक्षित थी, इसलिये पट्टे पर नहीं उठायी गयी।

*१२—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि इन दोनों ग्राम समाजों की परती भूमि को वहां के भूतपूर्व जमींदारों ने अपने कब्जे में करके जमीन को तोड़ कर काश्त कर ली है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जुलाई १९५२ में ग्राम समाज हुसेना में ५०० एकड़ जमीन परती पड़ी हुई थी?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, नहीं मालूम है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि जुलाई सन् १९५२ में ५०० एकड़ जमीन परती पड़ी हुयी थी, वह किसको दी गयी है?

श्री चरण सिंह—१३५९ फसली के कागजात माल के मुताबिक जितनी परती जमीन पड़ी थी इन दोनों गांवों में वह इन दोनों गांव समाजों को दे दी गयी, एक गांव में ३०४ एकड़ और दूसरे में २२० एकड़ जो कि जवाब में दिया जा चुका है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो ग्राम समाज हुसेना में उन्होंने बताया कि ३०४ एकड़ जमीन परती है, क्या यह सत्य है कि वहां कोई भी जमीन परती नहीं है और वहां के जो जबर्दस्त आदमी हैं उन्होंने उस जमीन को तोड़ लिया है?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप सूचना दे रहे हैं। आप सूचना सीधे सरकार के पास भेज सकते हैं।

पहाड़ के पटवारियों के पदों को पेंशनेबिल बनाने का विचार

*१३—श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या सरकार पहाड़ के पटवारियों की पोस्टों को पेंशनेबिल बनाने का इरादा रखती है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—हां, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन वर्षों से है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जी हां।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १३ श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछा।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री चरण सिंह---जल्दी ही हो जायगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि पहाड़ के पटवारियों की पोस्ट को प्रदेश के अन्य पोस्टों की तरह पेंशनेबिल करने का विचार कर रही हैं ?

श्री चरण सिंह---उन मैदानी इलाके के पटवारियों की पोस्ट जो थी वह पेंशनेबिल हो गयी तो उससे इन पहाड़ के पटवारियों के केस को बल मिला इसलिये उनका केस और मजबूत हो गया और उस पर विचार हो रहा है ।

महाराजकुमार बालेन्द शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों के पटवारियों में और देश के पटवारियों की ड्युटीज में कोई फर्क है ?

श्री चरण सिंह---उनके पुलिस आफिसर के भी अधिकार हैं और उनकी तनख्वाह में भी फर्क है ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---क्या यह सही है कि पहाड़ के पटवारियों को एक अधिक विस्तृत क्षेत्र में काम करना पड़ता है ?

श्री चरण सिंह---जी हां, ठीक है, पहाड़ में आदमी भी कम होते हैं इसलिये उनका क्षेत्र भी अधिक होता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुमायूं डिवीजन में काम करने वाले पटवारियों के नियमों में भी कुछ परिवर्तन किया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह---नहीं किया जा रहा है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह पटवारी पटवारी ही रहेंगे या लेखपाल हो जायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

टनकपुर जिला नैनीताल की भूमि का वितरण

*१४---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के टनकपुर मन्डी के ईर्द-गिर्द जो जंगलात खारिज करके प्लाट बनाये गये हैं वह किस उद्देश्य से बनाये गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---१९४८ में टनकपुर की योजनानुसार तरक्की कराने के उद्देश्य से एक योजना बनायी गयी थी । उसी योजना के अनुसार इस शहर के इर्द-गिर्द १,१०१ एकड़ भूमि को जंगल से खारिज किया गया है । इस में से अधिकतर भूमि तो खेती के लिये और कुछ दुकान, मकान इत्यादि के लिये दी गयी हैं । शेष सार्वजनिक कार्यों के लिये जैसे स्कूल, गांधी चबूतरा, पार्क, सड़क, फैक्ट्रियों, गरीबों के मकान इत्यादि के लिये सुरक्षित रखी गयी हैं ।

*१५---श्री खुशीराम---क्या सरकार एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी कि यह जमीन अब तक कितनी कितनी और किस किस को दी गयी और कितनी बाकी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—एक सूची मेज पर रख दी गयी है। कुल ९९६ एकड़ बंट चुकी हैं और १०५ एकड़ बाकी हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६६–७१ पर।)

श्री खुशी राम—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि टनकपुर के इर्द-गिर्द में ९९६ एकड़ भूमि का जो वितरण हुआ उसमें यह भूमि भूमिहीनों को मिली या जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है उनको मिली?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अब यह तो सूची में नाम दिया हुआ है। यह नहीं पता है कि जिनको जमीन दी गयी है वह भूमिहीन थे या ज्यादा जमीन वाले थे। नाम सूची में दिया हुआ है।

श्री खुशी राम—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि १०५ एकड़ जो भूमि है यह भी भूमिहीन और हरिजन शिल्पकारों को दी जा सकती है?

श्री चरण सिंह—माननीय मित्र के सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या इस जमीन को डीफारेस्ट करते समय सरकार ने इस बात का निश्चय किया था कि यह जमीन केवल भूमिहीनों को ही दी जायगी?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, मैं समझता हूं कि ऐसा कोई निश्चय सन् ४८ में नहीं किया गया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार ने दो साल हुए यह टनक पुर और उसके आसपास खाम स्टेट में जितनी भी जमीन डिस्बर्स की जाय उसके सम्बन्ध में यह आदेश जारी किया है कि यह सब जमीन भविष्य में केवल भूमिहीनों को ही दी जायगी?

श्री चरणसिंह—ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस भूमि का वितरण किन नियमों के आधार पर हुआ है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वह तो टाउन डेवलपमेंट की योजना बनी है उसके आधार पर वितरण हुआ है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को मालूम है कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अनुसार जो जमीन वितरण होगी वह पहले भूमिहीन काश्तकारों और हरिजनों को दी जायगी?

श्री चरण सिंह—इस इलाके में जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू नहीं होता।

जिला बरेली के बहेड़ी सीड स्टोर से बीज का वितरण तथा ओला-वृष्टि के कारण छूट की प्रार्थना

*१६—श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहेड़ी सीड स्टोर, जिला बरेली, में रबी का बीज (गेहूं, चना) कितना तकसीम किया गया और उसमें फार्म वालों को कितना मिला और छोटे किसानों को कितना?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—पिछले साल रबी में बहेड़ी बीज भंडार, जिला बरेली, से कुल ३,२१८ मन ३६ सेर गेहूं का बीज तथा १,८६१ मन २८ सेर चने का बीज वितरण किया गया था। उक्त गेहूं की मात्रा में से २,०२४ मन बड़े फार्म वालों को और १,१९४ मन ३६ सेर छोटे किसानों को दिया गया था। इसी प्रकार १,०९६ मन चने का बीज बड़े फार्म वालों को तथा ७६५ मन २८ सेर छोटे किसानों को दिया गया था।

*१७—श्री नत्थू सिंह—क्या यह सही है कि बहेड़ी तहसील में ओला गिरने से जिन काश्तकारों को नुकसान पहुंचा है क्या उन काश्तकारों से तकावी बीज रबी माफ करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बहेड़ी तहसील में ओला गिरने से काश्तकारों को कुछ नुकसान अवश्य हुआ परन्तु जिन काश्तकारों को रबी का बीज बहेड़ी बीज भंडार से दिया गया था उनमें से केवल चार काश्तकारों ने छूट के लिये प्रार्थना पत्र भेजे हैं जो विचाराधीन हैं।

श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार इन काश्तकारों के लिये उन नियमों पर विचार करेगी जो रबी के लगान अनुसार किया जाता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वह तो जो तकावी के रूल्स हैं उसमें १६२(ए) के अनुसार जो कार्यवाही की जा सकती है वह की जायगी ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन फार्म वालों को ज्यादा बीज दिये गये हैं उसके विशेष क्या कारण थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वह कारण यह है कि फार्म वाले पेडिग्री सीड्स तैयार करते हैं और फिर वह गवर्नमेंट को देते हैं और वह फिर कोआपरेटिव सीड स्टोर्स को भेजा जाता है और छोटे किसान कोआपरेटिव सीड स्टोर्स से लेते हैं।

श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि सीड स्टोर, बहेड़ी से जो बीज फार्म्स को दिये गये हैं वह उन आफिसर्स के हैं जो बरेली जिले में रहते हैं ?

श्री चरण सिंह—हर तरह के लोगों के फार्म्स हैं। मुमकिन है कि कुछ फार्म्स आफिसर्स के हों बड़े फार्म वाले बीज ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वह पैडिग्री सीड तैयार करते हैं। छोटे किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बहेडी सीड स्टोर को अभी तक कितना पैडिग्री सीड्स इन फार्म वालों से मिला है ?

श्री अध्यक्ष—आप कोई समय नियत कर रहे हैं ? आप किसी नियत समय के अन्दर की बात जानना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—जी हां।

श्री अध्यक्ष—आपने उसका जिक्र प्रश्न में नहीं किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि पिछले वर्ष बहेड़ी सीड स्टोर में बड़े फार्मों से कितना पेडिग्री सीड वापस मिला ?

श्री चरणसिंह—मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ४ दरख्वास्तें सरकार के पास आई हैं वह किन की हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जहां ओला पड़ा है, वहां ९७ किसानों की हानि हुई है। उन्हीं में से ४ किसानों की दरख्वास्त आई हैं।

*१८-१९—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

जिला कानपुर के पुखरायां बीज गोदाम में काटन की खरीद

*२०—राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बीज गोदाम (एग्रीकल्चलर डिपार्टमेंट) पुखरायां जिला कानपुर, में सन् १९५१ व १९५२ में खरीद काटन में जो गबन हुआ था उसकी कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उस इन्क्वायरी का क्या फल हुआ और उसमें किन किन कर्मचारियों को क्या दंड दिया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सन् १९५१-५२ में कृषि बीज भंडार, पुखरायां, जिला कानपुर, में काटन के खरीद के समय कोई गबन नहीं हुआ था। अतः इन्क्वायरी तथा कर्मचारियों को दंड देने का प्रश्न नहीं उठता।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि जो काटन खरीदा गया सन् १९५१-५२ में उसकी कीमत में और बाजार की कीमत में फर्क था ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—शिकायत यह थी कि सौ तोले की तौल से बीज खरीदा गया लेकिन सरकार को ८० तोले से दिया गया। यह शिकायत गलत पायी गयी और जो भाव है वह यह कि हमारे पास साढ़े चौंतीस रुपये प्रतिमन के हिसाब से खरीदा गया और उस पर सवा छः फीसदी और लिया गया, लेकिन बाजार भाव इस समय मेरे पास नहीं है।

देवरिया जिले के बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*२१—श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला में कितने ग्राम बाढ़ से पीड़ित हैं और सरकार उनकी क्या सहायता कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—देवरिया जिले में कुल ५४६ ग्राम बाढ़ से पीड़ित हैं। इन ग्रामों की जनता की सहायता के लिये सरकार ने निम्नलिखित प्रबन्ध किया है :—

१—२५,००० रु० अहेतुक सहायता के लिये दिया गया है।

२—२,००,००० रु० टेस्ट वर्क के लिये स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त २०,००,००० रु० सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी सड़कों के बनाने के लिये स्वीकृत किया गया है।

३—६,००,००० रु० की तकावी बांटी गई है।

४—जिलाधिकारियों के प्रयत्न से लगभग ३,००,००० रु० की तकावी गन्ना बोने वाले कृषकों को केन यूनियनों द्वारा बांटी गई है।

५—४,२५० रु० की अहेतुक सहायता जिला प्राकृतिक विपत्ति सहायता कोष से दी गई।

६—२०० खाकी कमीज, ५०४ जोड़ा धोती, ५२४ जोड़ा साड़ी, ८५२ गज छींट तथा ५२० गज डोरिया मुफ्त बांटी गई।

७—चारे की कमी दूर करने के लिये भूसा और सूखी घास मंगाई जा रही है।

८—इसके अतिरिक्त जानवरों तथा आदमियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिये नाव का प्रबन्ध किया गया। जरूरतमंदों को अनाज, नमक, दियासलाई, मिट्टी का तेल आदि मुफ्त बांटा गया। दवाइयां बांटी जा रही हैं तथा कुओं का पानी साफ करने के लिये पोटाश डाला जा रहा है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या २१-२२ श्री सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी ने पूछे।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कितने क्षेत्रों की फसलों को नुकसान पहुंचा है और कितनी जन संख्या इससे प्रभावित है ?

श्री चरण सिंह---५४६ ग्राम के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है और वहीं की जनता पीड़ित है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार के पास इस बात की सूचना नहीं है कि कितने लाख जन संख्या इस समय इस पीड़ित क्षेत्र में हैं और कितने एकड़ जमीन को नुकसान पहुंचा है ?

श्री चरण सिंह---यह संख्या दफ्तर में मौजूद है । लेकिन जवाब में देना जरूरी नहीं समझा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २५ हजार रुपया जो मुफ्त इस काम में सरकार द्वारा प्रदान किया गया है उसमें से कितना रुपया अब तक बंटा है ?

श्री चरण सिंह---जब से यह जवाब आया है उसके बाद २५ हजार रुपया और दिया जा चुका है । इस तरह से पचास हजार रुपया दिया गया है । साथ ही साथ हुकुम भेजा गया है कि इसमें से एक पाई अनस्पेंट न रहे ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या माल मंत्री जी को मालूम है कि पडरौना के उत्तर तरफ अभी कोई टेस्ट वर्क नहीं खोला गया है जब कि सूचना मंत्री जब वहां गये थे तो उन्होंने वादा किया था कि टेस्ट वर्क खोला जायगा ?

श्री चरण सिंह---मुझे सूचना मंत्री जी ने क्या कहा था इसकी कोई इत्तिला नहीं है ।

नदौली चुरिया में घाघरा द्वारा कटाव

*२२---श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)---क्या देवरिया जिला में घाघरा के कटान से ग्राम नदौली चुरिया और गौरा बरहज शहर के कट जाने का खतरा है? यदि हां, तो कटान रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---गौरा बरहज के कटने का कोई खतरा नहीं है । ग्राम नदौली चुरिया को अवश्य घाघरा की धारा ने कुछ काट दिया है । पानी के हट जाने पर इंजीनियरों की राय से इस संबंध में उचित कार्यवाही की जायेगी ।

*२३---श्री बद्री नारायण मिश्र (अनुपस्थित)---[स्थगित किया गया ।]

तहसील लैंसडाउन में ओला-वृष्टि से फसलों को क्षति व सरकारी सहायता

*२४---श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला गढ़वाल के लैंन्सडाउन तहसील के पूर्वीय क्षेत्र पट्टी गुराडस्यों किमगड़ीगाड तलाई व कोलागाड आदि में ओला पड़ने से गेहूं की फसल को कितने प्रतिशत नुक्सान हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---लैंन्सडाउन तहसील के पूर्वीय क्षेत्र की पट्टी गुराडस्यों किमगडीगाड तलाई व कोलागाड में ओले से गेहूं और जो की फसल को रुपये में लगभग ४ आने से १२ आने तक नुकसान हुआ ।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या २४-२६ श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछे ।

*२५—श्री रामप्रसाद नौटियाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला गढ़वाल के लैन्सडाउन तहसील के दक्षिण-पूर्वीय भाग में रबी और खरीफ फसल खराब होने के कारण दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—लैंसडाउन तहसील के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र की पट्टी बूंगी, बिजलोट गुजड़ इडियाकोट तल्ला और खाटली वल्ला व पल्ला में खरीफ १३६१ फसली की फसल को कुछ हानि हुई परन्तु रबी १३६१ फसली की फसल रुपये में १२ आने या उससे अधिक थी ।

*२६—श्री रामप्रसाद नौटियाल (अनुपस्थित)—यदि हां, तो दुर्भिक्ष पीड़ित पट्टी निवासियों को सहायता पहुंचाने के लिये सरकार की ओर से कौन से प्रयास किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—प्रश्न २५ के उत्तर में उल्लिखित पट्टियों में खरीफ की फसल को हानि के कारण खरीफ १३६१ फसली में निम्नलिखित सहायता दी गई :—

	१९५३–५४	१९५४–५५
	रुपये	रुपये
टेस्ट वर्क	६०,०००	२०,०००
अहेतुक सहायता	५,०००	..
तकावी	४०,०००	..

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उन्होंने जो सूचना दी है कि ४ आने से १२ आने तक फसल को ओलों से नुकसान हुआ है, इस सूचना का आधार क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—तहसीलदार ने जांच की थी ।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि उस इलाके के एम० एल० ए० महोदय ने माननीय राजस्व मंत्री को लिखा था कि यह इन्क्वायरी पूर्ण नहीं है ?

श्री चरण सिंह—मुझे इस समय याद नहीं है कि लिखा था या नहीं लिखा था । अगर लिखा होगा तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया होगा ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—जिन क्षेत्रों में १२ आने नुकसान हुआ है उनमें क्या सरकार पूर्ण लगान माफ करने की सोच रही है ?

श्री चरण सिंह—जहां भी ८ आने नुकसान होता है वहां माफी की जाती है, लिहाजा अगर १२ आने नुकसान हुआ है तो जरूर माफी की जायगी ।

*२७—श्री झारखंडे राय—[स्थगित किया गया ।]

रोडवेज की बसों का डीजेल आयल से प्रचालन

*२८—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह रोडवेज की मोटरों को कहां-कहां डीजेल आयल से चलाने लगी है और उसमें कहां तक सफल रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—सभी रीजनों में कुछ मार्गों पर डीजेल आयल से चलने वाली मोटरें चलाई जा रही हैं और इसमें काफी सफलता प्राप्त हुई है ।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या यह सही है कि डीजल आयल से चलने वाली बसों में काफी गरमी होती है और उसकी वजह से अगली सीटों में, जहां ड्राइवर बैठता है और लेडीज बैठती हैं काफी तकलीफ हो रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी नहीं, इतनी ज्यादा गरमी नहीं होती है कि ज्यादा तकलीफ हो ।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या यह सही है कि इस डीजल आयल से चलने वाली बसों में इंजन को काफी मोशन में रहना पड़ता है और उसकी वजह से बाडी में काफी हिचकोला मिलता है और काफी दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मैंने खुद भी सफर किया है, ऐसी शिकायत तो नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी डीजेल आयल से चलने वाले मोटरों की संख्या और सफलता के सम्बन्ध में कोई संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---डीजेल आयल से चलने वाली मोटरें लखनऊ शहर में ७३, कानपुर में २८, इटावा में १२, अलीगढ़ में २५, मेरठ में ५३, मिर्जापुर में १७, फीटद्वार में १६, बरेली में ८, गोरखपुर में २०, सुल्तानपुर में १७ और इलाहाबाद में ६ हैं और इसमें करीब-करीब एक, डेढ़ आना फी मील की बचत हमको होती है ।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एक लारी जो डीजेल की है और दूसरी लारी जो पेट्रोल से चलती है उनकी कीमत में क्या अन्तर है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जो लारियां पेट्रोल से चलती थीं ज्यादातर उन्हीं को डीजेल में परिवर्तित किया गया है ।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस परिवर्तन के करने में एक लारी पर सरकार का कितना खर्च आया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इंजनों के मूल्य के अलावा डेढ़ हजार से ५ हजार, ६ हजार और १२ हजार तक ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डीजेल आयल से जो उनकी बसें चलती हैं उनका मई और जून में क्या टेम्परेचर हो जाता है; इसके मालूम करने की कोशिश की है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी हां । स्वयं बैठ कर देखा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या डीजेल इंजिन से चलाने वाले ड्राइवरों को सरकार कोई विशेष एलाउन्स दे रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---उनको जो पुरस्कार मिलता है उसमें उन्हें ज्यादा सम्भावना पुरस्कार पाने की हो जाती है । उनके लिये रेट्स ज्यादा उदार हैं ।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि एक लारी जो डीजेल आयल से चलती है और दूसरी जो पेट्रोल से चलती है उनकी उम्र में कितना अन्तर होता है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इसका अभी कोई अन्दाज नहीं लग सका है क्योंकि साल डेढ़ साल से ही ये डीजेल बसें चल रही हैं।

भूमिधरों एवं सीरदारों से वसूल होने वाले लोकल रेट एवं सेस

*२९--श्री रामलखन (जिला बनारस) (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत वसूल होने वाले लोकल रेट एवं सेस के अलावा जो Revenue के साथ वसूल होता है कोई और लोकल रेट एवं सेस समस्त भूमिधरों एवं सीरदारों से इस समय Revenue के साथ-साथ वसल किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस रेट से ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं पैदा होता।

*३०--श्री रामलखन (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस अतिरिक्त वसूली से प्रान्त में कितना रुपया वसूल होगा ?

*३१--श्री रामलखन (अनुपस्थित)--क्या मालमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अतिरिक्त आय का भी कुछ हिस्सा जिला बोर्डों को, उनकी आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये, देने का सरकार विचार करती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--ये प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि लोकल रेट्स से वसूल होने वाले धन का कितना हिस्सा जिला बोर्ड्स को देते हैं ?

श्री चरण सिंह--जितना लोकल रेट उनको ३० जून, ५२, को मिलता था उतना ही मिलता है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि जितनी ३० जून, सन् ५२, को सरकार की आमदनी लोकल रेट से थी उससे कितनी आमदनी बढ़ गई है ?

श्री चरण सिंह--लोकल रेट मालगुजारी का हिस्सा हो गया है। लिहाजा लोकल रेट से आमदनी बढ़ने या घटने का सवाल पैदा नहीं होता। जमींदारी एबोलीशन के पहले जितनी आमदनी लोकल रेट से थी वही अब लोकल बोर्ड्स को दी जाती है।

श्री गेंदा सिंह--क्या राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि वह आमदनी जो लोकल रेट्स से थी वह इस वक्त कितनी होती है ?

श्री चरण सिंह--मैं कैसे समझाऊं ! मैं दोबारा अपने जवाब को दोहरा देता हूं। लोकल रेट अब कोई अलहदा वसूल नहीं होता। वह मालगुजारी का ही जुज है। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा तफसील में समझाने की कोशिश करूं। जो लोग पहले जमींदार थे वे अपनी आमदनी का १८.३।४ फीसदी लोकल रेट देते थे। अब जो उनकी सीर और खुदकाश्त थी वह मालगुजारी में शामिल हो गई और जो लोग १० गुना देकर भूमिधर बन गये वे अपने लगान का आधा दे रहे हैं, उनसे हम कुछ और लेते नहीं लेकिन जो लोग सीरदार हैं और १० गुना देकर भूमिधर नहीं बन पाये हैं, उनसे जमींदार लोकल रेट

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या २९-३१ श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछे।

के लिये १ पैसा फी रुपया ले सकता था, वह एक पैसा फी रुपया हमने मालगुजारी का जुज करार दे दिया। इस हिसाब से वह १ रुपये ६ आने फी सैकड़ा पड़ता है। और वह मालगुजारी का जुज हो गया है लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को जमींदारी एबोलीशन के पहले जितना हिस्सा पहले मिलता था उतना ही अब भी मिलता है यानी, सब्जेक्ट टु करेक्शन बोल रहा हूं १ करोड़ ३७ लाख इस मालगुजारी में से उनको अब भी मिलेगा।

*३२—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किया गया।]

कार्यक्रम में परिवर्तन करने पर आपत्ति

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम में कुछ तब्दीली हो गयी है, सरकार अगर और कोई तब्दीली करना चाहे तो उसको हमें बता दें। जो पंचायत राज विधेयक आज आया है वह कल नहीं था। इसलिये अगर कोई तब्दीली हो तो सरकार हमें बताने की कृपा करे ताकि हम उसी के अनुसार तैयारी करने का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष—आज सोमवार का दिन है अतः आज इस सम्बन्ध में सदन को मालूम हो जाना चाहिये कि इस हफ्ते का क्या कार्यक्रम होगा।

मालमंत्री (श्री चरण सिंह)—इसमें जो पहले कार्यक्रम था वही है सिवाय इसके कि स्वशासन मंत्री का पंचायत राज विधेयक, यूनिवर्सिटी विधेयक से पहले आ गया है। फाइनल प्रोग्राम लंच के बाद बता दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मुझे एक ऐतराज करना है वह यह है कि इस जोत चकबन्दी विधेयक के बाद हम उत्तर प्रदेश पंचायत राज बिल पर विचार नहीं कर सकते इसलिये कि आपने भी यह परिपाटी बना दी है कि जब कभी अप्रत्याशित रूप से कोई विधेयक सदन के सामने आये तो सदन को विचार करने के लिये एक दिन का समय दिया जाय। आपको याद होगा कि पहले जब जोत चकबन्दी विधेयक पास हो गया था तो ५ बजे उठ कर आपने यह व्यवस्था दी थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल के लिये हमें दो दिन का समय मिल गया था। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री या यहां सरकार के जो भी प्रतिनिधि हों, उनसे परामर्श करके कम से कम इसको आज के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसमें व्यवस्था का प्रश्न इतना नहीं उठता क्योंकि मैं यह उचित समझता हूं कि सदन के सदस्यों को विचार करने का काफी समय मिले और मैं इस सम्बन्ध में एक बार फैसला भी दे चुका हूं। परन्तु यह सहूलियत की बात है और यदि सदन समझता है कि उसके लिये अधिक समय की आवश्यकता नहीं है तो इस बिल के समाप्त हो जाने के बाद वह ले लिया जायगा लेकिन अगर सदन समझता है कि नहीं उस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं कि मैं उस सम्बन्ध में बातचीत अवश्य करूंगा। अभी उन्होंने अपना कार्यक्रम भी नहीं बताया है अतः कार्यक्रम पर विचार करते समय वे इस पर भी विचार कर लेंगे कि कितना समय मिलना उचित है। यह भी संभव है कि यदि चकबन्दी विधेयक पर विवाद लम्बा हुआ और आज शाम तक वह जारी रहा, पंचायत राज विधेयक कल ही लिया जा सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि दोपहर को बातचीत कर लेंगे क्योंकि काफी नोटिस इस सदन को मिलना आवश्यक ही था। मैं इस बात को कह देता हूं कि इसके ऊपर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिये। तत्काल ही किसी विधेयक को सदन में ले आने से दूसरे लोगों को इस बात का अधिकार अवश्य हो जाता है कि वे आक्षेप करें। किसी सदस्य को इसमें तो कोई आक्षेप नहीं हो सकता कि माननीय शिक्षा मंत्री का विधेयक

[श्री अध्यक्ष]

पहले ले लिया जाय। जहां तक पंचायत राज विधेयक को पहले लेने का सवाल है अगर यह चकबन्दी विधेयक समाप्त हो जाय तो माननीय राजस्व मंत्री जी या स्वशासन मंत्री जी अवश्य इस पर विचार कर लें और दोपहर के वक्त कार्यक्रम में अगर कोई उचित परिवर्तन हो तो उसकी भी सूचना दे दें, तब मैं अपना अन्तिम फैसला दे दूंगा क्योंकि मैं यह उस रोज भी कह चुका हूं कि अगर सदन के थोड़े से सदस्यों को भी आक्षेप हुआ तो मैं उस रोज तत्काल उपस्थित किया हुआ विधेयक नहीं लूंगा उसे दूसरे रोज लूंगा। तो उसका खयाल करके अगर आपस में बातचीत करके ही यह प्रश्न तय कर लें तो उचित होगा।

लोक लेखा समिति की बैठक बुलाने के लिये प्रार्थना

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे एक प्रार्थना की थी पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में कि आप उस मीटिंग को काल कर लें। कम्पट्रोलर ऐन्ड आडिटर जनरल की तरफ से कुछ हिदायत थी जिसमें उन्होंने कहा है कि यह समिति एक स्वतंत्र संस्था है इसलिये आपको कोई अनुदेश की आवश्यकता पड़े तो इस सदन के अध्यक्ष से प्राप्त कर सकते हैं न कि वित्त मंत्री से। केवल अध्यक्ष ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे इस समिति को अनुदेश देने का अधिकार प्राप्त है तो इसी आदेश के अनुसार मैंने आपसे प्रार्थना की.....।

श्री अध्यक्ष—किसका आदेश है ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—कम्पट्रोलर ऐन्ड आडिटर जनरल का।

श्री अध्यक्ष—वे अध्यक्ष को आदेश नहीं दे सकते, वह सदन के लिये सुझाव हो सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—जी हां, सुझाव ही है।

श्री अध्यक्ष—सुझाव हो सकता है तो उसके हवाले से आप मुझसे प्रार्थना नहीं कर सकते। एक स्वतंत्र सदस्य की हैसियत से आपको अधिकार है कि आप प्रार्थना करें। मैंने उस रोज यह फैसला दे दिया था कि मैं बातचीत करूंगा जिसमें कि यह गुत्थी सुलझ जाय और माननीय वित्त मंत्री जी ने जवाब में कह दिया था कि उस समिति के सामने कोई काम है या नहीं है इसका लिहाज न करते हुए वे मीटिंग को बुला लेंगे और वह मीटिंग बुला ली जायगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये प्रार्थना करता हूं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट जिसके ऊपर यह सदन विचार करने वाला है वह तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि कम्पट्रोलर ऐन्ड आडिटर जनरल की स्पीच जो पब्लिक एकाउंट कमेटी के सामने हुई थी वह सदन के सामने बाकायदा पेश नहीं हुई। जब कि इस सदन के सामने वह स्पीच नहीं है तो फार्मली इस सदन के सामने स्पीच नहीं पेश हो सकती, क्योंकि उस कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया है और उसे कोई पेश नहीं कर रहा है। इसलिये मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट पर यहां विचार होने के पहले ही अगर वह चुनाव हो जाय तो आडिटर जनरल की स्पीच भी हाउस के सामने फार्मली रखी जानी चाहिये। वह भी कमेटी की रिपोर्ट का एक हिस्सा होगा और उस पर हम विचार कर सकेंगे इसलिये आपसे मेरी प्रार्थना है कि उसके पहले आप मीटिंग बुला लें।

श्री अध्यक्ष—मीटिंग बुला ली जायगी।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के उत्तर न मिलने की सूचना

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, ५ रोज हुए मैंने जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं में सही मुआविजा न दिये जाने के सिलसिले में शार्ट नोटिस क्वेश्चन के जरिये सरकार से मालूमात हासिल करना चाहा था लेकिन आज तक मुझे उसका जवाब नहीं मिला और मैं समझता हूं कि काफी देर हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं यहां पर मैं इसका तत्काल उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे सवाल देखना पड़ेगा कि माननीय मंत्री के पास वह भेजा जा चुका है और उनका क्या जवाब आया है। आप मेरे कमरे में आ जायं तो मैं तहकीकात करके उसका जवाब दे दूंगा।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधन

माल मंत्री श्री (चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४३५२/१—अ—१०५६-५४, दिनांक ३१ अगस्त, १९५४, के साथ उक्त दिनांक के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित १९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या इस पर विचार के लिये सदन में कोई समय निश्चित किया जायगा? क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा हो गया है कि हमारे लिए सबका याद रखना मुश्किल हो रहा है . . . . .।

श्री चरण सिंह—हम तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को लिख चुके हैं और उन्होंने गालिबन आपके दफ्तर को इत्तिला भी दे दी है कि कोई दिन रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह केवल सूचनार्थ पेश है या वादविवाद होने की आवश्यकता है?

श्री चरण सिंह—जो सेक्शन ३४४ है उसमें यह है कि जिस सेशन में यह रक्खा जाय उसी में उन नियमों का संशोधन हो सकता है और बहस तो बाद में भी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब तो आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि उसी सेशन में सदन को मौका दिया जाय।

श्री चरण सिंह—अगर सदन मांग करे तो . . . . .।

श्री अध्यक्ष—फिर भी प्रश्न यह उपस्थित है कि कार्यक्रम में उसे क्यों नहीं स्थान मिला। मेरे पास सूचना आई थी कि यह कार्यक्रम में रखा जाय लेकिन दोबारा फिर फौरन सूचना आई कि २७ तारीख को न रखा जाय। इसीलिए अब यह प्रश्न उठा वर्ना आज के कार्यक्रम में वह आ गया होता, हमारे दफ्तर की तरफ से गलती नहीं हुई है। अगर सरकार शामिल करना चाहे तो कर दे इसीलिए पूछने की आवश्यकता पड़ी कि जो नियम इस तरह के बने हैं उनके अनुसार कार्यक्रम में रख दिया जाय?

श्री चरण सिंह—जरूर रख दिया जाय। मुझे ऐसा खयाल था कि २७ को मुझे कौंसिल में काम है इसलिये २७ को न रखने की बात थी लेकिन अगर एजेंडे में सबसे आखिर में आ जाता तो ठीक था। जरा सी गलतफहमी हो गई।

श्री अध्यक्ष—यह तो गलतफहमी हो चुकी। यदि आप इसको आखिर में रखने वाले थे और रखना इसका जरूरी था तो अब कार्यक्रम में रख दिया जावेगा और जिस समय बिजनेस कमेटी की नियुक्ति कार्यक्रम में होगी तो हेरफेर करना हुआ तो कर लेगी। इसलिए यह जरूरी है कि यह कार्यक्रम पर आ जावे।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, ३४४ में इतना ही नहीं है कि जिस पर संशोधन हो उसी पर विचार किया जाय बल्कि वह बहस के लिये भी रखे जाते हैं और सदन को मत जानने का मौका मिलता है। नियमावली के जो संशोधन हैं वह इतने ही नहीं हैं, ६–७ संशोधन हो चुके हैं, हो सकता है कि मैं भूल कर रहा हूं लेकिन ३–४ से ज्यादा हो चुके हैं और उन पर विचार करने के लिये इतना समय जरूर चाहिये कि उन पर विचार किया जा सके।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो जाय तब यह सवाल पैदा हो सकता है।

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा। संशोधन के ऊपर प्रश्न उपस्थित कर दिया गया था और अब माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य भाषण देंगे।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खंड विचाराधीन है वह खंड ३ है इस पर कई माननीय सदस्यों ने इस भवन में अपने विचार प्रकट किये। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि अगर मैं उन सब माननीय सदस्यों को, जिन्होंने विरोधी दल की तरफ से या हमारे कांग्रेस दल की तरफ से भाषण दिये, बहुत सी बातें गैरमुताल्लिक थीं संशोधन से और अगर उन सब बातों का जवाब दिया जाय तो भवन का बहुत समय लगेगा। मैं केवल संशोधन से संबंधित बातों का ही जिक्र करना चाहता हूं।

संशोधन खंड ३ के मूल अधिनियम की धारा ७ में है। मूल अधिनियम की धारा ७ पहले इस तरह थी :—

"सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी की अस्थायी योजना (Provisional Consolidation scheme) तैयार करने से पहले सम्पूर्ण गांव के खेत-खेत की पड़ताल करके गांव का नकशा, खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टरों की शुद्धता की जांच करेगा। वह एक ऐसा विवरण भी तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित हों।"

अब इस संशोधन के जरिये यह धारा इस प्रकार हो जायगी—"सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी की अस्थायी योजना (Provisional Consolidation scheme) तैयार करने से पहले नियत की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार पड़ताल करके गांव का नकशा, खसरा तथा चालू वार्षिक रजिस्टरों की शुद्धता की जांच करेगा। वह एक ऐसा विवरण भी तैयार करेगा या करायेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित हों।"

---

* विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन २३ सितम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपे हैं।

माननीय गेंदा सिंह जी ने जो यह शब्द 'करेगा' या 'करायेगा' के आधार पर यह कहा कि अब तो नायब तहसीलदार पड़ताल करायेगा लेखपालों से, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका जो असली मंतव्य है उसके समझने में उन्होंने गलती की है। वह पड़ताल के बारे में नहीं है कि करेगा या करायेगा बल्कि वह तो विवरण के बारे में है। यानी जो खसरा, गांव का नकशा या चालू वार्षिक रजिस्टरों के साथ वह एक ऐसा विवरण तैयार करेगा, तो वह विवरण तैयार करेगा यहां इसके अन्तर्गत करायेगा भी शामिल है। लेकिन वह करेगा या करायेगा यह साफ कर दिया गया है। हां, यह है कि नायब तहसीलदार से पड़ताल खेत खेत की कराने की बात संशोधन के जरिये से निकाल दी गई इसलिये कि वह फिजिकली इम्पासिबिल थी। याने ९ हजार एकड़ रकबे की पड़ताल खेत-खेत पर जा कर करे एक आदमी यह बहुत मुश्किल है। यह ९ हजार एकड़ ९ हजार ही नहीं होता बल्कि वह २७, २८ हजार गाठें हो जायंगी। पूर्वी जिलों में तो और भी ज्यादा औसत होगा यह फिजिकली इंपासिबिल था इसलिये इसको निकाल दिया गया इसके यह माने नहीं कि यह करायेगा लेखपालों से, वह तो हमने नियम में रखा है कि कंसालिडेटर पड़ताल करेगा। एक असिस्टेंट कंसालिडेशन अफसर के मातहत तीन कंसालिडेटर होंगे, वह उस रकबे की पड़ताल करेंगे और इसलिये यह कहना कि तमाम भ्रष्टाचार होगा, सब लेखपाल गड़बड़ी करेंगे तो इसलिये असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर को होना चाहिये, तो जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि यह एक नयी भरती हो रही है और अगर हम यह मान लें कि जितने आदमी भरती किये जायेंगे वह सब बेईमान होंगे तो मैं कहता हूं कि यह हमारा सोचने का एक बहुत गलत तरीका होगा।

यह प्रिजम्शन कर लेना कि जो भी सरकारी कर्मचारियों की भरती हम करेंगे या कर रहे हैं, यह सब भ्रष्टाचारी ही हैं, भ्रष्टाचार ही करेंगे, कोई इंसाफ नहीं होगा, गरीबों को हकतलफी होगी, यह अगर समझ लिया जाय तो फिर काम कैसे हो। फिर तो सब काम ही बन्द कर दिया जाय। तो यह एक ऐसी गलत फिज़ां और ऐसा गलत वातावरण पैदा किया जाता है जिसको कि मैं समझने में कासिर हूं। चकबन्दी में भी लेखपाल को घसीटकर माननीय सदस्यों ने इतने आक्षेप किये कि ऐसा मालूम होता है जितने लेखपाल भरती हुये हैं वह सबके सब भ्रष्टाचारी हैं। कहीं अब कोई एक भी अधिकार उनको रह नहीं गया है कागजात में सिवाय इसके कि मौके पर अगर दूसरे को काबिज पाता है तो उसकी रिपोर्ट करे, बाकी और कोई अख्तियार नहीं है फिर भी जाने कहां-कहां की बातें उनके बारे में कह कर समय नष्ट किया गया और यह कहा माननीय राजनारायण जी ने कि कुछ अफसर ईमानदार जरूर हैं लेकिन इस सरकार के मंत्री और उपमंत्री उनसे बेईमानी कराते हैं, यह उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा। पता नहीं कहां तक यह उनके लिये शोभाजनक बात थी और इस माननीय सदन के लिये भी इस प्रकार कहा कि मंत्री और उपमंत्री बेईमानी कराते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने के लिये उनके मुंह में जबान है और वह जो चाहें कह डालें लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि चकबन्दी में जितना विचार और जिस तरह के सेफगार्ड्स रखे गये हैं वह बहुत काफी है और जिन जिलों में चकबन्दी हो रही है, वहां के लोगों की तरफ से न तो कोई शिकायत लेखपाल की आयी न कंसालिडेटर्स की आयी और वहां के रहने वालों ने तथा उस क्षेत्र के सदस्यों ने इसकी तारीफ की। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन है वह अपनी जगह पर ठीक है। जो नियम हमारे हैं उनके मातहत कार्यवाही की जायगी कंसालिडेटर्स से उनके जरिये से काम होगा और लिखने-पढ़ने का काम जो है वह असिस्टेंट कंसालिडेशन अफिसर किसी और से करायेगा, खुद भी करेगा, इसमें कोई एतराज की बात नहीं होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है खंड ३ के पश्चात् निम्नलिखित को एक नये खंड ३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

[श्री अध्यक्ष]

"३--क--मूल अधिनियम की धारा ७ में शब्द "सम्पूर्ण गांव के खेत-खेत की पड़ताल करके" के स्थान पर शब्द "नियत की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार पड़ताल करके" रख दिये जायं और दुबारा प्रयोग हुये शब्द "करेगा" और शब्द "जिसमें" के बीच शब्द "या करायेगा" रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों संशोधन खंड ४ ही में हैं, यदि आज्ञा हो तो मैं दोनों एक साथ ही पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष--आप दोनों का विरोध करेंगे। एक साथ कर दीजिये कोई हर्ज नहीं है।

*श्री रामेश्वर लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ४ के उपखंड (३) और (४-क) इन दोनों का मैं विरोध करता हूं।

मूल अधिनियम में अधिवासी के लिये जो व्यक्ति ठीक चकबन्दी अफसर की आज्ञा के खिलाफ अगर अपील करना चाहता है तो ३० दिन का समय उसमें दिया गया था वह आज इस संशोधन द्वारा २१ दिन कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देहात में लोग अनपढ़ हैं और ज्यादा पढे-लिखे नहीं हैं। गांव में जो लोग पढे-लिखे हैं वह इस चकबन्दी के अवसर पर जो पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं उनको चकमा देकर अपना काम करा लेंगे क्योंकि गांवों में उमूमन वही लोग पढ़े-लिखे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अनपढ़ लोगों से कुछ अच्छी होती है। इसलिये ज्यादा खेत जोतते हैं और चकबन्दी में चक बनाते समय ज्यादा खेत जोतने वाले मियाद में उमूमन धोखा देकर अपनी इच्छा पूरी करा सकते हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि मूल अधिनियम में जो मियाद ३० दिन रखी गई है वह इस संशोधन के द्वारा हटाई जा रही है और ३० दिन के बजाय २१ दिन रखी जा रही है। २१ दिन रखने का जो तर्क उपस्थित किया गया है वह मेरी समझ में नहीं आता है। माननीय मंत्री जी जब सफाई उपस्थित करेंगे तो बतलायेंगे कि यह क्यों किया गया है। मैं समझता हूं कि ३० दिन की मियाद उचित ही है।

जहां तक खंड ४-क का प्रश्न है। इसमें यह है कि मूल अधिनियम की धारा ४ में यह शब्द हैं कि एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भेजेगा। लेकिन इस संशोधन में यह है कि एक प्रतिलिपि भेज दी जायगी। मूल अधिनियम में यह है कि भेजेगा, मैं समझता हूं कि इसको हटाया न जाय। भेजेगा में अधिकारी के लिये लाजमी होगा कि जो रिकार्ड वह तैयार करेगा उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को अवश्य भेजेगा। लेकिन अगर हम उसको माने लेते हैं तो फिर अधिकारी के डिस्क्रीशन पर रहता है कि वह भेजे या न भेजे। अगर यह रेस्ट्रक्शन लगाया जाय कि जो रिकार्ड वह तैयार करेगा उसकी एक कापी कलेक्टर के पास भेजेगा तो उससे यह होगा कि गांव में जो प्रतिलिपि रखी जायगी उसमें किसी प्रकार से चेंज करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। नहीं तो यह होगा कि जो प्रतिलिपि गांव में रखी जायगी, उसमें हो सकता है चेंज कर दिया जाय और उसमें कोई गारन्टी भी नहीं रहेगी कि इसमें चेंज किया गया या नहीं। अगर चकबन्दी आफिसर ऐसा हुआ तो कुछ लोगों से मिल गया तब तो आसानी से उस प्रतिलिपि में जो गांव में रहेंगी आसानी से चेंज हो सकती है। लेकिन अगर उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर के यहां रहेगी तो चेंज करना नामुमकिन होगा। इसलिये मैंने अपना संशोधन रखा है और मैं इसका विरोध करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामेश्वर लाल जी ने जो विरोध किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। धारा ४ में मियाद का सवाल है कि ३० दिन के बजाय २१ दिन कर दी गई है। इसका मैं विरोध करता हूं। असल में मूल अधिनियम की धारा ८(४) पढ़ी जाय उसमें दिया हुआ है कि "कोई भी व्यक्ति जो सहायक चकबन्दी अधिकारी को उपधारा (३) के अधीन दी हुई आज्ञा से क्षुब्ध हो, ऐसी आज्ञा के ३० दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी को अपील कर सकता है जिसका निर्णय उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या अन्य किसी प्रकार से की गई है, अंतिम होगा"।

इस तरीके से जब कोई निर्णय अंतिम होने जा रहा है उस समय उस व्यक्ति को जो सहायक अधिकारी की आज्ञा क्षुब्ध हो हर तरह की सहायता दी जाय उसकी वजह यह है कि इस कानून के अन्दर कहीं भी यह चीज नहीं दी गई है कि जो अधिकारी निर्णय देगा उसी पर दस्तखत करायेगा कि वह निर्णय इस तरीके पर होगा जिसकी जानकारी हर एक आदमी को होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गांव में कोई निर्णय दिया और वह आदमी नहीं है तो इसकी इत्तिला का सवाल पड़ता है। पंचायत राज ऐक्ट को देखा जाय तो बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जिनमें यह देखा गया है कि क्या फैसला हुआ यह उनको मालूम ही नहीं हुआ और मियाद निकल जाने के बाद जब उनको सूचना मिली तो वे अदालतों में दौड़ते हैं और कानून में भी कुछ ऐसा है कि फिर वे अपील नहीं कर सकते। तो ३० दिन की मियाद जो रखी गयी है मैं समझता हूं कि वह काफी समय है जिसमें वह हर चीज की छानबीन कर सकें और अपील कर सकें। दूसरी चीज यह भी होती है कि गांव के लोग गरीब होते हैं। इसमें जब अपील करने का प्रश्न आयेगा तो पैसे की जरूरत होगी। तो अगर २१ दिन के अन्दर वह रुपया न इकट्ठा कर सके तो उनको अपील करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि ३० दिन की मियाद ज्यादा उचित है और इसी वजह से पहले समझ बूझ कर इस सदन ने ३० दिन की मियाद रखी थी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ३० दिन की मियाद पर ही वह अपने को कायम रखें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से तो अपील करने की गुस्ताखी करूंगा ही नहीं कि वह इस पर विचार करके और माननीय सदन को भी अपनी सलाह से फायदा उठाने का मौका दें। मैं यह माननीय सदन से कहना चाहूंगा कि माननीय सदन ने जिन विचारों को दृष्टि में रख कर ३० दिन की मियाद रखी थी उसे कम नहीं किया जाना चाहिये। दूसरे संशोधन के संबंध में बाद को कुछ कहूंगा लेकिन ३० दिन वाले मामले में यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय कमला सिंह जी ने भय प्रकट किया वह भय काफी महत्व रखता है। जानकारी का सवाल सबसे बड़ा है कि कोई फैसला असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर करता है तो उसकी जानकारी कितने दिन के भीतर जिस आदमी के विरुद्ध वह फैसला होता है उसे हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर बड़ी तादाद में होंगे और जहां तक मेरी याददाश्त काम दे रही है शायद एक तहसील में वे दो दर्जन के करीब होंगे। तो उनके फैसले जल्दी ही लोगों के पास पहुंच जाने की संभावना तो की जा सकती है लेकिन वे फैसले पहुंच जायेंगे इसमें संदेह करने की गुंजाइश है। और किसी तरह किसी को फैसले की इत्तिला न पहुंच सकी तो फिर उस हालत में उसके लिये इतना समय रहना चाहिये कि वह उसकी जानकारी हासिल कर सके। सब से बड़ी बात तो यह है कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर के निर्णय के विरुद्ध जो अपील हो सकेगी उसके बाद कोई अपील की गुंजाइश नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अपील करने के लिये, समझने बूझने के लिये, राय मश्विरा करने के लिये, कागजात की नकल वगैरह लेने के लिये उसको मौका होना चाहिये। २१ दिन और ३० दिन में मैं नहीं समझता कोई बड़ी देर हो जाने की बात खड़ी हो जाय। ३० दिन में एक तसल्ली की बात होती है उस आदमी के लिये जो अपील करना चाहता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गैंदासिंह]

हो सकता है कि जो हमारे देश के किसान हैं उनके पास २१ दिन के भीतर वैसा इकट्ठा न हो सके और वह कर्जा खोज करके या किसी तरह से अपने आखरी वक्त में ८-९ दिन में कुछ बन्दोबस्त कर सकते हैं और उस तरह से बन्दोबस्त करके अपील कर सकते हैं। यह राजस्व मंत्री जी फरमा सकते हैं कि इस काम में तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लेकिन कोई काम इस तरह का हो, उसे दो आने का फार्म भी खरीदना हो, मैं नहीं जानता कि उसमें फीस लगेगी या नहीं–माननीय ब्रजभूषणजी कह रहे हैं कि नहीं लगेगी–तो नहीं लगेगी, लेकिन संभव है कि उसको किसी कानूनी सलाहकार से भी मशविरा करना पड़े, तो कानूनी सलाहकार तो पैसे के बिना मिल नहीं सकता। राजस्व मंत्री जी से इतना जरूर कहूंगा कि जो कुछ भी कानून में यहां बनता है उस कानून में उनके आदेशों के मुताबिक अगर ठीक ठीक अमल ही हो जाता सारे प्रदेश में तब भी काफी हद तक राहत मिल जाती। मैं उनसे कहना चाहता था कि अभी जो पड़ताल के सिलसिले में उन्होंने आदेश भेजा है, जरा खुद उनको दौरा करके सारे प्रदेश की हालत को जानना चाहिये कि यह लेखपाल महोदय और कानूनगो साहबान उस आदेश के अनुसार किसानों के गांव में कागज सुनते हैं, गांव में लोगों के सलाह मशविरा लेते हैं, क्या कानूनगो साहबान १५ दिन में एक दिन के लिये आते हैं अपने हेडक्वार्टर पर? क्या तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एस० डी० ओ० और कलेक्टर महोदय दौरा करके काश्तकारों की दिक्कतों को सुनते हैं? अगर इस मामले में वह स्वयं दौरा करें माननीय राजस्व मंत्री और इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश करें समूचे सूबे भर में, तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनका जो आदेश है उसका पालन८ आने से ज्यादा नहीं हो रहा है। ८ आने भी अगर पालन होता तो मैं समझता कि उसमें बड़ा भारी काम हो गया होता। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये ऐसा समझता हूं कि किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका जहां लेना हो, वहां उसे मौका देना चाहिये कि वह खड़ा होकर अपनी राहत करा सके। अगर ३० दिन के बजाय २१ दिन विधान परिषद् ने किया है तो मैं नहीं जानता हूं कि विधान परिषद् ने अपने सामने क्या दिक्कतें रखीं? माननीय राजस्व मंत्री क्यों राजी हो गये? मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जिस तरह से वह यहां इस बात के लिये भी राजी नहीं होते हैं कि एक कामा और फुलस्टाप बढ़ाने घटाने में भी उन्हें मुश्किल होती है, उस तरीके से अगर विधान परिषद् में भी वह हमारे विचारों को रख पाये होते तो विधान परिषद् को यह मौका मिल जाता कि वह इस तरह का परिवर्तन, संशोधन, न करती। मैं समझता हूं कि विधान परिषद् को मानने में वह फिर सफल होंगे और हमारी इस प्रार्थना के साथ कि इसमें किसानों का अहित हो जाने का डर है, हो सकता है कि २१ दिन और ३० दिन के बीच में जो किसान काफी संख्या में अपील करके अपने लिये न्याय पा सकते थे उनके न्याय पाने में दिक्कत खड़ी हो जायगी, उनकी गरीबी उनके लिये बाधक हो जाय और फिर वह अपील करने से बाज आवें या महरूम हो जायं, तो फिर न्याय पाने में उन्हें कठिनाई होगी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी को इस बात के लिये राजी हो जाना चाहिये और माननीय सदन को इस मौके से लाभ उठाना चाहिये और बजाय ३० दिन के २१ दिन न किया जाय और जैसा पहले सदन ने प्रस्ताव किया था कि ३० दिन की मियाद रखी जाय, उसी पर कायम रहना चाहिये।

दूसरी बात जो कलेक्टर साहब के यहां कागजात ओरिजिनल भेज देने के लिये प्रस्ताव है, मैं समझता हूं कि उसे माननीय राजस्व मंत्री जी का ख्याल जानने के बाद, जो उस दिन कहा था, मुझे कुछ ज्यादा कठिनाई उसमें नहीं दिखाई देती। इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले यह भ्रम था कि वह कागज जो लोकल अधिकारी लोग होंगे, उन्हीं के पास रह जायगा और फिर उसमें कुछ बदल जाने का डर हो सकता है। तो अगर उस पर माननीय राजस्व मंत्री जी और प्रकाश डालें, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था, तो मैं समझता हूं कि उसे स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि अगर ओरिजिनल कागजात सभी कलेक्टर के दफ्तर में चले जाते हैं तो फिर यों तो जहां भी जो लोग जालसाजी

करने वाले होते हैं वह कभी कभी सख्त से सख्त पहरा पड़ने पर भी जालसाजी कर लेते हैं। लेकिन यहां पर जालसाजी का खतरा जरूर कम दिखायी देता है। लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें माननीय राजस्व मंत्री यदि प्रकाश डालें तो शायद हम लोग उनकी राय के हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर उनसे दरख्वास्त करूंगा कि २१ दिन और ३०दिन के मामले में वह विधान परिषद को अपनी राय का बनाने की कोशिश करें। हम समझते हैं कि वह अपनी राय के बनाने में हमारी राय की कुछ वकत करेंगे और हमारी राय से अगर कुछ लाभ उठाना चाहें, तो २१ दिन और ३० दिन में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता। सरकार को कोई कठिनाई नहीं होती है, चकबन्दी के काम में कोई दिक्कत नहीं होती है। हां, एक बात जरूर है कि हमारे प्रदेश में जो ६०, ७० प्रतिशत, जो छोटे छोटे किसान हैं, जिनको खाने पीने की काफी दिक्कत होती है वह अपने खर्च का बन्दोबस्त करने की सुविधा पा सकेंगे। इसलिये वह तीस दिन के ही पक्ष में अपना मत प्रगट करें।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री गेंदासिंह जी कहते हैं कि २१ दिन और ३० दिन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब कोई फर्क है ही नहीं तो आप ही क्यों नहीं मान जाते हैं?

दूसरी बात यह है कि आपने जो यह शंका प्रगट की कि किसानों को एतराज के लिये पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। वह निराधार है क्योंकि मूल अधिनियम की धारा ५० में साफ लिखा हुआ है: "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों में दिये गये किसी आवेदन-पत्र के संबंध में कोई न्याय शुल्क देय न होगा।"

इसलिये उनकी यह भी आशंका निर्मूल होती है कि किसान को पैसा इकट्ठा करने में तबालत होगी, इसलिये ज्यादा समय चाहिये।

तीसरी बात यह है कि सारी कार्यवाही गांव में होगी। गांव के ही दफ्तर में वहां कागजात बनेंगे और वह प्रकाशित हो जायेंगे। कहीं तहसील के सदर मुकाम में या दूसरी जगह नहीं जाना है। गांव का मामला गांव में ही हो रहा है इसलिये हमको सब कामों को जल्दी और ठिकाने से करना है जिसमें वक्त भी बच जाय और काम भी ठीक हो जाय। अगर ऐसी व्यवस्था कर सकें तो क्यों न करें? इसलिए आप जो जोर दे रहे हैं कि तीस दिन ही हो जाय उसमें कोई ज्यादा तर्क और वजह नहीं है। और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ३० दिन की बात वह छोड़ दें। जो जिलाधीश के यहां मूल प्रतिलिपि भेजने के बारे में व्यवस्था की गयी है, उस सम्बन्ध में जो संशोधन आया है, वह बहुत सही है। कलेक्टर साहब के यहां मूल प्रतिलिपि भेजी जायगी और वह अपने यहां तेरह साल तक रखेंगे। और जो कुछ उसका फैसला तहसीलदार करेगा उसकी फिर बापस कापी यहीं आ जायगी, वह गांव में रहेगी। पहले इसमें यह आशंका थी कि उसमें काटछांट हो सकती है, उसमें जालसाजी हो सकती है। उस सब से बचत होती है।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन पेश है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---(जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साथी रामेश्वरलाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, चकबन्दी विधेयक, जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ और जिसमें माननीय गेंदासिंह वगैरह, सब लोगों ने एक तरह से धन्यवाद का शब्द माननीय राजस्व मंत्री के लिए व्यवहृत किया, उसमें इस तरह से फिर संशोधन विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और राजस्व मंत्री जी द्वारा फिर इस सदन के सामने रखा गया है, जिससे मैं समझता हूं कि गरीब किसान को चकबन्दी से लाभ नहीं पहुंच सकेगा।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

माननीय राजस्व मंत्री जी को तकलीफ जरूर होती होगी लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि वह पिछली चीजों को भूल से गये हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। माननीय ब्रजभूषण मिश्र ने कहा कि एक भी पैसा न देना होगा लेकिन उनको शायद मालूम नहीं कि नकल लेने में कितनी दिक्कत होती है। दो दो साल की दरख्वास्तें पड़ी हैं और मुकदमे के फैसले की नकल नहीं मिलती है। हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पिछले साल जब आजमगढ़ में फैसला हुआ उसकी नकल के लिये अध्यक्ष महोदय, दो बार, चार बार, नहीं दसियों बार दरख्वास्तें दी गईं लेकिन उन फैसलों की अब तक नकल नहीं मिली। लिहाजा मिश्र जी का यह कहना कि २१ दिन में किसान को कामयाबी मिल जायगी और कोई पैसा उसको देना न होगा, मैं इसको नामुमकिन समझता हूं। किसान में से अधिकतर निरक्षर भट्टाचार्य होते हैं, उनसे यह आशा कैसे की जा सकती है। मुमकिन है दूधी इलाके के किसान, जहां से माननीय मिश्र जी आये हैं, ज्यादा पढ़े-लिखे हों। हालांकि वह देश का सब से पिछड़ा हुआ इलाका गिना जाता है, अब एकदो साल में वहां के लोग इतने बढ़ गये हों कि अपनी मांगों के लिये कलेक्टर के यहां अपील करने के लिये जल्दी से जल्दी पहुंच जायं लेकिन मैं अपने इलाके की बात जानता हूं, आजमगढ़ से मेरे पास एक तार आया है, एक किसान हमारे यहां देहात का कलेक्टर से मिलने गया और वापस आ गया और मिल न सका। ऐसी अवस्था में माननीय मिश्र जी जो यह कहते हैं कि २१ दिन में किसान अपील कर सकेगा और अपनी तकलीफ को खत्म कर सकेगा यह नामुमकिन है। अध्यक्ष महोदय, न्याय के सम्बन्ध में जो गरीब आदमी है उसको ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलना चाहिये अपनी तकलीफ को सुनाने के लिये और मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन ने जो तीस दिन की मियाद बहुत सोच-विचार करके स्वीकृत की थी उसे खत्म करने के मानी हो जाते हैं कि जो गरीब आदमी है, तकलीफ में है वह अपनी बात कलेक्टर के पास पहुंचा न सकेगा। अध्यक्ष महोदय, ७ दिन तक तो लोगों को फैसला भी मालूम नहीं होता, ७ दिन नकल में लग जाते हैं और फिर वकील से राय लेने में और कलेक्टर के यहां जाने में और वकीलों को लेने देने में १०, २० रुपये से कम खर्च न होंगे। ऐसी परिस्थिति में राजस्व मंत्री को बहुत विचारने के बाद जो पहले का फैसला है उस पर स्थिर करना चाहिये, अगर वह सही माने में चाहते हैं कि गरीब आदमी अपने फैसले को कलेक्टर के द्वारा रद्दोबदल करा सके तो, और अगर नहीं चाहते हैं तो, विशाल बहुमत है, जैसा चाहें वैसा करें। उन्होंने एक मर्तबा तीस दिन का प्रस्ताव पास किया और तीस दिन के बाद २१ दिन का, अध्यक्ष महोदय, बात समझ में नहीं आती कि राजस्व मंत्री तीस के बाद २१ दिन के इशारे पर कहने को तैयार हो गये। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग इस सदन में और बाहर भी ऐसे हैं जो माननीय राजस्व मंत्री के विचारों से भिन्नता रखते हैं और उनकी पार्टी के हैं। मेरा यह ख्याल है कि उन्हीं के इशारे से या उनके डर से माननीय राजस्व मंत्री तीस दिन के बदले २१ दिन के संशोधन को, जिसे विधान परिषद् ने स्वीकार किया है.....

श्री ब्रजभूषण मिश्र—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं जानना चाहता हूं क्या कोई माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य के प्रति "डर" शब्द का प्रयोग कर सकता है?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपको वे शब्द वापस लेना चाहिये, यह नीयत पर हमला है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आपका आदेश है तो मैं वापस लेता हूं लेकिन मेरा इरादा यह नहीं है कि माननीय राजस्व मंत्री जी किसी व्यक्ति से डर जाते हैं। सदन में मुझे विश्वास है कि आप भी जानते होंगे कि बाहर और अन्दर भी माननीय राजस्व मंत्री की तरफ ऐसे लोग हैं कि जो सही मायनों में किसानों के हितों के रक्षक नहीं हैं। इसलिये ऐसी परिस्थिति में

अगर किसी वक्त में इस माननीय सदन के अधिकतर उधर के बैठने वाले सदस्य माननीय राजस्व मंत्री को मजबूर करते हों तो इसके सोचने में अपने अन्दर कमजोरी नहीं पाता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री ऐसे लोगों से भयभीत न हों। इसी नीयत से मैंने कहा था। यदि आप हुकुम देते हैं तो मैं इसको वापस लेता हूं। यह बात सही है कि सरकार ने विशाल हृदय से लोगों को हक प्राप्त करने के लिये ज्यादा समय दिया जाता था, लेकिन अब फिर वह कम समय देने की बात कर रही है। मैं ब्रजभूषण जी से पूछना चाहती हूं कि क्या कारण हो गया जिससे ३० दिन के समय को २१ दिन कर दिया गया। आप का कहना यह है कि समय ज्यादा खर्च होगा लेकिन मेरा निवेदन है कि समय की बात नहीं है। जिस काम को आप जल्दी करना चाहते हैं वह मजबूत नहीं होगा और जल्दी में काम बिगड़ जायगा। यदि आप चाहते हैं कि जल्दी में काम न बिगड़े और लोगों को हक भी मिले तो उस समय को कम नहीं करना चाहिये। आपने जो २१ दिन अब कर दिया है उसको ३० दिन कर दीजिये। अगर आप कम समय रखेंगे तो जो गरीब लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा। मुझे कटु अनुभव है कि गरीब आदमी को १० रुपया भी नहीं मिल सकेगा। जो लोग रुपया का प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है और माननीय राजस्व मंत्री के हुक्काम उनको न्याय नहीं देते हैं। ३० दिन को २१ दिन कर देने का मतलब यह होगा कि ब्रजभूषण जी मिश्र सही मानों में गरीबों को हक नहीं देना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष---आप उनकी इच्छा पर हमला न कीजिये। आप उनकी बातों का परिणाम निकाल सकते हैं किन्तु इस प्रकार से 'नहीं चाहते' इन शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मैं उनको जानता हूं। लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार पर दबाव पड़ने की वजह से जो उसने ३० दिन का २१ दिन कर दिया है उसका केवल एक ही परिणाम निकलता है और वह यह है कि सरकार नहीं चाहती कि गरीबों को सस्ता और जल्दी न्याय मिले। मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान परिषद् ने जो यह २१ दिन का संशोधन किया है इसको आप ठुकरा दें और आप अपने उसी फैसले पर दृढ़ रहें जो कि पहले ३० दिन का आपने किया था। मेरा ख्याल है कि इससे ४४ लाख अधिवासियों का लाभ होता है। २१ दिन कर देने से तीन-चौथाई किसानों का नुकसान हो जायगा। मैं राजस्व मंत्री जी से हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं कि इससे उनका नुकसान होगा। इसलिये आप उसी निर्णय पर दृढ़ रहें जो आपने पहले किया था। इसलिये श्री रामेश्वर लाल जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि इतनी मामूली सी बात पर हमारे दोस्तों को इतनी तकलीफ करनी पड़ी। जिन बातों का इससे सीधा ताल्लुक नहीं था उन बातों की भी यहां पर चर्चा हुई। हमारी कोशिश यह है कि यह चकबन्दी जल्द से जल्द निबट जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं-कहीं इसमें ३० दिन की भी मुद्दत रखी गयी है। काम जल्द हो जाय इसलिये हम उसको भी २१ दिन बल्कि १५ दिन करना चाहते थे लेकिन मजबूरी की हालत में वहां पर कम नहीं कर सके और मजबूरी की हालत में वहां पर ३० दिन ही रखना पड़ा और २१ दिन नहीं किया। यहां पर एक ऐसा मौका है जो कि दफा ८ में बतलाया गया है और इसमें कोई संभावना थी ही नहीं कि अगर हम मियाद कम कर देते तो किसी को कोई तकलीफ होती। जहां तक फैसले की बात है वह भूमि प्रबन्धक कमेटी के हर सदस्य को भेजा जायगा, गांव की चौपाल या पंचायतघर में पढ़ कर सुनाया जायगा तथा किसी प्रमुख स्थान पर उसका तहरीरी फैसला यानी उसके मूल कागजात टांग दिये जायेंगे। अब गांव में कंसालिडेशन अमीन, कंसालिडेटर, असिस्टेंट कंसालिडेशन आफीसर सब चक्कर लगाते रहेंगे, ढोल पीटा जायगा इसको फिर दुहरा दूं। इसकी जिला मैनेजमेंट कमेटी के प्रत्येक सदस्य पर तामील की

[श्री चरण सिंह]

जायगी, गांव में ढोल पिटवाया जायगा, सब को सुना दिया जायगा तथा एक जगह पर उसको टांग दिया जायगा। अगर, माननीय अध्यक्ष, इस पर भी गांव में किसी को इल्म न हो तो मैं समझता हूं कि यह काबिल यकीन बात नहीं है, उस पर बहस चाहे जो की जाय। अब यह बात रही कि अपील के लिये अधिक मौका दिया जाय तो गरीब आदमियों को ज्यादा सहूलियत हो जायगी। इस दलील से यह बात समझ में नहीं आयी कि इससे गरीब आदमियों को क्या सहूलियत हो जायगी जिसकी वजह से गरीब-अमीर का भेद करने की आवश्यकता पड़ी। इसमें न वकील की जरूरत है और न कोर्टफीस की जरूरत है। जैसा कि माननीय व्रजभूषण जी ने धारा को पढ़ कर सुना दिया बस उसको कोरे कागज पर दस्तखत करके कंसालिडेशन आफिसर को देना होगा। खर्चा कुछ नहीं करना है, वकील की जरूरत नहीं है। वह अगर देखता है कि जमीन पर मेरा कब्जा है और नायब तहसीलदार या कंसालिडेशन आफीसर ने जो पढ़ कर सुनाया है या टांग दिया गया है उसमें उसका कब्जा नहीं है तो उसको सिर्फ लिखना यही है कि इस पर मेरा कब्जा है और नायब तहसीलदार ने यह नहीं लिखा। उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगाना है, फिर वकील के मशविरे की उसमें जरूरत ही क्या है। इसलिये खर्चे का भी सवाल पैदा नहीं होता।

तीसरी बात यह कही गयी कि वह अपील करने के लिये कलेक्टर के पास जायगा। लेकिन अपील कलेक्टर के पास नहीं होगी, वह कंसालिडेशन आफीसर के पास होगी। वहां और दूसरे ४ तहसीलदार होंगे, वे लोग देहात में ही होंगे, इसलिये जिले के हेडक्वार्टर या तहसील के हेडक्वार्टर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये यह कहना कि उसके लिये जिले में जाना पड़ेगा, यह बेकार की बात है। क्योंकि सब लोग वहीं डेरा डाले पड़े होंगे।

श्रीमन्, एक बात और कही गयी वह यह कि नकल लेने में बड़े दिन लगते हैं। लेकिन यह नकल भी वहीं मिल जायगी। जिले के हेडक्वार्टर या तहसील के हेडक्वार्टर पर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिये कायदा भी बना हुआ है कि जितने दिन नकल लेने में लगते हैं वह मियाद में से काट दिये जाते हैं। मान लीजिये दो साल लगते हैं, माननीय रामसुन्दर जी को हर नकल के लेने में दो साल ही लगते हैं, तो ग्याद २ साल और २१ दिन की होगी। अगर कुछ ध्यान से देखा जाय तो माननीय मित्रों को इस प्रकार की नुक्ताचीनी करने की आवश्यकता ही न पड़े, और तकलीफ न करना पड़े। फिर हर बात में यह फर्ज कर लिया जाता है कि इससे गरीब आदमियों को नुकसान होगा। कहा जाता है कि अगर सरकार गरीब आदमियों को कोई फायदा नहीं पहुंचाना चाहती है तो दूसरी बात है। यह कोई दलील नहीं है। अब यह कहते हैं कि माननीय गेंदा सिंह कि एग्रीकल्चरल ड्राइव चलाया जाय और माननीय मंत्री जी जाकर जरा सारे सूबे का दौरा करें। इस बात पर बड़ा जोर दिया गया है कि म सारे सूबे का दौरा करूं। बात समझ में नहीं आती। यहां पर काम होने के अलावा तो मैं काफी बाहर जाने की कोशिश करता हूं। लेकिन यह सोचने की बात है कि इतने बड़े इलाके का जिसमें ९७ हजार के करीब गांव हैं, मैं कैसे दौरा कर सकता हूं ? मेरे साथी भी नहीं कर सकते है। फिर इसका मतलब हुआ कि सारे सूबे का दौरा करें। यह कह कर यह नतीजा निकालना कि क्योंकि मैं सारे सूबे के गांवों का दौरा नहीं कर सकता हूं लिहाजा मैं या मेरे साथी गांवों की हालात से नावाकिफ हैं यह बिल्कुल गलत बात है। फिर श्रीमन्, यह कहा जाता है कि आप जाकर देखें कि ये लेखपाल कितना बेईमानी कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे साथी माननीय मौर्य जी ने इस सम्बन्ध में जितना कह दिया है उतना कहना भी मैं बहुत जरूरी नहीं समझता था, क्योंकि परसों ही सब कुछ

हो चुका था तो फिर उसी का पृष्ठपेषण करने से कोई फायदा नहीं है। इस सिलसिले में यह बात मैं जरूर कहूंगा, कहे बिना नहीं रह सकता कि माननीय बलवन्त सिंह और माननीय नाजिम अली ने, जिनके जिले में कंसालिडेशन का काम हो रहा है, अलानिया कहा कि यहां निहायत ईमानदारी से काम हो रहा है। जहां तक बेईमानी का सवाल है अगर ३० दिन रख दूंगा तो क्या लेखपाल ईमानदार हो जायेंगे ? अगर माननीय मित्र कह दें कि ३० दिन रख देने के बाद वे शिकायत नहीं करेंगे तो मैं तैयार हूं। पुराने ऐक्ट में तो ३० दिन मौजूद है। तो क्या ३१ दिन रख देने से वे और कुछ हो जायेंगे ? मेरे दो मित्रों ने उस रोज कहा था कि वे बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जरा जाकर देखें तो कि कैसा काम हो रहा है। लेकिन मेरे मित्र सिवा भ्रष्टाचार के और कोई बात नहीं कहना चाहते हैं, वे बराबर बेईमानी की बात ही कहते हैं। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह चश्मा मेरे दोस्तों ने गलत लगा रखा है और इस भ्रष्टाचार के चश्मे को वे उतारने की कोशिश करें। दुनिया को देखें कि दुनिया में ईमानदार आदमी भी हैं।

अब दूसरा संशोधन है कि ओरिजिनल रेकार्ड की कापी रखी जायगी कलेक्टर के यहां। अब माननीय रामेश्वर लाल जी को इसमें भी शिकायत है। चाहे माकूलियत से कितना ही दूर रहने वाली बात हो लेकिन मुखालिफत हर बात की जरूर की जायगी। नकल के बजाय जब असल कापी रखी जायगी कलेक्टर के यहां तो मालूम नहीं कि श्री रामेश्वर लाल जी को इसमें क्या शिकायत है। मैं उस रोज अर्ज कर चुका हूं कि रूल्स में यह रखा है। ऐक्ट में रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके लिये एक सेक्शन रख दिया है और जब रूल्स से काम चल जाय तो ऐक्ट में रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं और आपकी इजाजत से मैं उसको दोहराना चाहता हूं, सेक्शन ८ के मातहत रूल २३ का सब-रूल (६) इस प्रकार है —

The original records shall thereupon be submitted to the collector who shall retain it for thirteen years after the close of Consolidation Proceedings under section 52, and the copies shall be returned to the Assistant Consolidation Officer, for being used as the basis of Consolidation Proceedings.

इसमें है कि असल कलेक्टर के वहां रहेगी और जरूरत पड़ने पर कलेक्टर कंसोलिडेशन अफसर को नकल दे देगा। १३ साल तक कलेक्टर उसको अपने पास रखेगा। बहुत दूर की कौड़ी यह लायी गयी कि ऐसा रूल्स में क्यों रखा गया है कि असल को रखें। मैंने उस रोज भी कहा था कि सेटलमेंट के जितने रेकार्ड्स हैं वे भी कलेक्टर के यहां ओरिजनल में रहते हैं। कोई सेक्शन ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल रेकार्ड्स हैं सेटिलमेंट के वह सब यहां रखे जांय। उसका उतना ही कानूनी असर है जितना किसी सेक्शन का होता है। इसी तरह यह भी सेटिलमेंट अफसर कन्सोलिडेशन आफिसर कहलायेंगे और उनकी बात फाइनल समझी जायगी।

माननीय गेंदा सिंह जी ने बड़ी उदारता की और यह माना और बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि अगर माननीय मंत्री जी इस पर रोशनी डालेंगे तो शायद मैं मान लूं। इतना कह चुका था कि फिर भी रोशनी उनको नहीं पहुंची और फिर भी मानने के लिये उन्होंने कहा "शायद" मान लूं। इसमें तो वह साफ कह देते हैं कि माननीय राम सुन्दर जी के संशोधन के खिलाफ हूं और उसके मुआफिक हूं तो ठीक था, लेकिन वह भी उन्होंने नहीं कहा। मैं समझता हूं कि यह संशोधन निहायत माकूल है और वह मंजूर होना चाहिये और ३० से २१ दिन इसीलिये किया गया है कि हमारी कोशिश है कि यह जल्द से जल्द हो जाय। ख्याल यह था कि अगर ३० दिन रखा जाता है तो इतने दिन तक सब अफसरान खाली रहेंगे और इस तरह से ९ दिन का

[श्री चरण सिंह]

समय बच जायगा। मैं समझता हूं कि २१ दिन का समय काफी है। वैसे यह राय का प्रश्न हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं जिसको फांसी की सजा हो जाती है उस तक को ७ दिन की मियाद ही अपील की मिलती है तो उसके हिसाब से तो सब गरीब फांसी पर चढ़ गये होंगे इस कारण से कि वह ७ दिन में अपील नहीं कर सके तो देखा जाय कि फांसी जैसी सजा के लिये अपील के वास्ते कुल ७ दिन मिलते हैं तो मौके पर तमाम रिकार्ड स मौजूद होंगे, वहीं नकल मिलेगी और खर्च का कोई सवाल नहीं है और २१ दिन का समय तो दिया ही जा रहा है। अगर २१ दिन में गरीब रह जायेगें तो वह ३० दिन में भी रह सकते हैं कुछ न कुछ। तो शायद ३ मास रख तो दे तो यह कन्सोलिडियन का काम २५ साल में भी नहीं हो सकता है। इसलिये विधान परिषद् ने जो संशोधन किया वह निहायत मुनासिब है और एक उचित बात है। मैं नहीं समझता कि हर बात का संशोधन और एतराज लाना क्यों जरूरी समझा जाता है। लेकिन मेरे मित्र माननीय गैंदा सिंह जी, नारायणदत्त जी और राम सुन्दर जी यह समझ बैठे हैं कि अगर २१ दिन सरकार रखे तो ३० दिन के लिये कहो अगर असल रखा जाय तो नकल कहो और अगर नकल रखा जाय तो असल कहो, हर चीज की बहस करो, चाहे गलत हो या ठीक। मैं अपने दोस्तों को ज्यादा इन्टेग्रिटी से क्रेडिट करता हूं लेकिन कभी-कभी उनके संशोधन पर शुबहा होने लगता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, विधान परिषद द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है—

खंड ४ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"उपधारा (४) में संख्या '३०' के स्थान पर संख्या '२१' रख दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है—

खंड ४ के पश्चात् निम्नलिखित को नये खंड ४-क के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"४-क—मूल अधिनियम की धारा ९ में से शब्द 'और उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भेज दी जायगी' निकाल दिये जांय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, विधान परिषद् द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है—

खंड ४-क के पश्चात् जो इससे पूर्व बढ़ाया गया है, निम्नलिखित नये खंड ४-ख के रूप में बढ़ा दिया जाय —

"४-ख—मूल अधिनियम की धारा १० में शब्द 'प्राप्त होने', और शब्द 'पर' के बीच में शब्द 'और उनकी जांच कर लेने' रख दिये जांय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, विधान परिषद द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है ।

निम्नलिखित ६ (१) के रूप में रख दिया जाय और वर्तमान खंड ६ को ६ (२) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय :—

"६ (१)—मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में शब्द 'तैयार करेगा' के पश्चात शब्द 'या तैयार करायेगा' बढ़ा दिये जांय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, विधान परिषद द्वारा किया गया निम्नलिखित संशोधन स्वीकार करता है—

खंड ९ में प्रस्तावित धारा १५ की उपधारा (१) के खंड (ख) में शब्द 'केवल उन्हीं' के पूर्व शब्द 'जहां तक सम्भव हो' रख दिये जांय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि यहां पर संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह विधान परिषद् द्वारा पारित संशोधन विधेयक यहां पर विचार विनिमय के लिये प्रस्तुत हुआ है । माननीय राजस्व मंत्री जी हम लोगों के तर्कों को सुनने के बाद भी अब यह उचित समझते हैं कि उसी को पारित किया जाय । मैं आपके द्वारा, उनसे यह जरूर निवेदन करूंगा कि विधान परिषद् ने जिस संशोधन विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत करने के और पारित करने के लिये भेजा, उस संशोधन विधेयक में छोटे-छोटे किसानों का हित नहीं था और श्रीमन्, एक क्लाज आप देखेंगे कि जिसमें "सो फार ऐज पासिबिल" है, यह १५ में है, आप इसमें देखेंगे कि जो बातें पहले विधेयक में साफ थीं और जिनको सीधे-साधे और थोड़ा पढ़े-लिखे किसान समझ सकते थे उनको भी इसमें वेग कर दिया गया है । श्रीमन्, इसमें हर समय नियम बनेगें और नये अधिकारी की बात चली आ रही है । मैं आपके द्वारा, माननीय राजस्व मंत्री जी से अपनी एक शंका जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हूं जिसके बारे में इस सदन में कोई यह नहीं कह सकता कि हम पूर्वी जिले के रहने वाले हैं और इसलिये होल्डिंग्स के बारे में पश्चिमी जिलों की कोई जानकारी नहीं है । अभी मैं सीधे पश्चिम से चला आ रहा हूं और वहां इस विधेयक की काफी चर्चा थी और वहां के जो छोटे किसान थे उन्होंने अपना यह विचार हमसे कहा कि आप इस बात को माननीय राजस्व मंत्री से जरूर कहें । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कंसालिडेशन आफ होल्डिंग होगी जो खेती की चकबन्दी होगी, उसमें जो छोटे-छोटे किसान हैं उनके खेत चकबन्दी के नाम पर अपने घर से दूर फेंक दिये जांयगे या नहीं ? पहले हमारी इस शंका को देखते हुये माननीय राजस्व मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया था कि छोटे-छोटे किसानों की जोतें जो हैं वह दूर नहीं फेंकी जायेगी बल्कि उनके पास और सुविधाजनक स्थान में रखी जायेगी । मगर इस विधेयक के पास होने के बाद हमें इसका डर बढ़ गया और मैं फिर अपने डर को माननीय राजस्व मंत्री की सेवा में अर्पित करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां चकबन्दी के नाम पर छोटे-छोटे किसान दूर फेंक दिये जायंगे अपने घर से और वह अपने गोइंड़ खेत से अलग कर दिये जायंगे ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—प्वाइंट आफ आर्डर । यह किस धारा के सम्बन्ध में आप कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल असंगत हो रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप समझते हैं, लेकिन आप पूछना चाहते हैं कि यह किससे सम्बन्धित है ।

वह तो यह कहते हैं कि "जहां तक सम्भव हो" इन शब्दों के रख देने से सम्भावना यह है कि गरीब किसानों के खेत दूर फेंक दिये जांय । तो आप कृपा करके अपने प्रश्न को, जिसके आधार पर आपने वैधानिक आपत्ति उठायी है, उसे और स्पष्ट कीजिये कि आप असंगत क्यों समझते हैं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह जो बात कही उन्होंने कि छोटे-छोटे किसान दूर फेंक दिये जांयगें तो वह तो इस मौजूदा संशोधित प्रस्तुत विधेयक में उसकी किसी धारा में उसे टच भी नहीं किया गया है । वह जो स्कीम है कि छोटे किसान को नजदीक रखा जायगा और बड़े किसान को दूर रखा जायगा उसमें तो कोई परिवर्तन किया नहीं गया है । जहां तक संभव होगा गाटे के लिये है । उसमें नजदीक और दूर का कोई सवाल नहीं है । वह इसमें तमाम कवर कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप जरा १५ की उपधारा (१) के खंड (ख) का हवाला देते हुये कहिये तो ज्यादा उचित होगा । अभी तो हवा में ही सब बातें हो रही हैं ।

श्री चरणसिंह—मैं अर्ज करूं । जो ऐक्ट की धारा १५ थी, वह जो यहां से संशोधित होकर विधेयक गया था वह धारा उसमें पेज ४ पर दी हुई है बिल के । इसमें 15-(1) (B) में पहले "as far as possible" नहीं था ।

श्री अध्यक्ष—जी हां ।

श्री चरणसिंह—अब यह "as far as possible" विधान परिषद् ने कर दिया । पहले यह था कि जिस हार में किसी किसान की जमीन है उसी में उसको चक मिलेगा, उसमें जरूर मिलेगा । अगर दो हार में है तो दो में मिलेगी, तीन में है तो तीन मिलेगी, एक में है तो खैर दो का सवाल ही नहीं होता । अब उन्होंने यह कर दिया हमारे अफसरान ने बताया कि कोई केस ऐसा भी हो सकता है कि उसमें किसी वजह से न मिले, दूसरे में देना पड़े । पंजाब में भी ऐसा था । वहां भी "ऐज फार ऐज पासिबिल" लब्ज था और वह रहना चाहिये । खैर, लेकिन जो माननीय राज नारायण जी कह रहे हैं उसका इसमें कोई ताल्लुक नहीं है । अगर कह सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसी को कह सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—उनका उनसे कांक्लूज ड्रा करने का पूर्ण अधिकार है । वह कहते हैं कि ये शब्द "जहां तक सम्भव हो" खंड में न होते तो गरीब के पास चकबन्दी में जगह मिलती उसको "जहां तक संभव" कर देने से तो एक लूप होल आपने दे दिया अफसरों को, तो उसकी वजह से यह संभव है कि उसको जमीन दूर दी जाय यह तर्क है उनका, तो रेलीवेंसी का जहां तक सवाल है वहां तक तो ठीक है, रेलीवेंट है, औचित्य के सवाल को मैं तै नहीं कर सकता ।

(श्री राज नारायण जी से) अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे ।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि इन संशोधनों के जरिये पहले विधेयक में जो छोटे-छोटे खातेदारों को सुविधा प्राप्त हुई, अब उन सुविधाओं को छीना जा रहा है और जब पहला विधेयक सदन में प्रस्तुत था उस समय मुझे याद है कि काफी तर्क-वितर्क के बाद धारा में इस बात को मान लिया गया था कि जो खातेदार हैं छोटे छोटे, जहां उनका खाता है, ब्लाक है, वहीं पर उनको रहने की सुविधा होगी। मगर अब जो संशोधन विधेयक के रूप में विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है उसने तो इस समय सारी आशाओं को निराशा में परिणत कर दिया है और यह सही है कि माननीय राजस्व मंत्री, जो बारबार इस सदन में इजहार करते रहे हैं कि चकबन्दी योजना किसानों के हृदय में उल्लास पैदा नहीं कर रही है तो किसानों के हृदय में जो उल्लास नहीं पैदा होता था उसका कारण किसानों के दिल में डर है और यह डर बहुत बड़ा है कि कहीं चकबन्दी के नाम पर, एक एरिया बनाने के नाम पर, ब्लाक बनाने के नाम पर, उनके छोटे-छोटे खाते बहुत दूर न फेंक दिये जायं। इस डर को उस सदन ने मान लिया था और उस समय यहां यह शब्द रखे गये थे कि 'केवल उन्हीं खातेदारों को हार विशेष में भूमि मिले जिनकी भूमि वहां हो"। तो "जहां तक सम्भव हो" के अन्तर्गत उन्हीं को भूमि मिलेगी जिनके पास पहले से भूमि हो, यह शब्द इस विधेयक में रख दिये गये हैं। इनके माने तो स्वतः समझते होंगे कि सम्भावना जहां कहीं ऐक्ट में होती है वह उन्हीं के पक्ष में जाती है कि जो सत्ताधारी और सुविधा-सम्पन्न हैं, जिनके पास आज समाज में अनेक कारणों से विशेष स्थान प्राप्त है। इसी रोशनी में उस समय 'केवल' शब्द का प्रयोग किया गया था, मगर आज 'केवल' शब्द को बहुत ही आसानी के साथ माननीय राजस्व मंत्री "जहां तक सम्भव हो" में बदल देना चाहते हैं। तो मैं इस सदन से जानना चाहूंगा कि क्योंकि सदन में जो सम्मानित सदस्य हैं वह हम लोग अधिकांश देहात से आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या जहां तक सम्भव हो इसमें भी किसी सम्मानित सदस्य के हृदय में मतभेद है, हमसे कि "जहां तक सम्भव हो" का अर्थ सत्ताधारी वर्ग के पक्ष में नहीं जायगा। मैं पूछना चाहूंगा और सदन से निवेदन करूंगा कि सदन जरा इस पर विचार करे और इस धारा को जल्दी में पारित न करे। अगर जल्दी में केवल माननीय राजस्व मंत्री की ओर देख करके हम "जहां तक सम्भव हो" को कानून की धारा में रख देंगे तो इससे किसानों का बड़ा अहित होगा। हमने पहले भी कई बार निवेदन किया है कि स्वतः चकबन्दी अगर कह दी जाय तो चकबन्दी स्वतः किसानों के लिये तो हितकर हो नहीं सकती, वह किन उपकरणों को सामने रख कर होगी, उससे किनको ज्यादा हित देने की व्यवस्था की जायगी। श्रीमन्, दुनिया में जहां-जहां भी चकबन्दी की बात है यदि आप देखें तो वहां पर जमीन में, ब्लाक में, खाते में इतना जमीन और आसमान का फर्क नहीं है, १८-२० या १९-२० का फर्क है। मगर यहां पर बहुत फर्क है, एक के पास है दो एकड़, एक एकड़, आधा एकड़ और दूसरे के पास है एक हजार, दो हजार, और १० हजार एकड़। तो इतनी विषमता जहां हो कि जमीन और आसमान का अन्तर हो जोत के क्षेत्र में तब तो हमको ऐसे कानून को और सफाई के साथ रखना चाहिये और तनिक भी उसमें ऐसी शंका नहीं पैदा होनी चाहिये जिससे कि गरीब किसानों का अहित हो सके। हम सब जो यहां पर बैठे हैं वे समय समय पर गरीब किसानों के हित की बात करते रहे हैं और बराबर कहते रहे हैं कि जो अंग्रेजी साम्राज्यशाही हुकूमत ने शोषण की प्रणाली अपने मुल्क में कायम कर रखी थी उसी को मिटाना हमारा ध्येय है। अगर ऐसा हमारा ध्येय है तो हमको सफाई के साथ वैसा कानून भी बनाना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम सदन में मौखिक ढंग पर कुछ बातें कहते रहें और जब कानून बनाने की बात हो तो उसके उल्टा करें, वही सिद्धान्त सिद्धान्त है, जो कार्यरूप में परिणत हो और थ्योरी और सिद्धान्त के बीच में इतना अन्तर करना जो कि छायावादी और मायावादी लोग

[श्री राजनारायण]

किया करते हैं वह नहीं होना चाहिये । आज इस सरकार के जरिये जो जनतांत्रिक प्रणाली पर चलने वाली सरकार कही जाती है, हम जब इस संशोधन विधेयक को देखते हैं जो कि अपर हाउस से वापस होकर हमारे पास आया है तो हम दो-तीन कमियां ऐसी जबरदस्त बता सकते हैं, बल्कि कमियां तो हमने आपको बतायीं, जिसके जरिये गरीब किसान का हनन होने वाला है, जिसके जरिये गरीब किसान अपनी जायदाद से वंचित होगा। यह सबसे बड़ी खामी आज इस संशोधित विधेयक के अन्दर है। श्रीमन्, इसके बाद पहले मूल विधेयक में यह था कि सहायक चकबन्दी अफसर खेत-खेत पर जायगा, गांव-गांव पर जायगा और खेत-खेत पर जितने डिस्प्यूट्स होंगे सबको सुलझायेगा और सब का रेकार्ड करेगा। वह भी इस संशोधित विधेयक से छीना जा रहा है। हमने इसके बदले जब इस सदन में माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन किया था कि इससे किसका भला होगा, गरीबों का होगा या उन लोगों का भला होगा जो सुविधा और सत्ता सम्पन्न हैं।

आज हमारा समाज कई डांड़-मेड़ों में बंटा हुआ है, जाति-पांति के डांड़ मेड़ों में बंटा हुआ है, सत्ता सम्पन्न और सत्ताविहीन की डांड़-मेड़ों में बंटा हुआ है। समानताएं और असमानताएं हमारे प्रान्त में बहुत व्यापक रूप से फैली हुई हैं। जिस प्रान्त में इतनी बड़ी विषमताएं और कंट्राडिक्शंस हों, उन असंगतियों को पूरा करने के लिए यदि सरकार बिलकुल स्पष्ट, क्लियर टर्म्स में, कानून की धाराओं को नहीं रखती तो इस बात को निर्विवाद ढंग से मान लेना चाहिए कि समाज का वह तबका जिसके हाथ में शक्ति है जो रूल करता है उसी के हक में कानून का भाष्य सरकारी कर्मचारी करते रहते हैं। उदाहरणार्थ, माननीय राजस्व मंत्री यहां नहीं हैं, वह एक बार बनारस में गये हुए थे। २३४ धारा के अधीन लगान न देने के कारण गरीब किसानों की बेदखली हो रही थी। माननीय राजस्व मंत्री और उनके सभासचिव तथा रेवेन्यू सेक्रेटरी बराबर कहते रहे कि इस धारा का कोर्ट गलत अर्थ लगा रही है। मगर कोर्ट ने वही अर्थ लगाए और लाखों किसानों की बेदखली हुई उसमें । कितने मुकदमे आज तक दरपेश हैं। उसमें किसानों का पैसा खर्च हो रहा है। गरीब किसान अपने बच्चों को खाना-कपड़ा नहीं दे पाता। (एक आवाज) जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की बात कह रहा हूं। उदाहरण के लिए मैंने यहां पर निवेदन किया। उसी बात को माननीय मौर्य जी सामने रखते हैं। बड़े-बड़े सम्मेलनों में और यहां मैं, श्रीमन् बताऊं बनारस के जो मुंसिफ थे और जो बड़े-बड़े वकील थे जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने, जो माननीय चरण सिंह जी ने कहा था कि कोर्ट को अधिकार नहीं है, कोर्ट बेदखल नहीं कर सकती, इस पर बहुत असंतोष प्रकट किया और इसमें तो कंटेम्ट आफ कोर्ट भी उनके ऊपर चलाने के लिये तैयार थे। मगर उन्होंने सोचा कि राजस्व मंत्री हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट आफ कोर्ट चलाना बड़ा मुश्किल है। और उन्होंने इस आयडिया को ड्राप कर दिया। लेकिन वहां के मुंसिफ ने बड़ा फील किया कि इस तरह से राजस्व मंत्री कैसे कह सकते हैं कि कोर्ट ऐसा फैसला नहीं कर सकती है। मैं ने उदाहरणार्थ संकेतार्थ निवेदन किया। कानून में दो अर्थ तो हो ही जाते हैं लेकिन जहां अनेक अर्थों की गुंजाइश होती है वहां पर यही बात देखी गयी है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास साधन है, जो अफसरों को चाहे अपनी मित्रता के प्रभाव में ला सकते हैं, चाहे अपने धन के प्रभाव में ला सकते हैं किसी न किसी तरीके से जो प्रभावित करने की परिस्थिति में रहते हैं वह प्रभावित करते रहते हैं और अपने पक्ष में फैसले कराते रहते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आज सरकार इस बात को देखे कि जब प्रतिबन्ध था, कम्पलसरी थी, असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर को खेतों पर जाना पड़ता, आज वह कम्पल्शन, जो वह बाध्य हो करके करता, सरकार हटा रही है। सरकार अब असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर को नहीं रखने जा रही है। पहले यह था कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर हर खेत-खेत पर आकर खुद देखेगा, खुद रेकार्ड दुरुस्त करेगा लेकिन अब 'करेगा'

शब्द बदल कर 'करायेगा' में बदल दिया गया और असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर को हटा दिया गया है। इससे सीधा-सादा मतलब यह निकलता है कि यह कार्य अब लेखपाल के जरिये, जो कि पटवारी के स्थान पर प्रतिष्ठित किये गये हैं, कराया जायगा। मैं फिर माननीय मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि यह संशोधन किसानों के पक्ष में नहीं जा रहा है। किसान शब्द अब मैं इस्तेमाल करता हूं तो इस सदन के सम्मानित सदस्यों को भ्रम में न पड़ जाना चाहिये क्योंकि किसान शब्द बड़ा वेग शब्द है और उससे यह अर्थ न लगाया जाय कि जो २००–२०० और ४००–४०० एकड़ के फार्म्स रक्खे हुए हैं उन्हें भी किसान माना जाय। जब जब मैं किसान शब्द का इस्तेमाल करूं तब तब उसका अर्थ जो टिलर आफ दी स्वायल है, जमीन का जोतने वाला है, जो हाथ से मेहनत करता है खेती का काम करता है, उसी से लगाया जाय। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जहां पहले, असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर के लिये खेत खेत पर जाने के लिये पाबन्दी थी अब उस असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर को हटा कर जो लेखपाल को रक्खा जा रहा है उसके लिये भी वह पाबन्दी नहीं रहेगी। अब लेखपाल के लिये इस कानून के अन्दर लाजिमी नहीं है कि वह खेत-खेत, गांव-गांव , मेड़-मेड़ पर जायगा। वह कहीं भी बैठ कर एक गांव का पूरा का पूरा रेकार्ड दुरुस्त कर सकता है। हम ऐसा जानते हैं हमारा ऐसा निजी अनुभव भी है और कभी कभी जो व्यक्ति विशेष द्वारा विचार मुखारबिन्दु से प्रस्फुटित होते हैं वह यही हैं कि ये लेखपाल एक अच्छे स्थान पर बैठ जाते हैं और सारे रिकार्ड को दुरुस्त करते हैं। मैं मौर्य जी से जानना चाहूंगा कि यह तृतीय वाचन है और सरकार की ओर से प्रस्ताव आ गया है कि इसे पारित किया जाय। क्यों पारित किया जाय? इससे किसका फायदा होगा। जब उन्होंने यह संशोधन कर दिया कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर के स्थान पर लेखपाल कार्य करेंगे तो लेखपालों के लिये भी यह क्यों न रक्खा गया कि वे भी खेत खेत पर जायंगे, व गांव-गांव जायंगे। असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर के स्थान पर लेखपालों की जो व्यवस्था की गई इसके लिये सरकार का यह तर्क था कि उसमें पैसा ज्यादा लग सकता था, उतना पैसा खर्च करने में सरकार समर्थ नहीं हो पाती। उस पर मैंने निवेदन किया था कि जो साढ़े ४ और साढ़े ६ रुपये एकड़ लगाने की सरकार ने व्यवस्था पहले से की थी चकबन्दी के लिये वह क्यों की थी? इसीलिये की थी यह व्यवस्था कि जो असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर या और लोग रक्खे जायंगे इस चकबन्दी के काम में जो अतिरिक्त बर्डन पड़ेगा उन पर यह पैसा खर्च होगा।

सरकार ने कहा था कि वह पैसा कहां से आयेगा? इसीलिये यह टैक्स चकबन्दी लगाया गया था और आज भी मैं जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहता हूं और चाहता हूं कि यह बात मेरी सदन के बाहर किसानों के कानों तक पहुंचे और किसानों के नुमाइन्दे माननीय राजस्व मंत्री को मैं बताना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से किसान आज यह बात कहता है कि इतना अधिक टैक्स साढ़े ४ और साढ़े ६ रुपये फी एकड़ का जो सरकार किसानों से ले रही है यह अनुचित है और किसानों पर अन्याय है कि उन पर इतना बड़ा बोझा डाला जा रहा है, किसान उसे बर्दाश्त करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। पहले से ही उन पर टैक्स लदे हुए हैं और धीरे-धीरे उन पर टैक्स का पहाड़ लादा जा रहा है। अभी चन्द महीने पहले नहर रेट बढ़ा था, उसके विरोध में एक क्षोभ हुआ, सारे प्रान्त का वातावरण विक्षुब्ध हुआ और जन आन्दोलन अपनी जगह पर हुआ और ३ हजार आदमी जेलखाने गये। यह बात निर्विवाद है इसको मान लेना चाहिये। मैं इस बात के तर्क-वितर्क में नहीं पड़ता कि वह सत्याग्रह था या सम्मानित मंत्री के मुखारबिन्दु से प्रस्फुटित शब्दों के अनुसार दुराग्रह था। यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। अब मैं समझता हूं कि इस विवाद का अन्त हो चुका है। जहां तक मेरी जानकारी है अभी पं० जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस के प्रेसीडेंट हैं, उन्होंने एक गश्ती चिट्ठी कांग्रेस कमेटियों को भेजी है जिसमें यह बात साफ कर दी गई है कि सत्याग्रह का स्थान जनतंत्र में होता है। तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कि जनतंत्र में सत्याग्रह का स्थान है या नहीं, कांग्रेस के प्रेसीडेंट की गश्ती चिट्ठी के पश्चात

[श्री राजनारायण]

दूर हो गई होगी और वह भ्रम निकल गया होगा। क्योंकि हम तो सत्याग्रह शब्द को छोड़ चुके थे और वह इस वजह से कि इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिये।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यहां पर इस समय चकबन्दी विधेयक का तीसरा वाचन चल रहा है। इसमें वह सत्याग्रह या दुराग्रह की व्यवस्था कर रहे हैं कि उनके मत में यह किस प्रकार से आते हैं। इस संबंध में उनका यहां पर इस प्रकार अपना मत प्रकट करना क्या उचित है? मैं इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो इस प्रश्न को माननीय नेताविरोधी दल पर ही छोड़ देता हूं और मुझे आशा है कि वह इस पर ध्यान देंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपके जरिये से यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवस्था का प्रश्न कब उठाया जाता है इस पर वह स्वयं ही विचार करें। इस प्रकार के खड़े होने से सदन की मर्यादा नहीं बढ़ सकती है। यहां पर सेंट्रल कैबिनेट के एक सदस्य बैठे हुये थे तो यहां से उठने पर इस सदन के बारे में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया था। मैं उसको यहां पर नहीं कहना चाहता। लेकिन मुझे जहां तक याद पड़ता है मैंने अध्यक्ष महोदय से उनके विषय में निवेदन किया था। यह भी कहना चाहता हूं कि गैलरी में और ऊपर की गैलरी में बहुत से लोग आते रहते हैं, दूसरे प्रांतों से भी लोग आते हैं और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यहां बैठे रहते हैं तो उनको भी इस प्रकार के प्रश्न यहां पर उठाये जाने पर मालूम होता होगा कि किस प्रकार के व्यवस्था के प्रश्न यहां पर उठाये जाते हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस समय भी कोई स्पीकर या डिप्टी स्पीकर गैलरी में बैठा हुआ है?

श्री राजनारायण—इस सदन की मर्यादा तो सभी को सुरक्षित रखनी चाहिये अकेला बापुरा राजनारायण के संभाले यह संभलने वाली नहीं है। हमतो बराबर प्रयत्नशील रहते कि सदन की मर्यादा बढ़े और वह ऐसी मर्यादा हो कि जो हमने लोकतंत्र का आधार बनाया है उसी पर आधारित हो। हमारे माननीय मित्रों को समझना चाहिये कि जो जो धारायें परिषद से संशोधित होकर आयी हैं उसी पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मैं जनहित में यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं क्योंकि शिक्षा से भी इसका संबंध हो जाता है। जब हम यहां पर देखते हैं कि हमारे प्रांत में बच्चे स्कूलों में नहीं जा पायेंगे और उसका कारण यही हो सकता है कि चकबन्दी का बोझ उनके ऊपर पड़ेगा। हमारे राजस्व मंत्री जी ४।। और ६।। रुपया फी एकड़ उनसे वसूल करने की सोच रहे हैं तो इसका बोझ उनके ऊपर पड़ेगा। इसी कारण से हम इस विधेयक के पास होने में उस परिस्थिति को पैदा करना नहीं चाहते हैं। मैं श्रीमन्, बैठने के लिये तैयार हूं कि अगर सरकार इस ४।।, ६।। रुपये एकड़ वाली बात को वापस ले ले। किसानों की हालत आज बहुत गरीब है वह इतने रुपये नहीं दे पायेंगे और उनकी हालत इससे भी खराब हो जायेगी। मैं आपकी सेवा में .....

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—प्वाइन्ट आफ आर्डर, श्रीमन्, मैं बीच में बोलना नहीं चाहता था लेकिन जब नहीं रहा गया तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कौंसिल से जो संशोधन आये हैं उनमें यह ६।। और ४।। रुपये एकड़ की बात कहां से आयी है। माननीय नेता विरोधी दल इस पर बोले चले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं यह देखता हूं कि सदन में माननीय सदस्यों को कुछ थकान आ गयी है। माननीय मौर्य जी दूर बैठे हुये हैं उनको मनाना जरूरी है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं। मैं अब मौर्य जी को मनाने की कोशिश करूंगा। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफीसर जो खेतों पर जाकर रिकार्ड दुरुस्त करते उस क्लाज को क्यों हटाया जा रहा है? इसके लिये उनके पास क्या तर्क है? यही न कि पैसा ज्यादा खर्च हो जायगा। पैसा के खर्चा के लिये ही तो आप साढ़े चार और साढ़े छः रु० प्रति एकड़ ले रहे हैं? अगर इस त्रुटि को जो इसमें रह गयी है सदन को बताया जाता है, त्रुटियों पर प्रकाश डाला जाता है तो वह चाहते हैं कि ऐसा न होने पाये। सब लोग अंधकार ही में रहें। लेकिन मैं अपनी आवाज बुलन्द कर कहना चाहता हूं कि अगर आप उस खर्चे को नहीं कर रहे हैं तो किसानों से जो साढ़े चार और साढे छः प्रति एकड़ वसूल किया जा रहा है, आप उसको कम करें। आठ आना या एक रुपया से ज्यादा नहीं होनी चाहिये, माननीय मौर्य जी तो चकबन्दी को देखने के लिये पंजाब गये थे। वहां पर क्या रेट है। वहां प्रत्येक किसान को कितना देना पड़ता है और उसकी सीमा से लगे हुये हमारे प्रदेश के किसान पर उसका कितना बोझा डाला जा रहा है? दूसरी ओर इन असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर्स से जो चीज स्वयं करायी जा रही थी वह भी नहीं करायी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी नियुक्ति कैसे होगी। आशा है, माननीय मौर्य जी इस पर रोशनी डालेंगे। करीब ८०० के लोगों ने असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर की पोस्ट्स के लिये अर्जियां दी थीं और उनको इंटरव्यू में बुलाया गया था। उनका एक डेप्यूटेशन मुझसे मिला और मुझे बताया कि किस तरीके के क्वेश्चन्स वहां पूछे गये। केवल एक एक क्वेश्चन पूछा गया कि कहां तक पढ़े लिखे हो, नाम क्या है। यह भी एक बड़ी गलत चीज है कि आप इस प्रकार का आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रामीण जीवन से परिचित हैं, वे लोग उसमें नहीं लिये जा रहे हैं। मैं अब ग्रामवासी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर इन बातों को यहां न कहा जायगा तो कहां कहा जायगा। अगर हम इन बातों पर प्रकाश डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बातें उजाले में आ जायं तो हमारे रास्ते में ५० प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। मैं माननीय ग्रामवासी जी और माननीय मौर्य जी से यह कह देना चाहता हूं कि यह गुत्थियां हैं जिनको सजग होकर सुलझायें तभी वे सुलझा सकते हैं। माननीय मौर्य जी और राजस्व मंत्री जी बार बार कह देते हैं कि उनके लीगल ऐडवाइजर ने यह सलाह दे दी है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वे तो सारे जनतंत्र को हिला रहे हैं। मैं उसके बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता लेकिन उदाहरण के लिये कह देना चाहता हूं कि जनतंत्र पर इस प्रकार से पग-पग पर कुठाराघात किया जा रहा है। बदायूं के इलेक्शन के सिलसिले में भी २५ तारीख को वायर जाता है कि रैंपिंग न किया जाय। लेकिन बाद में दिल्ली से आर्डर आता है कि रैंपिंग मे बी अलाउड। इस प्रकार से पग-पग पर जनतंत्र प्रणाली में, स्वतंत्र वोट में बाधा पहुंचाई जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से ज्यादा तो नहीं कहना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि वे अपने को विचाराधीन विषय तक ही सीमित रखें।

श्री राजनारायण—मैं माननीय मौर्य जी से कहना चाहता हूं कि वे यह देखें कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर्स की नियुक्ति कैसे होगी।

श्री उपाध्यक्ष—इस बात को माननीय सदस्य कई बार कह चुके हैं।

श्री राजनारायण—अब मैं अपनी पहली बात पर आना चाहता हूं जिसके बारे में मैं पहले भी सदन में निवेदन कर चुका हूं जब कि यह संशोधन विधेयक हमारे विचारार्थ उपस्थित हुआ था और जिसका माननीय मौर्य जी ने तथा माननीय राजस्व मंत्री जी ने समाधान भी करने की कोशिश की।

[श्री राजनारायण]

मगर एक तरीके से अपनी जगह पर और अब भी हैं। वह है श्रीमन् गोचर भूमि के संबंध में। गोचर भूमि के संबंध में सरकार की नीति बिलकुल ढुलमुल यकीनी है। इस संबंध में सरकार की कोई नीति ही नहीं है क्योंकि गोचर भूमि के संबंध में सरकार की नीति तब तक स्पष्ट नहीं मानी जायगी ....

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—माननीय वक्ता से कहा जाय कि वे जरा गाय के ऊपर भी बोलें।

श्री राजनारायण—गाय की बात माननीय मंत्री जी जानना चाहते हैं तो वह विवाद तो खतम होगया है। प्रेमलता वाली बात बहुत पुरानी हो गयी इसलिये अब मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तो श्रीमन्, मैं गोचर भूमि के संबंध में अर्ज कर रहा था और आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को स्पष्ट तरीके से यह तय करना पड़ेगा कि जितनी जोत की जमीन है उसका कौथा हिस्सा गोचर भूमि में रहेगा। श्रीमन्, आज तक जो विशारद हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं और कृषि शास्त्र के पंडित हैं, करीब-करीब उन सब लोगों ने इस बात को मान लिया है कि हमको १/८ से लेकर १/१६ के अन्दर-अन्दर तक गोचर भूमि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मगर मैं माननीय मौर्य जी से जानना चाहता हूं कि जोत में जो जमीन है उसका कौथा हिस्सा आप गोचर भूमि के लिये छोड़ रहे हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमन्, क्या माननीय सदस्य को इस बात के लिये छूट है कि संशोधन से जिस बात का कोई ताल्लुक न हो उसको भी कहते चलें ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं विलम्ब होने के भय से मूल अधिनियम को पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं। श्रीमन्, जो संशोधन विधेयक रखा गया है उसके पहले ही पेज पर आप देखें, ताकि माननीय सदस्य और ग्रामवासी जी खड़े होकर न कहने लगें कि यह संगत नहीं है। यह है:—

(२) मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (२) में "अपवाद" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

स्पष्टीकरण—इस खंड में "जोत" में ऐसी भूमि का अन्तर्भाव है जो पशुचर भूमि के रूप में काम में लाई जाती हो या काम में लाई जाने के लिये अभिप्रेत (Intended) हो। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस "इन्टेंडेड" शब्द को क्यों रखा गया, इसके रखने की क्या जरूरत है, आज तक माननीय मौर्य जी ने कोई स्पष्ट बात इस सदन में प्रस्तुत नहीं की। आखिर इस शब्द में कौन सी ऐसी विशेषता है, इससे कौन सा मूलभूत परिवर्तन हो रहा है इसको माननीय मौर्य जी ने सदन में स्पष्ट तरीके से नहीं बतलाया है। चौथी बात जो मूल अधिनियम के पेज २ पर है उसको भी मैं पढ़ देना चाहता हूं ताकि कोई यह न कह सके कि यह धारा से संगत नहीं है। वह है मूल अधिनियम की धारा ८ (३) उपधारा (४) में संख्या ३० के स्थान पर संख्या २१ रख दी जाय। ३० के स्थान पर २१ क्यों रखा जा रहा है, इसका क्या औचित्य है कि ९ कम किया जा रहा है, इस संबंध में भी माननीय मौर्य जी को इस सदन को स्पष्ट तरीके से बतलाना चाहिये। श्रीमन् मुझे बहुत ही परेशानी हो जाती है जब मैं इस सदन में तथा इस सदन के बाहर भी उनसे विनम्र निवेदन करता हूं परन्तु हर समय सरकार हठवादिता के पूंछ को पकड़े रहती है। उस समय मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूं। और मैं समझता हूं कि माननीय मौर्य जी के लिये यह कोई शोभनीय बात नहीं है। मैं यह निवेदन कर दूं कि माननीय मौर्य जी के लिये यह ठीक नहीं है कि यहां पर आपस में ऐसी बात कही जाय, अगर उन का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का कोई आपसी झगड़ा है तो उस को वह यहां पर टालने की कोशिश करें और जो कहते हैं उसमें कुछ अन्योक्ति है, मालूम होता है कि वह उसके द्वारा कोई पुरानी

स्मृति को लाना चाहते हैं, इससे मैं समझता हूं कि सदन के समय का दुरुपयोग होता है और समय नष्ट होता है। इसलिये अगर ऐसी बात है तो वह बाहर जा कर निबट लें। सदन का समय क्यों खराब करते हैं। संशोधन जो लाये गये हैं वह अगर हित में होते तो ठीक था, उनसे कोई लाभ किसान को होने वाला नहीं है। हम भी चाहते हैं कि चकबन्दी हो, किसानों को लाभ हो, किसान अपनी जोत को एकत्रित करे यानी एक जगह केन्द्रित करे ताकि उसकी जितनी ताकत है उसकी जितनी एनरजी है उस का ठीक से उपयोग हो और उस से अन्न का उत्पादन बढ़े और उसका और देश का लाभ हो। जिस रूप में सरकार ऐक्ट बनाती चली जा रही है और संशोधन लाती चली जाती है उस से कोई किसानों का लाभ होने वाला नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि महीने दो महीने में जब भी वह काम शुरू करें उस से पहले एक दो पन्ने का इस में संशोधन और लावें और उस के जरिये से जो वह साढ़े ४ और ६ रुपया किसान के ऊपर डाल रहे हैं उस की जगह वह ८ आने या ज्यादा से ज्यादा १ रुपया रखें या मैं तो कहूंगा कि उसके ऊपर एक पैसा भी न डालें और फ़ी कर दें क्योंकि वह आलरेडी इतना पैसा दे चुका है कि उसकी कमर टूट चुकी है और वह अब एक पैसा भी देने में असमर्थ है और उससे अगर इतना पैसा अब भी सरकार की लेने की नियत है तो यह उसके साथ ज्यादती है। अगर माननीय मौर्य जी एक दो महीने में इस तरह का संशोधन इस में एक पन्ने का ले आयें तो किसान उन की बड़े मुक्त कंठ से प्रशंसा करेगा, क्योंकि वह तो पहले ही आपके खजाने को अपने आखिरी पैसे से भर चुका है और अच्छा हो कि उसी पैसे से अब उसका कंसालिडेशन आफ होल्डिंग का काम कर दिया जाय। जहां पर असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर की बात थी वहां आपको उसको रखना पड़ेगा और जरूरत है वहां एक जिम्मेदार आदमी के रहने की जो खेत-खेत पर और खाते खाते पर जाय और गांव-गांव में जाकर तमाम जो झगड़े हैं, जो गड़बड़ियां हैं, जो किसानों के गलत इन्दराज हैं उनको अपने दिमाग को व्यापक बना कर तय करे और जनहित में प्रयोग करके सब ठीक करे। और यह न होना चाहिये कि बगैर रिकार्डस को ठीक किये ही रिकार्ड दुरुस्ती का काम पूरा समझ लिया जाय। तीसरी बात यह है कि किसान का आब्जेक्शन्स रेज करने का काल जो घटाया जा रहा है उस में कोई बड़ी बुनियादी आपत्ति नहीं है लेकिन अगर वह ख्याल करें तो वह समझ पायेंगे कि किसान के पास कितनी देर में खबरें पहुंचती हैं। हम लोग जब यहां से निकल पाते हैं और किसानों में जा कर उनको बताते हैं तब उनको कुछ मालूम होता है। हमारे माननीय मौर्य जी तो यहां राज काज में फंसे रहते हैं, उनको तो फुरसत ही नहीं रहती और न वह इस तरह के कोई पेम्फलेट या नोटिस ही निकलवाते हैं कि उनके क्या हक बढ़ाये जा रहे हैं या यहां क्या हो रहा है। हम तो बारबार कहते कहते थक गये कि किसी तरह से किसानों तक यह बातें पहुंचाने की सुविधा की जाय। इसलिये मैं यह समझता हूं कि अब मौर्य जी यह तो समझ ही गये होंगे कि इस समय इस में काफी दोष रहे जा रहे हैं और आशा है कि वह इन दोषों को जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे और उन दोषों को हटाकर ही यह कंसालिडेशन योजना सफल हो सकती है और अन्न की वृद्धि देश में हो सकती है, वरना मौर्य जी का तमाम स्वप्न एक स्वप्न ही रह जायगा और किसानों की गरीबी बढ़ती ही जायगी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे विरोधाचार्य राज नारायण जी का उत्तर ठीक-ठीक तो हमारे यहां से माननीय शिव नारायण जी ही दे सकते हैं, दूसरा तो कोई ऐसा दिखलाई नहीं देता। वह तो शिव और राज दोनों हैं 'नारायण' उन में कायम है लेकिन 'शिव' राज पर सदा विजयी होता है यह ठीक है। तो मैं तो उनका यथार्थ उत्तर दे पाता नहीं। मेरी तो उनको उत्तर देने की हैसियत ही नहीं है। आप जब बहस करते हैं तो उसको सुनते हुये एक किस्सा याद आता है कि आप किस तरह से बहस में बात को घसीटते हैं। एक बुढ़िया सोई हुई थी। उसके ऊपर एक खटमल रेंग गया तो बुढ़िया चिल्लाने लगी। मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गये और उन्होंने पूछा कि क्यों चिल्ला रही है? तो उसने रोना शुरू किया कि आज खटमल रेंगा है, पास हुआ है, कल बिल्ली पास होगी, फिर इक्का निकल जायगा और फिर रेलगाड़ी निकल जायगी और इस तरह से बुढ़िया उस खटमल की

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]

बात को रेलगाड़ी तक खींच ले गई। इसी तरह से हमारे विरोधाचार्य महोदय जी अपने तर्क को खींचने लगते हैं तो खटमल से ले कर रेलगाड़ी तक पहुंच जाते हैं, तो यह उनके तर्क का तरीका है। इस पर दो रोज से बात हो रही है और यह जो चकबन्दी संशोधन विधेयक पास हुआ उसकी एक एक धारा पर विचार हो चुका और हर एक का अच्छी तरह से समाधान किया गया कि जो संशोधन वहां से होकर यहां आये हैं वह अपनी जगह पर सही है। आप कहते हैं कि साढ़े चार रुपया जो टैक्स लगाया गया है, किसान उससे मर जायेंगे। चकबन्दी जब होगी तो उसमें खर्चा लगेगा, अब यह खर्चा कहां से आयेगा? आप के कहने के अनुसार तो यह होगा कि सौदा लिया जाय लेकिन उसका दाम न दिया जाय। किसान इसमें साढ़े चार रुपये को नहीं देख रहा है, और अगर उस नजर से आप इसको देखते हैं तो आप खुद गलती करते हैं। किसान आज गंवार नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह कहने का साहस करता हूं कि जो आज किसान को गंवार समझता है उससे बड़ा गंवार मैं किसी और को नहीं समझता। किसान अपने हित को अच्छी तरह समझता है। 'हित-अनहित पशु पक्षिहु जाना।' किसान अपनी भलाई और बुराई को अच्छी तरह से जानता है। आज चकबन्दी के लिये तकाजा है। जब यह अधिनियम पास हुआ और किसान जान गया कि इसमें क्या-क्या बातें हैं। उनको जानते हुये भी किसान आज कोई शिकायत नहीं करता है। आपने जैसा कहा, मैं शहर में रहता हूं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं शहर में जितना वह समझते हैं उतना नहीं रहता और मैं हर हफ्ते सौ दो सौ मील का चक्कर गांव में जा कर लगा आता हूं। मैं गांव-गांव में जाया करता हूं और आपका ख्याल गलत है। तो मैं आपसे कह रहा था कि चकबन्दी अधिनियम जो बना है वह किसान जानता है और साढ़े चार रुपया जो टैक्स लगाया गया है उसको जानते हुये भी, हमारे जिले के लोग और आस पास के जिलों के लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां चकबन्दी कब कराओगे? चकबन्दी के लिये किसान की जबरदस्त मांग है और वह कहते हैं कि हमारे यहां चकबन्दी कराई जाय। तो जब किसान की चारों तरफ से ऐसी मांग दिखाई पड़ती है तो उस समय यह कैसे माना जाय कि जो आपने कहा कि यह विधेयक पास हो जाने से किसानों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, वह बरबाद हो जायगा, वह मर जायगा, यह सही है। जब किसान के लिये यह अहितकर है तो किसान इसका स्वागत क्यों कर रहा है? आपने बीच-बीच में मुझ पर बड़ी कृपा की और मेरा नाम लिया। इसीलिये मुझे बोलने की इच्छा हुई, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं आपका समाधान नहीं कर सकता और न मेरा आपसे बोलने का साहस ही होता है। हमारे यहां तो शिवनारायण जी रिजर्व कर दिये गये हैं आपका उत्तर देने के लिये। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो चकबन्दी अधिनियम पास हुआ है उसका स्वागत हुआ सब तरफ से और इसमें जो संशोधन आये हैं, उसमें जो खामियां थीं उनको ठीक करके परिषद ने उन पर काफी विचार करके हमारे पास भेजा है। इन पर हमने विचार किया और यह माना कि यह सारे के सारे संशोधन निहायत उचित हैं और मुनासिब हैं और न इसमें कहीं किसान मर रहा है, न जर रहा है और न बरबाद हो रहा है। किसान की आर्थिक अवस्था अच्छा बनानेवाली यह व्यवस्था है। इस वास्ते मैं यह निवेदन करूंगा कि शब्द फजूल खर्च करने के लिये भगवान ने नहीं बनाये हैं और आप इनको जरा सम्भाल करके एक संयत भाषा में किफायत के साथ प्रयोग किया करें। फिजूल दो-दो घंटे, ४५-४५ मिनट बोलते जायेंगे और शब्दों की छीछालेदर करेंगे, यह शब्दों के साथ अन्याय है। मैं इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर मैंने एक दिन अपने मिश्र जी को कहते सुना था "महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस।" आज राज नारायण जी और मिश्र जी ने, दोनों ने इस बात को साबित कर दिया कि वह एक हवा के साथ बहते हैं और यह भी। मुझे इसका बड़ा खेद है। दोनों पड़ोसी हैं, एक मिर्जापुर में रहता है और दूसरा बनारस में।

जो अमेंडिंग बिल है, यह जो अपर हाउस से पास होकर यहां फाइनल होने के लिये आया है, उसकी थर्ड रीडिंग पर मैं गवर्नमेंट को बतलाना चाहता हूं कि आज किसान वाकई लालायित हैं चकबन्दी के लिये। लेकिन मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि वह चकबन्दी पेचीदगी के साथ न बनायी जाय। जहां पर पेंच पैदा कर देंगे वहां वाकई किसान उलझ जायगा। इसी तरह कंसालिडेशन आफिसर, कंसालिडेटर, लेखपाल, इन तमाम पालों का जिक्र किया जा रहा है इस सदन के अन्दर। लेखपाल, लेखपाल हों, लेकिन मैं उनको दुखपाल समझता हूं। मैं आपके द्वारा "पायनियर" के रिपोर्टरों को बताना चाहता हूं, उस दिन अखबार में गलत रिपोर्ट छाप दी थी, मैंने पटवारियों को कभी समर्थन नहीं किया, मैंने किसी पटवारी या लेखपाल का समर्थन नहीं किया। मैंने हमेशा उनका विरोध किया है। मैं जानता हूं कि माल विभाग में ये लेखपाल कितनी गड़बड़ी करते हैं और आज भी गड़बड़ी कर रहे हैं। आज भी जनता उनसे सशंकित है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि उनके जो सुखपाल हैं या लेखपाल हैं, मैं तो इनको दुखपाल ही समझता हूं, उनको चेक किया जाय और देखा जाय कि गड़बड़ी न होने पाये। यह चकबन्दी कानून जो अमेंड होकर आया है उसमें बाज जगहों पर हेरफेर किया गया है। मैं कहता हूं कि इतना टेक्निकल पेंच क्यों रखा जाय? साफ साफ शब्द होने चाहिये जो जिस खेत को जोतता है वह उसके पास रहेगा, यह साफ-साफ बात है। इसमें पेचीदगी क्यों लायी जाय? चकबन्दी का कानून पास हुआ था, प्रेसीडेंट का इसके ऊपर दस्तखत हो चुका। आज जल्दी से जल्दी इसे लागू करने की जरूरत है। आज किसान बार-बार कह रहा है कि चकबन्दी की जाय लेकिन हमने देखा कि यह शब्द "जहां तक संभव हों" रख दिये जायं "केवल" के बजाय "केवल और संभव हों" में कौन सी एक पेंच की बात माल विभाग के लोगों ने पायी, यह मैं नहीं समझता या माननीय मौर्य साहब ने इसमें कौन सी पेचीदगी की बात पायी जो यहां बैठे हुये हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि चीजों को बहुत साफ होना चाहिये। आज चूंकि यहां सवेरे गोवध का नारा लग रहा था सड़क पर, उसका कुछ रेफ्लेक्शन शायद हमारे राजनारायण सिंह जी के दिमाग पर था और उन्होंने गोचर शब्द का प्रयोग यहां किया। मैं उसको क्लीअर कर देना चाहता हूं कि गो रक्षा और गोचर भूमि की रक्षा के लिये सरकार प्रयत्न कर रही है लेकिन कौन उसको हड़प कर रहा है? हम और आप। हमी लोग उसको हड़पने वाले हैं। आज भी डंडे के बल पर लोग उनको हड़प कर रहे हैं। जो देखना चाहें, मैं उनको ले चलकर दिखा सकता हूं। आज भी हमारी कांस्टीच्युएंसी में बड़ी मुसीबत है गरीब किसानों की। माननीय शिक्षा मंत्री बगल में बैठे हुये हैं। मैं उनसे ऐप्री करता हूं, उनकी ओपीनियन से, मैं कदम ब कदम मानता हूं उनकी बात को कि आज भी लोग ज्यादती कर रहे हैं। ठाकुरों और पंडितों के मुकाबिले में गरीब नहीं चल पाते हैं। माननीय राजनारायण जी भी वही करते हैं। सोशलिज्म और कम्यूनिज्म प्रीच होता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस वाले कम नहीं आपसे अमल कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि हम बहुत सुयोग्य हैं तो हम भी आपसे सुयोग्यता में कम नहीं हैं। यह तमाम बातें जो कही जाती हैं, वह कही जायं, मगर ढंग से कहने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर का जिक्र किया गया और कहा गया कि वह मेड़ से मेड़ नहीं जा पायेगा। हमारे माननीय मौर्य जी ने कहा था कि फिजिकल लेबर बहुत हाई होता है, तो क्या मेंटल लेबर करके कोई चकबन्दी कर लेगा? जाना पड़ेगा मेड़ टु मेड़। जो नहीं जायगा वह बदनाम हो जायगा। हम लोग सतर्क हैं। इन सोशलिस्टों की गालियां हम नहीं बरदाश्त करेंगे। हम साथ-साथ जायेंगे और साथ-साथ जाकर चकबन्दी करायेंगे और कांग्रेस के आदमियों से कहेंगे कि चेक कीजिये। लेकिन यह सरकार भी सचेत रहे। उसके जितने नये-नये अफसर, हरिश्चन्द्र जो बताये जा रहे हैं, उनके ऊपर चेक लगायें। मैं उनको चोर नहीं कहता, मैं किसी को चोर नहीं समझता लेकिन जरूरत इस बात की है कि चेक लगायें उनके ऊपर। यह ठीक नहीं है कि हम सबको चोर कह दें। मैं किसी को चोर नहीं कहता लेकिन जरूरत इस बात की है कि ठीक तरह से देख भाल की जाय। मैं इस चकबन्दी विधेयक का वेलकम करता हूं। आज गवर्नमेंट इसको लाना चाहती है लेकिन जनता की भी डिमांड है कि यह विधेयक जल्द से जल्द लागू किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं श्री व्रजभूषण जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बिलकुल सच बात कही और इस तरह से अपनी पराजय मान कर शिवनारायण जी के मुकाबिले में उन्होंने सच्चाई के साथ स्थान दिया है। मैं भी मन में सोचा करता था कि माननीय व्रजभूषण जी जो आज से ८,१०,१५ साल पहले थे उसमें अब बहुत अन्तर हो गया है। जब वह बनारस राज्य के किसानों के काश्तकार थे, खिदमतगार थे, उसमें और आज के विधान सभा के सदस्य होने में बहुत अन्तर है और वह आज माननीय शिव नारायण जी से बहुत पीछे हैं। जब शिव नारायण जी खड़े होते हैं तो वह हमें चाहे कितना ही भला बुरा कहें लेकिन कम से कम वह वस्तु स्थिति पर प्रकाश डालने में तनिक भी कोताही नहीं करते हैं। आज भी उन्होंने ऐसी बात कही है जिसको सुनकर जो समाज की सेवा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वह उनकी अवश्य प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते।

माननीय व्रजभूषण जी ने इस बात को दिमाग में रखते हुये श्री राज नारायण और शिव नारायण जी की तुलना की है वह निन्दनीय बात है। मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य के संबंध में इस तरह के विचार रखना उचित नहीं है। यह मैं उनके ऊपर ही छोड़ता हूं कि वह स्वयं विचार करें कि किस दृष्टि से और कौन सी बात मन में रखकर उन्होंने राज नारायण जी की और शिव नारायण जी की तुलना की है। मैं समझता हूं कि श्री राजनारायण जी से या अपने से मैं शिव नारायण जी को किसी भी हालत में कम मानने के लिये तैयार नहीं हूं या किसी और माननीय सदस्य को कम मानने के लिये तैयार नहीं हूं। हम तो बराबरी के हामी हैं। हम न ऊंचे बनने की बात सोचते हैं और न नीचे बनने की बात सोचते हैं। और हम तो बराबरी में रहना चाहते हैं। शिव नारायण जी से ऊंचे होने की बात भी हम नहीं सोचते।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैंने ऊंची नीची भावना के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री गेंदासिंह—ऊंची नीची की भावना है या नहीं,] यह तो मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया है।

अब मैं इस विधेयक के संबंध में दो एक बात कह दूं। मैं माननीय व्रजभूषण जी से और सदन से यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक कई मर्तबा सदन के सामने आ चुका है। मूल विधेयक, जिस समय चकबन्दी की योजना सरकार के दिमाग में आई, उस समय सदन के सामने आया और कुछ विचार-विनिमय के बाद पास हो गया और फिर उस पर कुछ जगहों पर काम नहीं हुआ और फिर यह सदन के सामने संशोधन के लिये आ गया। हमने उसी समय अपना भय प्रगट किया था कि सरकार जिन भावनाओं को लेकर सब से पहले यह योजना लाई थी उससे अब कुछ पीछे हटती दिखाई दे रही है। मैं इस संबंध में दो एक बातें निवेदन कर दूं। जो कमजोरी देखी थी वह यह थी कि जहां भूमि प्रबन्धक समिति नहीं होगी वहां उस समिति के स्थान पर किसी विशेष अधिकारी के सुपुर्द यह काम कर दिया जायगा। इस पर हम लोगों ने बड़ी मुखालिफत की और हमने यह कहा था कि अगर चकबन्दी करने की इच्छा वहां की जनता को होगी तो फिर सरकार को इसलिये घबराना नहीं चाहिये कि कौन उसकी मुखालिफत करता है। सरकार एक आर्डिनेंस के रूप में एक प्राधिकारी को नियुक्त करेगी और उसकी देख रेख में चकबन्दी होगी। इससे सरकार का मंशा पूरा नहीं होता है। लेकिन सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और सरकार ने यह कानून पास करा लिया, संशोधन पास करा लिया कि जिस गांव में भूमि प्रबन्धक समिति, जिसकी हैसियत सलाहकारिणी समिति की होगी वह होगी, उसकी सलाह पर एक ही प्राधिकारी गांव की चकबन्दी के काम को देखेगा। तो चाहे सरकार उसके लिये नाराज हो, लेकिन यह जो सरकार के मन में एक भावना थी वह प्रतिक्रियावादी भावना है।

फिर जब मैं कहता हूं या माननीय राजनारायण जी यह कहते हैं कि आज लेखपालों से सरकार थोड़ा सा सतर्क रहे, लेखपालों के इस काम के शुरू करने में पड़ताल का काम अब से कराया जाना संभव हो सकता है। पहले ऐक्ट में इस बात की गुंजाइश रखी गई थी कि यह काम जो पड़ताल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किए।

का है यह नायब तहसीलदारों से, असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर्स से हम करायेंगे और इस काम के लिये इस बात की भी गुंजाइश रखी गयी थी कि जब पहले पहल दो रुपये और ढाई रुपये एकड़ खर्चे की बात सोची गयी थी कि यह चकबन्दी का खर्चा होगा तो फिर जब यह बात सोची गयी कि असिस्टेंट कंसालिडेशन अफसर ही गांव गांव की पड़ताल करेगा तो उस समय यह सोचना पड़ा कि ४ रुपये, साढ़े चार रुपये और ५ रुपये एकड़ तक भी इसका खर्च पड़ सकता है। क्योंकि असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर्स की तादाद ज्यादा होगी, उनको वेतन अधिक देना पड़ेगा और ऐसा नकशा भी सरकार की तरफ से रखा गया था। लेकिन जब सरकार ने यह संशोधन विधान परिषद में स्वीकार करा लिया कि अब पड़ताल असिस्टेंट कंसालिडेशन अफसर से नहीं करायेंगे तो क्या सरकार के लिये यह उचित नहीं था कि वह यह भी वहां से स्वीकार कराती और घोषणा करती कि जितना खर्चा भी हम पहले लेना चाहते थे उससे अब आधा लेंगे और उस से कम रेट पर कंसालिडेशन का काम हो सकेगा? क्या सरकार असिस्टेंट कंसालिडेशन आफिसर पर जो रकम व्यय करने वाली थी उसको आज वसूल करके नफे का काम इस चकबन्दी में भी करना चाहती है? क्योंकि हमारी सरकार की एक आदत हो गयी है कि भले ही विदेश से चीनी मंगाने का काम हो, उसमें भी कंज्यूमर्स के गले पर छुरी चलाने का काम करने से सरकार नहीं हिचकती। तो अगर इस मौके पर भी हम यह सोचते हैं कि सरकार मुनाफा कमाना चाहती है, कुछ करोड़ रुपये नफा लेना चाहती है तो सरकार को उसकी सफाई देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जरा मैं यह बताऊं सरकार को कि जब सरकार को इतना भरोसा है कि इस प्रांत की जनता व्याकुल है, आकुल है, कंसालिडेशन कराने के लिये, तो इस कानून के मातहत मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से, कि आखिर यह सरकार क्यों इस बात की गुंजाइश कर रही है कि जो लोग चकबन्दी करायेंगे उनके ऊपर जो रसूम होगा, जो खर्चा होगा उसे मालगुजारी के तौर पर वसूल किया जायगा? उसके मानी यह हैं कि कुर्की की जायगी, उनके माल मताअ को कुर्की करके नीलाम किया जायगा, लोग गिरफ्तार किये जा सकते हैं। अगर यह मानी न हों तो मालगुजारी की तरह वसूल करने के क्या मानी हो सकते हैं? सरकार तो ऐसा मालूम होता है कि खुद समझती है कि इसका विरोध बड़े पैमाने पर होगा और स्वागत बड़े पैमाने पर नहीं होगा जैसा कि वह दिखाती है। अगर सरकार समझती है कि इसका बड़े पैमाने पर स्वागत होगा तो मालगुजारी के तौर पर कुर्की और नीलाम की बात यहां कभी न रखती। तो मैं यह बात कह कर सरकार का ध्यान दिलाना चहता हूं कि सरकार अपनी कथनी और करनी में थोड़ा समन्वय करे।

मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं। सरकार ने एक बड़ा भारी काम पड़ताल का किया है और अगर यह सफल हो जाय, जिस तरह से पड़ताल बरेली और सुल्तानपुर में सफल हुई तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा भारी काम सरकार कर पायेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दो दिन के लिये देवरिया गया था और उन दो दिनों में देवरिया के उस हिस्से में गया था जो कांग्रेस का गढ़ है। वहां के किसानों का यह कहना है कि इस पड़ताल में जितनी भी भयानक गड़बड़ी हो सकती है वह सब हो रही है। मैंने पूछा हजारों आदमियों के बीच में कि भला कानूनगो लोग तुम्हारे गांव में पहुंचते हैं? उन्होंने कहा नहीं पहुंचते हैं। मैंने पूछा कि लेखपाल तुम्हें कागज सुनाता है। उन्होंने कहा नहीं सुनाता है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से माननीय राजस्व मंत्री को दावत दूंगा और दोपहर के पहले मैंने माननीय राजस्व मंत्री से कहा भी और अब फिर कहता हूं कि माननीय मौर्य जी और ठाकुर हरगोविन्द सिंह जी यहां बैठे हैं और सब कैबिनेट के लोगों से कहता हूं कि अगर वह पड़ताल सही कराना चाहते हैं तो वे भी हवाई जहाज या मोटर पकड़ें और देखें कि क्या हो रहा है, कलेक्टर कहां सो रहा है और कानूनगो और लेखपाल अपना काम ठीक से करते हैं या नहीं। लेकिन मंत्री लोग अगर यहां बैठे रहें और कहें कि नहीं, इस कार्तिक के महीने में ही सदन बैठेगा, जबकि सारे सूबे में पड़ताल हो रही है उस वक्त सारे सदस्यों को यहां बैठायेंगे तो सरकार के दावों के बारे में भी मुझे कभी-कभी शिकायत होने लगती है। आखिर जब सदन की बैठक यहां होगी तो क्या

[श्री गेंदा सिंह]

ये माननीय मंत्री लोग या इस सदन के ४३० सदस्य यहां नहीं बैठे रहेंगे ? इसलिये अगर सरकार चाहती है कि सचमुच लेखपाल ईमानदारी से काम कर सकें और सही पड़ताल हो सके और सही लोगों के नाम दर्ज किये जा सकें तो पहले एक बात का तो फैसला कीजिये कि यह सदन ३० तारीख के बाद इस पड़ताल के पहले नहीं बैठेगा। कौन सी ऐसी मुसीबत आ गयी कि इस कार्तिक के महीने में इसे बगैर पास किये हुये धरती उलट जायगी। जो आर्डिनेंस थे, हमने पास कर दिये। अब कौन सा ऐसा काम रह गया जिसको अभी पास किये बिना काम ही नहीं चल सकता। अगर आपको सही काम कराना है तो लेखपाल को लगाम लगाइये और कानूनगो को मजबूर कीजिये कि १५ दिन के पहले घर न आये। माननीय नाजिमुद्दीन ने बड़ी तारीफ की, माननीय बलवन्त सिंह साहब ने कहा कि मुजफ्फरनगर में बहुत सही काम हो रहा है। मैं तो मानता हूं मुजफ्फरनगर में बहुत सही काम हो रहा है, लेकिन वह इस बात को क्यों भूल गये जिसे माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्वयं कहा कि बरेली में जब यह काम शुरू किया गया तो ३३ लेखपालों को बरखास्त करना पड़ा और अनेकों कानूनगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन की कार्यवाही करनी पड़ी। जब यह मुजफ्फरनगर के दो आदमियों की बात करते हैं तो बरेली की बात क्यों नहीं करते।

अगर आप कंसालिडेशन के काम को ठीक ठीक कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि २–३ एकड़ वालों की भी चकबन्दी हो सके तो इस ऐक्ट में इस बात के लिये गुंजाइश होनी चाहिये। चकबन्दी में तीन खेत तक दिये जा रहे हैं लेकिन जो डेढ़, दो एकड़ वाले किसान हैं उनकी चकबन्दी कैसे होगी। यह बात हो सकती है और इस बात का बड़ा डर है जैसे कि माननीय राजनारायण ने कहा कि जो पहले यह बात कही गयी थी कि गांव के करीब उनको जमीन दी जायगी, वह नहीं हो सकेगा। क्योंकि आज यह कहा जा रहा है कि 'यथासंभव'। तो इस भय के लिये काफी गुंजाइश है कि वे गांव के करीब से हटा कर दूर फेंक दिये जायं। दो–तीन चक तो उसके अब भी होते हैं और तब भी यही होने की गुंजाइश है। तो इस तरह से इन छोटे–छोटे खाते वालों की जो ७० फीसदी हैं, चकबन्दी नहीं होने जा रही है। और इस विधेयक में जो अबकी मर्तबा तब्दीली की जा रही है उसमें इस बात की गुंजाइश कर दी गयी है कि वह अपने घर से दूर फेंक दिये जायं। अगर ऐसी बात हुई तो सरकार के लिये बड़ा खतरा है। मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि चकबन्दी अगर गड़बड़ हुई, अगर किसानों के लिये खतरे की घंटी हुई, तो सरकार के लिये भी चकबन्दी खतरे की घंटी है। मैं सरकार को एक दाना दुश्मन हो कर सलाह देना चाहता हूं कि आज भी इस बात पर सोचिये कि जहां तक संभव होने वाली बात को सरकार स्वीकार करे। उसके साथ-साथ लेखपाल महोदय और कानूनगोओं के हाथ में पड़ताल का काम दे कर सरकार गलती करने जा रही है।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार इस चकबन्दी के सिलसिले में सजग नहीं रहेगी और जिस तरह से आज फरजी पड़ताल होने जा रही है उसी पर रहे तो सब के लिये खतरे की बात होगी। सरकार तो समझती है कि वह बड़ी मजबूत है। वह समझती है कि खतरा उसके करीब नहीं आयेगा। लेकिन किसानों में झगड़े होंगे, उत्पादन घटेगा, मुकदमेबाजी चलेगी और उनकी जिन्दगी मुसीबत में पड़ जायगी। उसके बाद सरकार को जो बड़े पैमाने पर चकबन्दी करने जा रही है उस चकबन्दी को वापस लेना पड़ेगा। इसलिये माननीय राजनारायण जी ने जो बात कही उसको मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं और सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें भीतर डाल कर देखिये। माननीय ब्रजभूषण जी गालियां तो खूब दे लेते हैं, माननीय मौर्य जी गालियां तो नहीं देते लेकिन वह न मानने पर अड़े रहते हैं। अगर आप यह समझते हैं कि हम सौ में सौ बातें गलत कहा करते हैं तो हमें अपने बारे में सोचना होगा कि क्या हम हर बात यहां गलत ही कहने आये हैं या हम इस असेम्बली में कुछ कंट्रीब्यूट करने आये हैं। अपोजीशन बनाये हुये हैं। हम समझते हैं कि अगर हम सौ बातों में एक बात सही कहते हैं तो माननीय मौर्य जी और उस तरफ के बैठने वाले सोचें कि क्या उन्होंने एक बात भी

कभी मानने की हिमाकत की। अगर हिमाकत लफ्ज बहुत बड़ा लगता हो तो मैं वापस ले लेता हूं। अगर वह एक बात भी मान लें, और अगर माने भी तो भीतर भीतर माना है, माना है तो कुबूल कीजिये हुजूरवाला कि यह बात तुम्हारी अक्ल की है, हमने मान लिया। मैं समझता हूं कि उससे आपकी इज्जत अफजाई होगी और इस अपोजीशन की जितनी इज्जत है उससे बढ़कर आपकी इज्जत हो जायगी कि सरकार ने तो बात मान ली। सारी जनता देश की समझती है कि हम और आप क्या करते हैं। उसका फैसला आज नहीं कल, कल नहीं परसों, चौथे रोज जब मौका आयेगा तो होगा। चकबन्दी का बड़ा पवित्र काम है। हम भी चाहते हैं कि हम इस बात को सारी जनता से कहें कि बड़े फायदे की चीज है, इसमें हिस्सा लो। इसमें जाना चाहिये, इसमें मिलजुल कर काम करो। अगर आप चाहते हैं कि इससे किसानों का भला हो तो जो खतरा मैं देखता हूं उसको समझ बूझ कर और रीजन को जगह दें, सेंटीमेन्ट और जिद तथा हठ को जगह न दें। अगर ऐसा करेंगे तो किसानों का बहुत भला होगा, नहीं तो खतरा है।

श्री काली चरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहस बन्द करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब यह सवाल उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी ने कहा कि उनकी शंकाओं का समाधान माननीय राजस्व मंत्री जी ने नहीं किया। एक दिन जब अध्यक्ष महोदय बैठे थे तो नारायण दत्त जी ने एक लघुशंका का प्रश्न उठाया था। उनकी लघुशंका और राजनारायण जी की दीर्घशंका, इन शंकाओं का समाधान करने में मैं समर्थ नहीं हूं।

श्री राजनारायण—फिर से कहिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं यह कह रहा हूं कि जैसा उस रोज श्री नारायण दत्त जी ने कहा और जैसा आपने कहा, किसी लघुशंका या दीर्घ शंका, जो आप लोगों की ऐसी शंकायें हैं उनका समाधान करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं। मैं केवल थोड़े में राजनारायण जी को जो भ्रम हैं उसके निवारण की चेष्टा करूंगा।

श्री राजनारायण—मेरा निवेदन यह है कि अगर हम प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज न करें तो उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को रोकना चाहिये कि इस तरह के शब्द इस्तेमाल न किये जायं। दीर्घ-शंका और लघुशंका यहां कोई करता नहीं। वे ये शंकायें किया करते हैं इसलिये उनका समाधान किया करते हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—मैं आपकी आज्ञा से माननीय मौर्य जी से इतना पूछना चाहूंगा कि क्या मौर्य जी को लघुशंका और दीर्घशंका नहीं होती है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—लघु शंका यानी छोटी शंका और दीर्घ शंका यानी बड़ी शंका इस अर्थ में मैंने इन शब्दों को इस्तेमाल किया है और इस संबंध में उनके भ्रम को निवारण करने की चेष्टा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—अगर केवल शाब्दिक अर्थ में आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो ठीक ही है

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैंने इसी अर्थ में कहा था विरोधी दल ने उसे किस अर्थ में लिया है मुझे इसका पता नहीं । मैं तो उनको शाब्दिक अर्थ में इस्तेमाल कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा मैं उनके भ्रम के निवारण की चेष्टा करूंगा । माननीय राजनारायण जी ने कहा कि साढे ४ और साढे ६ रुपये का टैक्स लगाया जा रहा है, तो विधेयक में तो कहीं टैक्स की बात है नहीं । विधेयक में तो यह है कि जो खर्च पड़ेगा उसे तै किया जायगा । दफा ३३ में यह है कि "सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत रीति से चकबन्दी का अनुमानित और अंतिम रूप से निश्चित व्यय अवधारित करेगा, और ऐसे व्यय को उन व्यक्तियों के बीच बांटेगा जिन पर चकबन्दी की आज्ञा का प्रभाव पड़ा हो" नियम ५८ में यह बात साफ कर दी गई है कि गांव में चार्ट रक्खा रहेगा, उसमें जो काम होगा उसके विवरण को देखते हुए जो खर्च पड़ेगा उस खर्च को गांव वालों में बांटा जायगा । तो यह कहना कि सरकार एक टैक्स लगा रही है यह बात नहीं है । जितना खर्च पड़ेगा उतना खर्च गांव वालों को देना होगा । माननीय राजनारायण जी यह भूल जाते हैं कि इस विधेयक में यह सहूलियत दी गई है कि किसी प्रकार के प्रार्थना-पत्र या अपील पर कोई रसूम नहीं लिया जायगा, सारे उनके झगड़े वहीं तै होंगे और जो खर्चा ठीक-ठीक है वही खर्च लिया जायगा, उसको टैक्स का रूप देना अनुचित होगा । मैं नहीं जानता कि वह साढ़े ४ पड़ेगा, साढ़े ६ पड़ेगा या उससे कम पड़ेगा, हर गांव में अलग-अलग हिसाब होगा, उसी के अनुसार जो खर्च पड़ेगा सब में बांट दिया जायगा ।

दूसरी बात यह कही कि लेखपाल खेत-खेत की पड़ताल करेगा, इस पर उन्होंने आपत्ति की । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि लेखपाल खेत-खेत की पड़ताल नहीं करेगा बल्कि जैसा नियम में दिया गया है कंसोलिडेटर खेत-खेत की पड़ताल करेगा, उसकी जांच सहायक चकबन्दी अधिकारी करेगा । जितना परसेंट नियत किया जायगा उसकी जांच करेगा और जो परसेंट चकबन्दी अधिकारी के लिये नियत किया गया है उसको वह चेक करेगा । यह जरूर है कि असिस्टेंट कंसोलिडेशन आफिसर खेत-खेत की पड़ताल नहीं करेगा, इसको निकाल दिया गया । इसका कारण शुरू में ही बतला दिया गया है लेकिन यह भी बात सही नहीं है कि लेखपाल करेगा बल्कि सही यह है कि कंसोलिडेटर खेत-खेत की पड़ताल करेगा और लेखपाल की जो आपत्ति अपनी जगह है वह ठीक नहीं है । यह जो जमीन चरागाह के लिये होगी उसके बारे में मैंने जब यह संशोधन यहां पर पेश किया था तो स्पष्ट कर दिया था कि उसका यह मतलब है कि जो चरागाह की जमीन होगी उसको जोत में नहीं लाया जायगा । भूमि प्रबन्धक समिति को यह अख्तियार होगा कि वह चरागाह को और बढ़ा सके । तो राजनारायण जी जैसा कहते हैं कि सरकार चरागाह की जमीन लेना चाहती है यह बात नहीं है कि चरागाह की जमीन को सरकार किसी प्रकार लेवे बल्कि चरागाह के लिये और भी जमीन छोड़ने के लिये संशोधन में गुंजायश रखी गयी है । यह भी कहा गया है कि "जहां तक सम्भव हो" शब्द के जोड़ देने से उनको आपत्ति हो गयी और इस पर उन्होंने आधे घंटे तक भाषण दिया कि "जहां तक सम्भव हो" शब्द रखने से यह अर्थ हुआ कि छोटे किसानों को इससे चकबन्दी के दूर रख दिया जायगा यानी उनके चक दूर पर बनाये जायेंगे । यदि राजनारायण जी देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि खंड १५ में यह पहले ही रख दिया गया है कि छोटे खातेदार को जहां तक सम्भव हो गांव की आबादी के पास भूमि दी जायगी । इसमें जितने उपखंड हैं उन सबमें यही रख दिया गया है कि "जहां तक सम्भव हो" छोटे खातेदार को गांव के पास ही जमीन दी जाय । छोटे खातेदारों के लिये यह गुंजायश रखी गयी है कि उनको जहां तक सम्भव हो गांव के पास या जहां पर उनके खेत पड़ते हों वहां पर चक में भूमि दी जाय । इस प्रकार से हर उपखंड में जहां तक सम्भव हो शब्द को जोड़ दिया गया है ताकि किसानों को किसी तरह से तकलीफ न हो । अधिकारीगण भी इसी तरह से इन सब कंडीशन को पूरा करने की

कोशिश करेंगे जिससे छोटे खातेदारों को कोई तकलीफ न हो। लेकिन अगर सब कंडीशन पूरी न होने पावे और किसी न किसी को अलग होना पड़े तो ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं बनाया गया है कि जिससे चकबन्दी असम्भव हो जाय। इसलिये जहां तक सम्भव हो सके इसका लिहाज रखा जायगा। श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि २, ३ गाटे वाले जो हैं उनकी चकबन्दी नहीं होगी। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिसका खेत जिस ब्लाक में हो उसी में उसको चक दिया न जाय। जिस जगह पर उसके खेत होंगे उसको उसी ब्लाक में चक दिया जायगा, क्योंकि उसके खेत एक जगह पर हो जायंगे। जिस ब्लाक में लोगों के खेत पड़ते हैं उसी ब्लाक में उसको चक दिया जायगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि २, ३ गाटे वाले का चक नहीं बनेगा। छोटे किसानों को गांव के पास नहीं मिलेगा यह बात भी सही नहीं है। यह सब बातें इस धारा में मौजूद हैं। गांव की आबादी के पास उसको भूमि दी जायगी और इसका उपाय उसमें मौजूद है। वह जो चुनाव करने वाली कमेटी है उसके बारे में उन्होंने कहा कि वह कुछ पूछ ही नहीं रही है, जो ऐडवर्टिजमेंट निकला था उसमें साफ क्वालिफिकेशन्स लिखी गयी थीं कि एम० ए० एग्री० अथवा एम० एस-सी०एग्री० होना चाहिये। और जो क्वालीफिकेशन्स रखी गयी थीं उन्हीं के अनुसार चुनाव हुआ। उस कमेटी ने क्या पूछा, चुनाव का उसने क्या तरीका अख्तियार किया इस चीज को इस चकबन्दी विधेयक के सिलसिले में कहना बिल्कुल असंगत बात है। इसलिये जो संदेह माननीय राजनारायण जी ने प्रकट किये हैं वे बिल्कुल निराधार हैं। इसमें जो पहले खामियां रह गयी थीं वे दूर की गयी हैं, चकबन्दी के मार्ग में जो कठिनाइयां थीं उनको सुधारा गया है। जो दिक्कतें महसूस की गयी थीं उनको दूर करने की कोशिश की गयी है। लेकिन यह कहना कि किसानों की कुर्की की जायगी खर्चे को वसूल करने के लिये और ऐसा कह कर किसानों को चकबन्दी से डराने की कोशिश करना बिल्कुल निरर्थक बात है क्योंकि किसान पूरे तौर पर समझ चुके हैं कि चकबन्दी उनके लाभ की चीज है और वे उसको वेलकम करते हैं। जितने माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं वे सभी चाहते हैं और कहते हैं कि किसानों की चकबन्दी के लिये मांग है। १३ जिलों में चकबन्दी का काम १ जनवरी से शुरू होने वाला है। और भी माननीय सदस्य कहते हैं कि उनके जिले में चकबन्दी हो लेकिन स्टाफ अधिक ट्रेन्ड न हो सकने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। अगर अधिक स्टाफ ट्रेन्ड हो जाता तो दूसरे जिलों में भी चकबन्दी का काम शुरू कर दिया जाता। इसलिये इससे स्पष्ट है कि किसानों की चकबन्दी के लिये मांग है। क्योंकि जो संशोधन विधेयक इस सदन के सम्मुख उपस्थित है उसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है, इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि वह पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, तथा इस सदन ने स्वीकृत किया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन्, आपको शायद यह याद हो कि जिस समय भवन में यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था उस समय इस पर कोई सामान्य विवाद नहीं हुआ था और उस समय मैंने आपके द्वारा भवन के सदस्यों से यह अनुरोध किया था कि प्रवर समिति से जब यह

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक, २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

विधेयक निकलेगा तो उसकी आख्या भवन के सामने प्रस्तुत करूंगा, उस समय माननीय सदस्यों को यह अवसर होगा कि वे इस बिल पर सामान्य वाद-विवाद करें। और इसी कारण आपकी आज्ञा से मैं अपने प्रारंभिक भाषण को नियमानुकूल प्रवर समिति की आख्या परिधि के अन्दर ही नहीं रखना चाहता बल्कि जैसा कि मैंने कहा उसकी एक पृष्ठभूमि भी रखना चाहता हूं।

इलाहाबाद युनिवर्सिटी का अधिनियम १९२१ में बनाया गया था और उसके पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। १९२६ में जब इलाहाबाद युनिवर्सिटी से थोड़े से कालेज निकाल कर आगरा युनिवर्सिटी की उत्पत्ति हुई तो उस समय आगरा युनिवर्सिटी अधिनियम के कारण जो संशोधन आवश्यक हो गये थे वे ही इलाहाबाद युनिवर्सिटी के अधिनियम में हुए। लेकिन जब यह युनिवर्सिटी बनी थी तो उसके पश्चात् इतनी समस्याएं उपस्थित हो गयीं जिनका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, कोई अनुमान भी उस समय नहीं हो सकता था। इस कारण यह आवश्यक हुआ कि इलाहाबाद तथा अन्य विश्वविद्यालयों के जो अधिनियम हैं उनमें संशोधन किया जाय। और इस हेतु हमारे पूर्वाधिकारी के सभापतित्व में पहले एक कांग्रेस की कानफ्रेंस की गयी जिसने कि य० पी० के अन्दर जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब के कार्य का निरीक्षण किया और एक आख्या दी कि इस दिशा में इन विश्वविद्यालयों के नियम में संशोधन होना आवश्यक है। अभाग्यवश इसके पहले कि उन आख्याओं के आधार पर इस विश्वविद्यालय के अधिनियम में परिवर्तन किया जाय, लड़ाई छिड़ गयी और इस कारण उन आख्याओं को लेकर उसके आधार पर कोई संशोधन विधेयक उपस्थित नहीं किया जा सका। लड़ाई के पश्चात यह देखा गया कि लड़ाई के फलस्वरूप इतनी समस्यायें आ गयी हैं और विवरण और परिस्थितियों में इतना परिवर्तन हो गया है...

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—किस लड़ाई से मतलब है आपका?

श्री हरगोविन्द सिंह—यही सेकंड वर्ल्ड वार से। तो उसके पश्चात् ऐसा प्रतीत हुआ कि उन आख्याओं को लेकर इन विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता बल्कि यह आवश्यक हुआ कि फिर से इसका सिंहावलोकन किया जाय। हमारे पूर्वाधिकारी ने विश्वविद्यालयों के सब प्रतिनिधियों को बुला कर एक कानफ्रेंस की। उसी समय आपको मालूम होगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक कमीशन की नियुक्ति हुई कि वह भी यह देखें कि इन विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में किन-किन संशोधनों की आवश्यकता है। हमारे प्रान्त में यह भी आवश्यक हुआ कि हम इलाहाबाद युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में एक जांच बैठावें। आप जानते ही हैं कि उसका नाम मथम कमेटी कहा जाता है, क्योंकि उसके अध्यक्ष जस्टिस मूथम इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। श्रीमन्, आपके द्वारा अपना आभार मैं उस कमेटी के सदस्यों के प्रति प्रकट करना चाहता हूं। इसमें तो सन्देह नहीं कि उसमें काफी समय लगा और काफी धन भी लगा लेकिन फिर भी यह सन्तोष की बात है कि बहुत निकट से उस कमेटी के सदस्यों ने इस विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन किया और उस पर अपनी राय दी और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जो विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है यह अधिकतर राधाकृष्णन् कमीशन की आख्या और मथम कमेटी की आख्या के ऊपर आधारित है। लेकिन इसके पहले कि इस सम्बन्ध में मैं कुछ और कहूं, एक अनुरोध म आपसे अवश्य करना चाहता हूं और माननीय सदस्यों से भी मेरा यह अनुरोध है कि इस विधेयक को और विधेयकों की भांति न देखें। यह ऐसा विधेयक नहीं है कि जिसका सम्बध हमारे रोज के दैनिक जीवन से हो या कोई ला एण्ड आर्डर की प्राबलम से हो। इस तरह का कोई विधेयक आता है तो उस पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार होता है लेकिन विश्वविद्यालयों के बारे में कोई विधेयक प्रस्तुत हो, मैं अनुरोध करूंगा कि उस पर इसी दृष्टिकोण से

विचार होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने विश्वविद्यालयों को उन त्रुटियों से अलग रख सकते हैं जो कि आज उनमें आ गई हैं और इसी के साथ-साथ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता का पक्षपाती हूं और मैं नहीं मानता कि एक ओर तो मैं चाहूं कि हम अपने विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र नागरिकों का निर्माण करें और उसकी आशा रक्खें और चाहें कि विश्वविद्यालयों से ऐसा प्रकाश निकले जिससे हमारा प्रदेश ही नहीं वरन् हमारे देश में उजाला फैले और उनमें ऐसे ऐसे लोगों का निर्माण हो जो देश के भावी नेता बन सकें और जो देश को और ऊंचा ले जा सकें और दूसरी ओर हम ऐसे प्रतिबन्ध लगावें जिनसे उनका विकास ही रुक जाय, चाहे सम्भव हो सके लेकिन यह दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं और यह आशा करना कि हथकड़ी डाल कर उनके हाथ पैर बांध कर उनसे आशा करें कि वहां स्वतन्त्र नागरिकों का निर्माण हो तो, यह असम्भव है। इसलिये मैं इसका पक्षपाती हूं कि विश्वविद्यालयों में काफी स्वतन्त्रता होनी चाहिये लेकिन प्रश्न यह है किस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिये और इसी पर हमारा अन्य लोगों से मतभेद है। लोग समझते हैं और चाहते हैं कि इन विश्वविद्यालयों को इस बात की पूरी स्वतन्त्रता हो कि वह जिस प्रकार से चाहें, चाहे जितने अवगुण उनमें आ गये हों तो उनको भी उसी प्रकार से रखे रहने की भी स्वतन्त्रता उनको होनी चाहिये, तो मैं श्रीमन्, इस विचार का नहीं हूं और मैंने अपने इस विचार को कभी छिपाया भी नहीं है। मैं समझता हूं कि जहां तक पठनपाठन का सम्बन्ध है उसमें विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता का अपहरण किसी तरह से नहीं होना चाहिये लेकिन इसके अलावा यदि अपनी इस परिधि से हमारे यह विश्वविद्यालय या जिनके हाथ में उनका संचालन है, वह उस परिधि से निकल कर चाहते हों कि विश्वविद्यालय की सीमा एक स्वतन्त्र स्टेट की तरह है, उसमें किसी के हस्तक्षेप का अधिकार न हो और व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार यहां तक सीमित हों कि साल ब साल उनकी जरूरत का रुपया दे दिया जाय और इसके अतिरिक्त उनको पूर्ण अधिकार इस बात का हो कि जिस तरह से वह चाहें स्वच्छन्दतापूर्ण, त्रुटियों के होते हुये भी उनको पूर्ण अधिकार रहें तो मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र में यह चीज कभी भी मान्य नहीं हो सकती। तो यही कारण है कि जहां तक पठनपाठन का सम्बन्ध है इस विधेयक को आप आद्योपान्त पढ़ जायं वहीं भी आपको एक भी धारा इसमें ऐसी नहीं मिलेगी कि जहां पठन-पाठन की स्वतन्त्रता पर कोई रोक लगाने का प्रयास किया गया हो लेकिन जहां उसके इन्तजाम की बात है, जहां उसमें ऐसे नियम लगाने की बात है कि हमारे अध्यापकगण, हमारे विद्यार्थी जो आज हमारे विश्वविद्यालयों में हैं, मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालयों में अध्यापकों में एक, दो, तीन और कई वर्ग बन गये हैं और शायद पठन-पाठन तो उनका गौड़ कार्य हो गया है। प्रधान कार्य तो हमारे विश्वविद्यालयों में यह हो गया है कि किस प्रकार से उसके इस प्रबन्ध में हमारा पूरा हिस्सा रहे, दूसरी पार्टी को उसमें कोई स्थान न मिले और इसी कारण मैं समझता हूं कि आज एक ओर जब हम यह चाहते हैं कि हमारा स्तर ऊंचा हो, हमारे विश्वविद्यालय ऊंचे दर्जे के हों, कहीं ऐसा न हो कि हमारे विद्यार्थी बाहर जाकर हमारा नाम, हमारे देश का नाम डुबा दें, वहीं आपने भी थोड़े दिन हुए अखबारों में पढ़ा होगा कि बाहर के एक विश्वविद्यालय ने हमारे प्रधान मंत्री को यह पत्र लिखा था कि आपके विश्वविद्यालयों से हमारे विश्वविद्यालयों में आये हुए छात्र हमारे स्तर को इतना नीचा कर रहे हैं कि हमको यह सोचना पड़ेगा कि हम भारत के विश्वविद्यालयों से आये हुए छात्रों को स्थान दें या न दें। तो एक ओर तो हमारी यह दशा है, हमारा स्तर इस तरह से नीचा गिरता चला जा रहा है और दूसरी ओर हमारे अध्यापक यह नहीं समझते हैं कि एक ही कार्य उनके सुपुर्द है और वह कार्य राष्ट्र ने उनके सुपुर्द किया है और वह यह कि वह उसके बच्चों का शिक्षण करें। अगर इस कार्य को अध्यापकगण अपने कार्यक्रम में और अपने जीवन में प्रधानता न दें, तो उस भूल को दूर करना हमारा और आपका कर्तव्य होना चाहिये और इसमें हम कोई गलती भी नहीं कर रहे हैं।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

एक तो इस बिल में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि चुनाव जितना कम से कम हो उतना इसमें रखा जाय। जो आज चुनाव की परिपाटी हमारे विश्वविद्यालय में है वह यह कि वाइस चांसलर का चुनाव होता है, कोर्ट का चुनाव होता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव होता है, एकेडेमिक कौंसिल का चुनाव होता है और ऐसा मालूम होता है कि यह एक राजनीति का क्षेत्र हो गया है और इसमें इतना चुनाव है कि अध्यापक मजबूर हैं कि वह अपने को एक गुट के साथ रखें ताकि उसको भी अच्छा स्थान मिल सके। यही कारण है कि जितनी कमेटियां नियुक्त हुयीं, चाहे वह प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त हुयी हों, चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा, सभी इस बात में एक मत हैं कि विश्वविद्यालयों में चुनाव की प्रथा कम से कम होनी चाहिये। तो इस बात को, जो विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है उसमें, प्रयत्न किया गया है कि चुनाव कम से कम रखा जाय और जहां चुनाव अनिवार्य हो, उसका रखना आवश्यक हो, बिना उसके कार्य नहीं चल सकता, वहां चुनाव की जो प्रणाली रखी गयी है वह सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट की है। मैं स्वयं नहीं कह सकता कि यह सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट का सिस्टम भविष्य में हमारे लिये कल्याणकारी सिद्ध होगा या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है और अभी इसका प्रयोग इतना नहीं हुआ है कि यह कहा जा सके कि ऐसा करके गुटबन्दी पूर्णतया विश्वविद्यालयों में खत्म हो जायगी। मैं अभी यह आपके सम्मुख कहने के लिये तैयार नहीं हूं लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जितनी कमेटियां और कमीशन्स बने थे सभी ने यह लिखा है कि चुनाव कम से कम होना चाहिये और जो चुनाव की प्रणाली है वह बदल कर के सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट की प्रणाली उसके स्थान पर रखी जानी चाहिये। तो उसी कारण हमने भी इस बिल में, विधेयक में, इसी प्रणाली को स्थान दिया है।

तीसरी बात आप जानते हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में उप-कुलपति का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उसके व्यक्तित्व पर ही हमारे विश्वविद्यालयों का वातावरण पूर्णतया निर्भर रहता है। यदि हमारा उप-कुलपति एक ऊंचे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हुआ, यदि वह यूनिवर्सिटी की छोटी-छोटी दलबन्दियों से अलग रहा तो आशा यह की जाती है कि उसका शासन यूनिवर्सिटीज में ऐसा होगा कि उसके प्रति लोगों में एक विश्वास पैदा होगा और शायद इस बार इस प्रयत्न में हम और आप सब लोग सफल हो सकेंगे कि हम अपने विश्व-विद्यालयों के वातावरण को थोड़ा ऊंचा और स्वच्छ बना सकें। यह जो आज विश्वविद्यालयों में उपकुलपति के चुनाव की प्रणाली है उसमें तो एक गुट द्वारा चुना हुआ व्यक्ति शायद उस प्रकार शासन नहीं कर सकता या शासन करने में असमर्थ है जैसा कि एक कुलपति को करना चाहिये। यों भी चुने हुए लोग अच्छे शासक नहीं होते और फिर जहां तक हमारे विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है चूंकि जैसा मैंने कहा एक गुट द्वारा वह चुने जाते हैं इस कारण वह हमेशा इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि उसके प्रति उन लोगों में या जिस गुट द्वारा वह चुने गये हैं उनमें अविश्वास न पैदा हो जाय और वह शायद ऐसी स्थिति न उपस्थित कर दें कि उसको वहां से हटना पड़े। तो इस कारण वह जो प्रबन्ध हमारे विश्वविद्यालयों का है उसमें मजबूती से काम नहीं कर सकता। तो अब यह एक बड़ी भारी समस्या में समझता हूं कि विश्वविद्यालयों के समक्ष है कि उपकुलपति का चुनाव कैसे किया जाय। जितनी कमेटियां और कमीशंस की रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे उन सभी में आप पायेंगे कि सभी ने अपना मत इस सम्बन्ध में प्रकट किया है। सभी ने जो अनेक प्रणालियां हैं वाइस चांसलर के चुनाव की, उनका विश्लेषण किया है और सभी ने इसमें त्रुटियां बतलायी हैं और अपने मत भी रखे हैं। लेकिन जितने उनमें तरीके रखे गये मैंने उन पर गम्भीरता से सोचा और यह देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि इनमें से कोई तरीका ऐसा नहीं है कि यह कहा जा सके कि यह पूर्णतया ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। हरएक में कोई न कोई दोष है और कुछ यूनिवर्सिटीज में तो कहीं कहीं जिनके अभी थोड़े दिन हुए बिल पास हुए हैं, यह भी रख दिया कि उपकुलपति चांसलर द्वारा मनोनीत होगा। यूनिवर्सिटी की किसी संस्था से किसी बाडी से कोई मतलब

नहीं । चांसलर किसी को भी नामिनेट कर देगा और भी अनेक प्रणालियां हैं । लेकिन हमारे सामने इस समस्या के दो अंग थे । एक तो हम यह चाहते थे कि ऐसा न हो कि उपकुलपति जो भी चुना जाय उनका युनिवर्सिटी की किसी संस्था से कोई सम्बन्ध न हो, वह बिना उनकी राय के ही उनके विश्वविद्यालय का उपकुलपति बन जाय । हमने यह समझा कि हम युनिवर्सिटी बाडीज को, युनिवर्सिटी के किसी भी अंग को इस बात का अवसर दें कि वह अपने उपकुलपति के चुनाव में हिस्सा ले । और दूसरे यह भी कि इस बात का भी प्रयत्न हो कि वहां कोई चुनाव का अखाड़ा न बने बल्कि सब लोग मिलकर के एक राय से सहमत हो कर के एक व्यक्ति का नाम चुन दें । तो इस कारण इस विधेयक में यह रखा गया कि युनिवर्सिटी की कार्यकारिणी आपस में बैठकर के यदि एक आदमी का नाम चांसलर के पास भेजती है तो चांसलर को कोई अख्तियार नहीं होगा, चांसलर मजबूर होगा उसी व्यक्ति को उपकुलपति बनाने के लिये । इसमें चांसलर को कोई अधिकार नहीं दिया गया । राधाकृष्णन कमीशन ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है अपनी रिपोर्ट में कि इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उपकुलपति के चुनाव में इक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बरों में मतभेद न हो । वह एक मत होकर एक आदमी को चुनें तो इस बात का प्रयत्न किया गया है और यही नहीं और यह भी रखा गया कि अगर कार्यकारिणी की पहली बैठक में सब लोग एक मत न हो सकें तो वह मीटिंग दूसरी तारीख के लिये स्थगित कर दी जायगी दस रोज के बाद फिर दूसरी मीटिंग होगी और यदि इसमें भी एक मत हो जाते हैं तो चांसलर के ऊपर बाध्य होगा और वह उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है और अगर उसमें एक मत न हो सके तो आगरा यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से रखा गया था कि तीन नाम तक नामजदगी हो तो कोई वोट नहीं लिये जायेंगे और वही तीन नाम वाइस चांसलर के पास जायेंगे और फिर उसको अधिकार है कि उनमें से किसी को उपकुलपति बना दे या फिर पुनः कार्यकारिणी को वापस कर दे और फिर यदि एक नाम में एकमत हो जाते हैं तो फिर चांसलर उसको उपकुलपति बनाने के लिये मजबूर है ।

आप देखेंगे कि इस प्रकार से इस बात का प्रयत्न किया गया है कि एक तो कार्यकारिणी से राय लिये बिना कोई उपकुलपति न बनाया जाय । लेकिन तीन दफा कार्यकारिणी को अवसर दिया है कि वह आपस में एक मत होकर एक व्यक्ति का नाम उपकुलपति के लिये चांसलर के पास भेजें । लेकिन अगर किसी प्रकार सम्मेलन न हो सके तो तीन आदमियों तक उनका चुनाव नहीं होगा और फिर लौटाया जा सकता है और उसके बाद उनको अधिकार है कि वह फिर चाहे तीन ही नाम को भेज दे या और नाम बढ़ाये तो यह एक ओर तो इस बात का पूरा प्रयत्न है कि सब एक मत हो जायं और दूसरे इस बात का प्रबंध है कि सब को अवसर मिले । एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि तीन बार एक मत होकर किसी को अपना उपकुलपति मनोनीत करे और जब वह मनोनीत हो जाय और वाइस चांसलर बन जाय तो यह कि एक तो उसकी अवधि ५ वर्ष कर दी गयी है और यह भी रख दिया गया है कि ५ वर्ष के बाद वह फिर उपकुलपति के लिये नहीं खड़ा हो सकता है । इसका अभिप्राय केवल यह है कि अपने कार्यकाल में उसे इस बात का लालच न हो, लोभ न हो कि वह अपना प्रबंध ऐसा रखे कि पांच वर्ष के बाद उसको फिर अवसर मिले कि वह इस विश्वविद्यालय का उपकुलपति ज्यों का त्यों बना रहे ।

मैं यह नहीं कहता कि यह जो एक धारा रखी गयी है, यह बहुत ठीक है, अगर सच पूछो तो हमारे लिये यह कुछ गौरव की भी बात नहीं है कि हम अपने उपकुलपति के लिये यह कहें कि तुम्हें अपने स्थान से लोभ न हो जाय, तुम अपने पद से भ्रष्ट न हो जाओ, इसलिये यह रख दिया है कि ५ वर्ष के बाद फिर तुम उपकुलपति नहीं हो सकते हो । यह हमारे लिये कोई गौरव की बात नहीं है, हमारे राष्ट्र के लिये भी नहीं है । लेकिन हमको वस्तुस्थिति से आंख छिपाना नहीं चाहिये । हमने प्रजातंत्र की स्थापना की है । हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम इसको सफल बनाकर दिखायें और प्रजातंत्र में मैं समझता हूं कि कभी भी सफलता नहीं हो सकती है यदि हम अपने भीतर देखकर, अपने अंदर देखकर अपनी कमजोरियों को सामने नहीं रखते हैं । आज मैं इस बात को देखता हूं और मुझे शर्म भी है कि मैं यह कहूं कि हमारे देश

[श्री हरगोविन्द सिंह]

में ऐसे व्यक्ति बिरले ही हैं और कम हैं जो इन स्थानों के लिये निन्दनीय काम नहीं करते या निन्दनीय तरीके से इस बात का प्रयत्न नहीं करते कि हम इसके वाइस-चांसलर हो जायं और इसीलिये यह आवश्यक हुआ कि यह जरूर रखा जाय जिसमें दोबारा उनको अवसर नहीं होगा कि वह उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति निर्वाचित हो सकें।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को निस्बत एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। आप जानते हैं कि जिस समय विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी थी, शायद १९२१ में, उस समय इसमें केवल ८०० लड़के थे। आज वहां लड़कों की संख्या ७,००० हो गयी है। मूथम कमेटी ने यह राय दी है कि विद्यार्थियों की संख्या कम करके ५ हजार कर दी जाय। उच्च शिक्षा की कितनी मांग है, उसको देखते हुए जब आप विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम करने की बात सोचें तो यह भी आवश्यक है कि आप इस बात का कोई समुचित प्रबन्ध भी करें कि जो शेष विद्यार्थी हैं उनको कहां स्थान मिले। यह समस्या जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के समक्ष उपस्थित हुयी तो कानून में कोई स्थान या गुन्जाइश न होते हुए भी उन्होंने वहां के स्थानीय कालिजों को यह स्वतंत्रता दे दी कि वह अपने यहां डिग्री क्लासेज तक शिक्षा दें, तो अधिनियम में आज भी इलाहाबाद या लखनऊ विश्वविद्यालय रेजीडेंशियल और यूनिटरी हैं, शैक्षणिक हैं। उसका अर्थ यह है कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन वास्तव में यह बात है नहीं। लखनऊ में भी और इलाहाबाद में भी आज स्थिति यह है कि वहां दो कालेजेज और लखनऊ में भी कई कालेजेज को विश्वविद्यालय ने एक प्रकार से अपनी मान्यता दे रखी है और वह कालेजेज डिग्री कक्षाओं तक विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। तो मूथम कमेटी ने दो रास्ते बताये। एक रास्ता तो यह बताया कि जब विद्यार्थियों की संख्या विश्वविद्यालय में ५,००० हो जायगी तो शेष विद्यार्थियों के लिए इलाहाबाद में और कालेजेज खुल जायं और वह एक प्रकार की एक्सटर्नल डिग्रीज इलाहाबाद में भी जैसा आपको याद होगा कि आगरे में एक इंटरनल और एक्सटर्नल डिग्री का विभेद और उसको व्यवस्था रखी गयी है, वैसी ही इलासाबाद में भी व्यवस्था की जाय कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से विलग कालेजेज डिग्री क्लासेज तक शिक्षा दें, और वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक्सटर्नल डिग्री समझी जाय और दूसरा तरीका उन्होंने यह बताया कि विश्वविद्यालय अपने को ५,००० लड़कों तक ही सीमित रखे और बकिया कालेजेज आगरा युनिवर्सिटी से संबंधित हो जायं। उन्होंने जो कहा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एक्सटर्नल डिग्री हो, जिन कालिजेज में यह शिक्षा डिग्री तक दी जाय उन कालेजेज को उन्होंने एक संज्ञा दे दी है "असोसियेटेड कालेज" की। तो प्रश्न यह था कि इन दोनों तरीकों में से कौन तरीका अपनाया जाय, आया इलाहाबाद विश्व-विद्यालय को सीमित कर दिया जाय ५००० विद्यार्थियों तक या इलाहाबाद शहर के अन्दर या उसके १० मील के अन्दर जो कालेज हैं, जो डिग्री कक्षाओं तक शिक्षा देते हैं उनको विश्वविद्यालय का ही अंग माना जाय। या उन कालेजेज को जो आज तक संबंधित हैं विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद और लखनऊ दोनों ही से, उनको विश्वविद्यालय से पृथक् करके आगरा यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत कर दिया जाय तो हो सकता है कि इसमें दो रायें हों। किसी की राय यह हो सकती है और दोनों के लिये मैं समझता हूं कारण ठीक हो सकते हैं, अकाट्य तो नहीं हो सकते लेकिन ठीक हो सकते हैं। तो यह कि उन कालेजेज को आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित कर दिया जाय, उनका विच्छेद करा दिया जाय विश्वविद्यालय से या उनको एक अंग बना दिया जाय विश्वविद्यालय का। तो हमने और प्रवर समिति ने, मैं तो कहूंगा प्रवर समिति ने, लेकिन शायद नारायणदत्त जी हाथ उठा रहे हैं, बहुमत से ही सही गोकि वहां इतना स्पष्ट विरोध नहीं था जितना कि अब यहां दिखलाया जा रहा है .....।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—नोट आफ डिसेंट पढ़ लीजिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—वह तो है। लेकिन प्रवर समिति में उसका पता नहीं था। उन्होंने कहा.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—प्वाइंट आफ आर्डर। (श्री हरगोविंद सिंह के खड़े रहने पर) श्रीमन्, मैंने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है, माननीय मंत्री जी जरा बैठ जायं तो अच्छा हो।

श्री हरगोविन्द सिंह—कोई प्वाइंट आफ आर्डर भी तो हो।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी बैठने की कृपा करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—जी, अच्छा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या कोई माननीय मंत्री या माननीय सदस्य सेलेक्ट कमेटी के अन्दर क्या हुआ उसका जिक्र यहां पर किसी के ऊपर आक्षेप लगाते हुये यहां कर सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—वहां की प्रोसीडिंग्स को तो नहीं बता सकता लेकिन अगर कोई दूर का इंस्टेंस दे तो वह अनुचित बात नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, यह सेलेक्ट कमेटी की बात नहीं है। मैंने तो यही कहा था कि विरोध वहां इतना स्पष्ट नहीं था जितना कि यहां हाथ उठा कर दिखलाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक में यह किया गया कि जो कालेजेज आज संबंधित हैं विश्वविद्यालय से वे एसोसियेटेड कालेजेज बना दिये जायं और उनमें डिग्री क्लासेज तक की शिक्षा जैसे आज हो रही है ऐसे ही होती रहे। लेकिन चूंकि वहां के विद्यार्थी विश्वविद्यालय के इम्तिहान में बैठेंगे, विश्वविद्यालय उनको उपाधि देगा इस कारण यह भी आवश्यक हुआ कि विश्वविद्यालय को यह अधिकार दिया जाय कि वह यह देखे कि इन कालेजों का शिक्षा का स्तर नीचे न गिरता हो। जहां तक स्तर का सम्बन्ध है यह तो निर्विवाद है कि जो सब से कमजोर कालेज होगा उसी के द्वारा सारे विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर निर्धारित होगा जैसे एक जंजीर में जो कमजोर कड़ी होती है उसी के द्वारा पूरी जंजीर की मजबूती या कमजोरी निर्धारित होती है। उसी तरह से विश्वविद्यालय में भी शिक्षा का स्तर निर्धारित होता है कमजोर कड़ी से। तो इस बात का प्रबन्ध किया गया कि एक ओर तो जो अध्यापक इन कक्षाओं के लिये नियुक्त हों उसमें विश्वविद्यालय का पूरा पूरा हाथ होना चाहिये। जो विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति का प्रबन्ध किया जा रहा है वही उनके ऊपर भी लागू होना चाहिये। तो इस विधेयक में आप देखेंगे कि इन कालेजों के अधिकारियों को यह स्वतंत्रता नहीं रह जायगी कि वे जिसको चाहें उसको अपने यहां अध्यापक नियुक्त कर लें। मुझसे इन कालिज के प्रबन्धकर्ताओं से बातचीत हुयी और एक साहब ने तो मुझ से कहा कि यदि यह धारा विधेयक में बनी रही तो मैं यह सोचूंगा कि हम अपने कालेज को रखें या न रखें। लेकिन आप को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि आप समस्त राष्ट्र की शिक्षा के स्तर को नीचा करें। अगर आपने कालेज इसलिये खोल रखा है कि हम उसमें व्यक्ति विशेष को नौकर रखेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद देश में ऐसे कालेजों की आवश्यकता नहीं है। तो यह इस विधेयक का एक महान् अंग है कि हम उन कालेजों को यह अवसर नहीं देंगे कि वह जिस प्रकार के लोगों को चाहें अपने यहां अध्यापक नियुक्त कर लें। उनकी कठिनाई मैं जानता हूं। किस प्रकार से उन कठिनाइयों का सुलझाव हो यह एक बड़ी भारी समस्या है और यदि आप मुझ से पूंछे कि मेरे पास उसका कोई सुलझाव है तो शायद मेरा उत्तर नहीं में होगा। लेकिन फिर भी इन कठिनाइयों के होते हुए मैं यह समझता हूं कि ऐसे कालेजों को यह स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिये कि वह जिस प्रकार के अध्यापक चाहें, अपने यहां नियुक्त कर लें। दूसरी ओर हमने इस बात का भी प्रयत्न किया है कि ऐसे कालेजेज को यूनिवर्सिटी की संस्थाओं में अधिक स्थान भी न दें क्योंकि यदि इन कालेजों को अधिक स्थान

[श्री हरगोविन्द सिंह]

यूनिवर्सिटी की संस्थाओं में मिला तो शायद वह हितकर नहीं होगा। इसलिये केवल प्रिंसिपल को कोर्ट में और शायद इक्जिक्यूटिव में भी स्थान दिया गया है जो अध्यापकों की नियुक्ति के लिये सेलेक्शन कमेटी बनेगी, उस पर भी मैनेजमेंट के मेम्बरान रहेंगे। यूनिवर्सिटी की इक्जिक्यूटिव के नहीं। लेकिन जहां तक एक्सपर्ट का सम्बन्ध है वही एक्सपर्ट रहेंगे और उसी प्रकार से एक्सपर्ट की राय ले कर ही किसी की नियुक्ति होगी। चूंकि यूनिवर्सिटी के लोगों को बड़ा मोह था कि रेजिडेंशियल, यूनिटरी टाइप की यूनिवर्सिटी है,कम से कम नाम रहे तो इसमें मैंने कोई विरोध नहीं किया और वह नाम ज्यों का त्यों बना है। ऐसोसिएटेड कालेजेज को इस प्रकार यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया जिसमें कि जो यूनिवर्सिटी अपने यहां केवल पांच हजार विद्यार्थी ले ले तो ऐसी समस्या न उपस्थित हो जाय कि और विद्यार्थियों को कोई स्थान न मिले।

हां, एक और प्रतिबन्ध लगाया गया है। उसका कारण आप जानते ही होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर इस समय कई लाख का कर्ज हो गया है। इस बिल में इस बात का प्रतिबन्ध किया गया है कि भविष्य में उनके लिये यह सम्भव न हो सके कि वह कर्जा ले सकें। मैं यह नहीं कहता, मुमकिन है उन्होंने विकास कार्य से प्रभावित होकर ही यह कर्ज लिया हो लेकिन मैं स्वयं इस विचार का नहीं हूं कि उन्होंने सेवाभाव से प्रेरित होकर यह कर्जा लादा। लेकिन यह बात कि उनको इस बात की स्वतंत्रता हो कि वे इस भरोसे पर कर्जा ले लें कि सरकार अन्त में बाध्य होगी। यह बात भी नहीं देखी जा सकती कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिनेट हाल नीलाम हो। लिहाजा कर्जा देने के लिये सरकार बाध्य होगी और हुयी भी। बजट स्पीच में राज्यपाल महोदय ने यह कहा था कि इन इन यूनिवर्सिटीज पर जो कर्जा है वह यह सरकार देगी लेकिन भविष्य में इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि उनके लिये यह संभव न हो सके कि वे अनियमित तरीके से खर्च करें और यदि अनियमित तरीके से खर्च करती हैं तो इसमें यह भी रक्खा है कि हम उनसे वसूल भी कर सकें। यह एक प्रतिबन्ध इसमें जरूर लगाया गया है और इस कारण से लगाया गया है। इसमें आवश्यकता अनुसार ही वाइस-चांसलर के अधिकारों में और चांसलर के अधिकारों में भी कुछ वृद्धि की गयी है। मेरे लिये यह बड़ी प्रसन्नता की बात होती कि इन प्रतिबन्धों को विधेयक में हिस्सा न मिलता लेकिन जैसा मैंने कहा प्रेसीडेंट ने मजबूर किया कि आज जो वहां वातावरण हो गया है वह ऐसा है जिसमें कि यह आवश्यक हो गया है कि उन प्रतिबन्धों को रक्खा जाय। मैं आपको क्या बतलाऊं निन्दा और शर्म की बात है अभी थोड़े दिन हुए जब मैंने यह विधेयक उनके पास भेज दिया था उनकी राय के लिये मैंने सोचा कि यह ठीक होगा, गो मेरे पूर्व के शिक्षा मंत्री ने यूनिवर्सिटी कोर्ट की मीटिंग्स को शायद ही अटेंड किया हो कि मैं भी कोर्ट के मेम्बर की तरह वहां रहूं। मैंने विवाद में कोई भाग नहीं लिया लेकिन मुझे अन्त में यह देख कर ताज्जुब हुआ और दुख हुआ कि एसोसियेटेड कालेज की बात को वहां के मेजारिटी ग्रूप ने माना। वहां अध्यापकों में इतना जबर्दस्त वर्गीकरण था कि एक दल तो विधेयक को सपोर्ट करता था और दूसरा मुखालिफत करता था और बहुमत दल ने एसोसियेटेड कालेज की बात को छोड़ कर बिल की केवल एक ही धारा को माना और वह यह कि भविष्य में रजिस्ट्रार की नियुक्ति कैसे की जाय और बाकी बिल जो सन् २१ में था वैसा का वैसा ही रहना चाहिये, यह उनकी सम्मति थी। उनकी राय यह थी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अधिनियम जैसा कि सन् २१में बना था वैसा ही रहे सिवा रजिस्ट्रार की नियुक्ति के और वह उस प्रकार हो जैसी कि इस विधेयक प्रणाली में दी गयी है। मैंने कहा कि आप तो चाहते हैं कि आपकी राय को मैं दूर से भी न देखूं। मैंने कहा कि क्या इसीलिये मूथम कमेटी की नियुक्ति हुयी थी और लाखों रुपया खर्च किये गये थे कि आखिर में उस पहाड़ से चुहिया निकले और वह भी क्या कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति का तरीका बदल दिया जाय, तो कोई इस राय को नहीं मानेगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्होंने इसकी उपयोगिता पर कोई विवाद नहीं किया। वहां इस प्रकार से वोटिंग होती थी जैसे म्युनिसिपल कमेटीज में या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में वोटिंग होती है। एक साहब उसको अपोज करते

हैं और दूसरे साहब उसका समर्थन करते हैं। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ और तब मैंने यह स्पष्ट कहा कि यहां आने के पूर्व मेरे दिमाग में कभी कभी यह संशय उठता था कि कहीं यह प्रतिबन्ध जो लगाये जा रहे हैं यह अनुचित तो नहीं हैं ? लेकिन आज सभा में सम्मिलित होने के बाद मैं निश्चय ही इस मत का हूं कि यह प्रतिबन्ध हों और इससे अधिक प्रतिबन्ध भी लाने की आवश्यकता हो तो लाये जायं। इन प्रतिबन्धों का जहां तक असर होगा वह केवल महदूद तरीके पर ही असर होने वाला है। पठनपाठन पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसका असर इतना जरूर होगा कि वहां पर ग्रुप बनाकर यूनिवर्सिटी में कोई चीज न होने पाये या अच्छे स्थानों के लिये ग्रुप कोई ऐसी बात न कर सके जो दूसरे अनुचित समझते हैं। अच्छे स्थानों से मतलब वह नहीं है कि ज्यादा पढ़ा लिखा हो यह अच्छा स्थान वहां पर नहीं समझा जाता है। वहां पर वही अच्छे स्थान समझे जाते हैं जो फायदे के स्थान हैं और जिनसे कुछ आमदनी होती है या आमदनी का जरिया उनके पास हो या ऐसा अधिकार हो जिससे अपने दोस्तों का फायदा उठवा सके। यही वहां की भाषा में अच्छे स्थान हैं और उसी भाषा में मैं बोल रहा हूं। जो अच्छे स्थान हैं उनके हाथ में मिल जायं। मैंने बताया कि जो यूनिवर्सिटी में गुटबन्दी है वह केवल इसी आधार पर हुआ करती है। आज बहुत लोग उसमें नहीं घुलते बहुसंख्यक में रहते हुये भी क्योंकि वह हो सकता है कि कल उनको अल्पसंख्यक होना पड़े और उसी प्रकार से आदर्श की बात करने लगें जैसे कि आज अल्पसंख्यक वाले आदर्श की बात करते हैं। इस वजह से जहां पर हम प्रतिबन्ध रखने जा रहे हैं वहां दूसरी ओर इस बात का भी प्रयत्न है कि वे प्रतिबन्ध कम से कम हों। उसका कोई असर पठनपाठन पर नहीं होना चाहिये। तो अभिप्राय केवल यह है कि हम अपने अध्यापकों को और आचार्यों को उस वातावरण से खींच लेना चाहते हैं कि उनमें जो दोष आगये हैं उसका फायदा न उठावें। उनका अपना जो कर्तव्य है, आदर्श है उससे वह दूर हो जायं। जो उनका आदर्श नहीं है उसके नजदीक वे आवें यह चीज हमारे लिये, राष्ट्र के लिये, हमारे विद्यार्थियों के लिये, हमारी संस्थाओं के लिये और सब के लिये एक भयावह हो सकती है और हमारा भविष्य बिलकुल अन्धकारमय हो सकता है। इसलिये आप अगर प्रतिबन्धों की निन्दा करेंगे तो मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि यह बड़े अच्छे हैं। यह प्रतिबन्ध हरगिज नहीं होने चाहिये, मैं इसका समर्थक हूं। लेकिन शिकायत होते हुए यदि इन प्रतिबन्धों को नहीं लगाया गया तो हम यह समझते हैं कि अपने कर्तव्य से हम पीछे हट रहे हैं। इसलिये रोते हुए हृदय से इन प्रतिबन्धों को हमने इस विधेयक में स्थान दिया है और हमेशा इस बात का प्रयत्न करते रहेंगे कि जब अवसर मिल जायगा या हमारे बाद जो आयेगा उनको अवसर मिलेगा और सब से बड़ा सुखद दिन वह होगा कि जब हम यह समझेंगे कि इन प्रतिबन्धों के लिये अब हमारी यूनिवर्सिटीज का वातावरण वैसा नहीं रह गया है तब यह प्रतिबन्ध हटा लिए जायं। लेकिन आज जो यह प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं वह इसी लिये लगाये जा रहे हैं कि जिसमें हम अपने अध्यापकों को, अपने विद्यार्थियों को, जो गुट में बंट गये हैं उनको उससे अलग करें। मैं आपसे क्या बताऊं ऐसा मालूम होता है कि जैसे राजनैतिक दलों में बहुत ही दुश्मनी सी है, यह बात मेरे दिमाग में पहले विवादास्पद सी थी, साफ नहीं थी लेकिन यह चीज मैंने कम से कम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कोर्ट में जाकर देखी और आपस में इन अध्यापकों में किस प्रकार का मनमुटाव है, किस प्रकार की दुश्मनी है और किस प्रकार के प्रशानाचार्य के नीचे काम करने वाले अध्यापक उनके मुंह पर उनकी निंदा करते हैं। उसका कारण यही है कि उन्हें एक दल का समर्थन प्राप्त है इसलिये वे जानते हैं कि उनका कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिये ये जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं वे इसी अभिप्राय से लगाये गये हैं, मन में न होते हुए भी उनको हम लगा रहे हैं। यह मेरे लिये और विश्वविद्यालयों के लिये गौरव की बात होगी कि कोई प्रतिबन्ध न लगाये जायं। जैसा मैंने बताया कि यह संशोधन केवल इस अभिप्राय से रखा गया है और उसकी मुखालिफत केवल इस वजह से नहीं होनी चाहिये कि विश्वविद्यालयों में ऐसे प्रतिबन्ध न लगाये जायें। जिन विश्वविद्यालयों में ऐसे प्रतिबन्ध नहीं हैं वे विश्वविद्यालय भी उच्चकोटि के हैं। अभी हमारे एक मित्र ने एक पेम्फलेट भेजा।

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इंगलैन्ड में उन्होंने विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से पूछा कि क्या आप यहां परीक्षक होने के लिये कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा कि आप किस बात को कह रहे हैं ? परीक्षक होने की हमसे सिफारिश की जाती है लेकिन हम लोग उसको मन्जूर नहीं करते हैं लेकिन यहाँ आपको परीक्षक होने की क्या बात बताऊं और क्या स्कुटिनी की बात बताऊं। हमारे सामने जो इस विषय में केसेज आते हैं उनके कारण ऐसी स्थिति हो गयी है कि इन प्रतिबन्धों को लगाने की आवश्यकता पड़ी। केवल थोड़े से ऐसे लोग वहां होंगे जो विश्वविद्यालयों में इस बात की कोशिश करते होंगे कि विश्वविद्यालयों का काम सुचारुरूप से हो, विद्यार्थियों को अपने नजदीक रखकर अपने गुणों से प्रभावित करें । विश्वविद्यालयों में क्या होता है । वहां पर विद्यार्थी और अध्यापक रहते हैं जिनमें ज्ञान का आदान-प्रदान होता है उनके पास जो संचित किया है वह उसे विद्यार्थियों को देते हैं, वे विद्यार्थियों में उत्सुकता पैदा करते हैं कि वह विद्या प्राप्त करें। अगर यही आदान-प्रदान नहीं होता और शिक्षक अपना विद्या देना अपना एक मामूली रुटीन का काम समझ लेता है तो उन्हें विश्वविद्यालय कहना निरर्थक होगा तब तो उसका जीवन केवल ईंट और चूने से बनी हुयी इमारतों को ही कहा जायगा। उसी की पूर्ति के लिए हम इसके द्वारा प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सब चीजें कानून के द्वारा हो जायंगी लेकिन ऐसा करना कोई बेजा बात भी नहीं है क्योंकि इन विश्वविद्यालयों में जो दिया जाता है वह प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति का धन है। हम जो बजट में से इनके ऊपर १०, २०,३० लाख रुपया खर्च करते हैं वह असंख्य लोगों का धन है। उन लोगों का विश्वविद्यालय से एक प्रकार सीधा सम्बन्ध भी है इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारे और आपके असंख्य लोगों के बच्चे इनमें नहीं भी पढ़ते हैं उनका भी धन इन विश्व-विद्यालयों के चलाने में लगाया जाता है। अतः हमें देखना यह है कि क्या यह विश्वविद्यालय उन तमाम लोगों की आशा की पूर्ति करते हैं या नहीं। इसी को दृष्टि में रख कर ये प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। वाइस-चांसलर को तथा चांसलर को इसके द्वारा कुछ अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। एक हमने पहले तो जरूर चाहा था कि इस विधेयक में कुछ प्रतिबन्ध वैसी बात न हो। विश्वविद्यालयों में स्टेच्यूट आर्डिनेंसेज आदि ऐसी ऐसी बड़ी संज्ञायें हैं जो बड़ी मुश्किल से वैसे समझ में आती हैं। कहीं कुछ नाम है, कहीं कुछ नाम है। तो मैंने यह सोचा था कि स्टेच्यूट में ये चीजें रख दी जायं क्योंकि विधेयक से जब यह अधिनियम हो जायगा तो इसमें परिवर्तन बिना व्यवस्थापिका सभा की राय के नहीं होंगे। स्टेच्यूट जो हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है लेकिन सेलेक्ट कमेटी ने एक्जीक्यूटिव दृष्टि से यह भी रखा है। आया यह चीज अपने स्थान पर महत्व की है लेकिन हमने इस दृष्टि से भी सोचा कि अगर हमारे विश्वविद्यालय उस स्तर पर पहुंच जायं कि ऐसे प्रतिबन्ध की आवश्यकता न हो तो इसको आसानी से हटाया जा सकता है। इस कारण जो चीजें हमने स्टेच्यूट में रखी हैं पहले इस बिल में नहीं रखी थीं लेकिन सेलेक्ट कमेटी ने इनको रखा और वह आपके सामने प्रस्तुत है।

तो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए एक दफा मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस विधेयक पर विचार उसी पृष्ठभूमि में करें जो हमने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। मेरा कोई अभिप्राय इस विश्वविद्यालय के विकास को रोकने का नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय का निरन्तर विकास होता रहे लेकिन उन कारणों और उन अभिप्रायों से इसका विकास वांछित है जिसके लिये इसकी स्थापना की गयी है और अगर यही चीज इसमें से निकल गयी तो यह वैसे ही होगा जैसे शरीर में से जान निकल जाने पर शरीर की हालत होती है। फिर ऐसे विश्वविद्यालय की यहां कोई आवश्यकता ही नहीं रह जायगी। वे तो कहने भर के लिये विश्वविद्यालय रह जायेंगे। यहां पर ऐसे विश्वविद्यालय होने चाहिये कि जैसे कि स्वतंत्र देश के विश्वविद्यालय होते हैं। जैसे कैम्ब्रिज और आक्सफोर्ड के विश्वविद्यालय हैं, जहां वाइस-चांसलर के लिये कोई झगड़ा नहीं, जहां रुटीन से कोई प्रोफेसर ही आगे चल कर वाइस-चांसलर हो जाता है। लेकिन यहां क्या नहीं होता ? मैं समझता हूं कि शायद हम और आप जो कि एलेक्शन के कीड़े हैं, हम उस स्तर पर शायद नहीं उतर सकते जिस स्तर पर कि इन विश्वविद्यालयों के एलेक्शन

में लोग उतरते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने उन बाडीज की संख्या को बहुत कम किया है। मेरा ख्याल है कि इलाहाबाद कोर्ट में जहां पहले १८५ या १९० आदमी रहते थे, वैसे तो हम सभी में कम रखना चाहते थे लेकिन खैर, १२५ तक वह लाया गया है। इसी तरह से एकेडेमिक कौंसिल में ८२ की जगह पर ५० आदमियों को रखा गया है। एकेडेमिक कौंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनायी है जो एकेडेमिक बातों पर बहस करेगी, उसे मंजूर करेगी और निर्णय भी करेगी। तो इस प्रकार से निर्वाचन की प्रथा को कम से कम और सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट से हो और उसकी भी संख्या कम की गयी है। तो बहुत ही जद्दोजहद के अन्दर सेलेक्ट कमेटी में कुछ परिवर्तन किया गया है और जो विधेयक के मूल अंग या अंश थे उनको हमने आपके सामने रखा है। हम आशा करते हैं कि आप इसको जल्द से जल्द पारित कर देंगे, जिससे यह हमारे प्रांत का कानून बन जाय।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने एक संशोधन दिया है। या तो संशोधन पर संशोधन लिए जायं या पहला संशोधन.....

श्री उपाध्यक्ष---उसके बारे में अभी मुझे कुछ कहना है।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पुनः एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय।

हमारे माननीय सदस्यों को आश्चर्य होगा और विशेषकर माननीय मंत्री जी को कि इतने समय के बाद और इतने डेलिबरेशन्स के बाद प्रवर समिति में विचारार्थ रहने के बाद भी और इतना हो चुकने के बाद भी एक सज्जन ऐसे हैं कि इसको पुनः दूसरी प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं। लेकिन मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (संशोधन) बिल को लाते समय जैसा कि मंत्री जी ने कहा, बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बड़े ट्रेडीशंस रखती है और इस की ख्याति हमारे देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी फैली हुई है। मैं आप की आज्ञा से कुछ उसका इतिहास जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सन् १८८७ में वहां के प्रथम चांसलर सर अलफ्रेड लायल ने आशा प्रकट की थी कि हम उस दिन को देखते हैं जब यह विश्वविद्यालय एक महान विश्वविद्यालय होगा, ज्ञान का महान् केन्द्र होगा और यह एक यूनिटरी रेजीडेंशियल और टीचिंग यूनिवर्सिटी होगी और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया उसका पुनर्गठन १९२१ में किया गया और उस वक्त के वहां के चांसलर हारकोर्ट बटलर ने पुनःसंगठन के लिये एक कांफ्रेंस बुलायी थी और हमारे सूबे के बहुत ही प्रतिष्ठित एजूकेशनिस्ट्स उस म बुलाये गये थे जिसमें पं० हृदय नाथ कुंजरू, सर तेज बहादुर सप्रू, इकबाल नारायण गुरटू तथा सी० वाई० चिन्तामणि भी थे और उस कांफ्रेंस में यह निश्चित हुआ था कि यहां यूनिटरी केरेक्टर को मेन्टेन किया जाय। इसको उस तरफ बढ़ाने के लिये यूनिटरी केरेक्टर को मेन्टेन करने के लिये और उसी के अनुसार सन् २१ में हमारे यहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक पारित हुआ था। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अधिक प्रकाश तो यूनिटरी केरेक्टर के बारे में नहीं डाला लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उसके इस रूप को रखने के लिये जैसी कि प्रवर समिति के बहुत से सदस्यों की राय थी, मैंने यह प्रीएम्बिल में रखना स्वीकार किया कि उसको रखा जाय। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर प्रवर समिति के सदस्यों के कहने से केवल इतनी सी बात क्यों और कैसे उन्होंने मान ली? मैं समझता हूं कि किसी भी जगह हम कोई चीज तो दूसरी रखें और अन्य जगह बिलकुल विपरीत। इसी बिल में कुछ धारायें तो विपरीत रखें लेकिन साइनबोर्ड दूसरा रखें तो क्या मैं यह नहीं कह सकता कि माननीय मंत्री जी ने इस तरह का साइन बोर्ड रखने की इजाजत दे दी जिस तरह से कि कोई शुद्ध घी का साइन बोर्ड लगाये हो और दुकान के भीतर डालडे का पकवान और मिठाई रखता हो और बेचता हो। इसलिये मैं नहीं समझ सका कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनको बोल्ड होना

[श्री तेजप्रताप सिंह]

चाहिये था और कहना चाहिये था कि हम यूनिटरी केरेक्टर को न रख कर रेजीडेंशियल टीचिंग केरेक्टर को रखना चाहते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारी जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप हम इलाहाबाद युनिवर्सिटी में भी रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें बोल्डली कहना चाहिये था और वह ठीक ही होता यदि विचार ऐसा है कि यूनिटरी केरेक्टर का रूप ठीक नहीं है और उससे हमारे यहां काम चलने वाला नहीं है आज की परिस्थिति को देखते हुए तो ठीक था और उसको मंत्री जी रख सकते थे। लेकिन यह ठीक नहीं है कि आप थोड़ा सा संतुष्ट हो कर कहें कि हम इसकी प्रीएम्बिल में रखे देते हैं। इस प्रकार से दूसरों को थोड़ा सा संतुष्ट करना और भीतर कुछ धारायें ऐसी रखना जिससे संतोष न हो उनको जो यूनिटरी करेक्टर रखने के पक्ष में हैं तो मेरी समझ में मंत्री जी यह बात नहीं जंचती है।

दूसरे यूनीटरी करेक्टर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने विशेष प्रकाश नहीं डाला आखिर यूनिवर्सिटी कमीशन जो बैठा था इसमें बहुतों का मत और ज्यादातर मत यह था कि यूनिटरी कैरेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ा है। जहां तक मैंने कमीशन की रिपोर्ट देखी है तो मुझे कहीं नहीं मिला कि यूनीटरी करेक्टर की कोई यूनिवर्सिटी खराब हो। हां, यह हो सकता है कि हमारे देश की परिस्थिति ऐसी है कि हमारे यहां कालेजेज की तादाद बढ़ती जा रही है और यूनिटरी करेक्टर रखने से हमारा काम नहीं चल सकता है। ऐसे कुछ लोग कह सकते हैं और ऐसी परिस्थिति है। लेकिन जहां तक यह सवाल है हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी भी हैं और इनको इसीलिये बनाया गया था कि इन परिस्थितियों को कोप कर सकें कि ऐसे कालेजेज को हम आगरा यूनिवर्सिटी में एफीलियेट कर दें और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूनिटरी करेक्टर को मेन्टेन करें जिससे हमारी शिक्षा का स्तर कायम रहे और दूसरे इन कालेजेज का भी काम चल सके। मैं नहीं समझ सका कि आखिर मंत्री जी ने एसोसियेटेड कालेजेज को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एफीलियेट करने की बात कैसे स्वीकार की। क्या मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि यह जो कालेजेज हैं क्या इनको आगरा यूनिवर्सिटी में मान्यता नहीं दी जा सकती है? ऐसा प्राविजन है कि हम आगरा यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट में है कि दस मील के अन्दर नहीं हो सकता है।

श्री तेजप्रताप सिंह—आप जो संशोधन लाये थे उसमें शायद हो सकता था।

श्री हरगोविन्द सिंह—लोगों की राय से।

श्री तेज प्रताप सिंह—राय तो देने के लिये लोग तैयार हो ही जायेंगे। दूसरे कुछ लोगों का ऐसा मत है कि इस तरीके से आगरा यूनिवर्सिटी में इन कालेजेज को एफीलियेट करने से बड़ी होगा जैसे Like introducing a red fish in the stomach यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन राधा कृष्णन कमीशन का मत यह है कि वह अपनी यूनिवर्सिटीज को डिफरेंट करेक्टर का रख सकते हैं और जो यूनिवर्सिटी यूनिटरी कैरेक्टर की हैं उनमें उसी प्रकार से रखें और एफीलियेटेड यूनिवर्सिटीज भी कायम रहें। डिफरेंट कन्डीशंस को देखते हुए डिफरेंस करेक्टर की यूनिवर्सिटी होना जरूरी है और सभी परपज सर्व करती हैं। एफीलियेटेड करेक्टर की यूनिवर्सिटीज के लिये मुझे कहना है कि जहां हम अपनी शिक्षा कर स्तर बढ़ाना चाहते हैं वहां घटाना नहीं चाहते हैं कि वह इतना खराब हो जाय कि हमारा काम ही न चल सके। मैं समझता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के करेक्टर को कायम रखा जाय। जिन भावनाओं से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूनिटरी करेक्टर आरम्भ हुआ था और उसके जो रिजल्ट्स निकले और जो प्रोग्रेसी की उसको देखते हुए उसी करेक्टर को हमें मेन्टेन करना चाहिये।

मैं इसके प्रोग्रेस की तरफ थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं जो हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कुछ वर्षों में प्रोग्रेस की है। आप इससे तो सहमत होंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये आफीशियल्स व अन्य डिपार्टमेंट के लिये ऐसे लोग दिये हैं कि जिन पर हम आसानी से गर्व कर सकते हैं। यह निश्चित है और पब्लिक लाइफ में भी इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में कि उनके ऊपर हमें गौरव हो सकता है। जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ऐसे लोग निकले हैं तो देखना चाहिये कि आखिर इस यूनिवर्सिटी से ऐसे लोग क्यों निकले हैं और निकल रहे हैं। दूसरे हमारे शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि इसी यूनिवर्सिटी से हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये योग्य व्यक्ति मिले हैं और हमारी पब्लिक लाइफ में भी पब्लिक लीडर्स भी मिले हैं। वहां ऐसी मिसाल है साथ ही साथ वहां (यूनिवर्सिटी) जो सबसे बड़ी चीज देखनी चाहिये वह यह है कि वहां की खोज और वहां की रिसर्च में भी कुछ वृद्धि हुई है या नहीं तो इससे भी कोई इन्कार नहीं कर सकता। वहां की थीसिसें केवल हमारे देश के अन्दर ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उन्हें मान्यता दी गयी है। रिसर्चेज बढ़ी हैं। इस प्रकार से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो प्रोग्रेस की है और उसका जो रेकार्ड ह उसको सभी मानेंगे। तो इसका कारण आखिर है क्या? मैं फिर कहना चाहता हूं कि इसका कारण उसका वह रूप और केरेक्टर है जिसे यूनीटरी कहते हैं और इसलिये हमें जल्दबाजी में या किसी अन्य कारण से उसको बदलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। हमें बड़ी गम्भीरता से, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिना दलबन्दी के इस शिक्षा के मामले पर गौर करना चाहिये, यह सही है। इसमें दलबन्दी की बात नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के कल्चर का प्रश्न है मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को इस बात का ध्यान है कि जहां हमारी उच्च शिक्षा का प्रश्न आता है हम सब गम्भीरता से उस पर विचार करना चाहते हैं। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये और खास तौर से इसी लिये मैंने जो यह संशोधन दिया है कि इसको फिर सिलेक्ट कमेटी को रिफर कर दिया जाय, रिकमिट कर दिया जाय, वह इसी लिये है कि देर हो, लेकिन अंधेर न हो। सर सी०वाई०चिंतामणि ने कहा था, १९२१ में, इसको इन्ट्रोड्यूस करते हुए कि मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूं, मैं जानना चाहूंगा कि इन्सट्रक्टेड ओपीनियन क्या कहती है और चाहता हूं कि विचार-विनिमय हो। तब किसी नतीजे पर पहुंच कर हम विधेयक लाना चाहते हैं, उसमें हम तरमीम कर सकते हैं। उन्होंने जब सिलेक्ट कमेटी में रिफर किया था तो स्वयं कहा था कि हम इसमें पूरी तरह से हर पक्ष को मौका देना चाहते हैं कि इस पर पूरी तरह विचार करे और इसमें जो संशोधन उचित हों उनको स्वीकार करें। तो कोई जल्दी की बात नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी को इसकी निस्बत कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिये कि यह फिर से सिलेक्ट कमेटी को क्यों रेफर करना चाहते हैं।

माननीय मंत्री जी ने जो यह बात रखी है कि हमारे इस संशोधन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी तो उन्होंने कारण बतलाया कि वहां इतने ग्रुप्स हैं, गुटबंदियां हैं जिनके कारण हम उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। तो मूथम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार १९५० में जबकि गिरानी देश में बढ़ी, प्राइसेज का लेविल ऊंचा हुआ, उस समय यह प्रश्न उठा कि क्या वहां के टीचर्स को मिनिस्टीरियल स्टाफ को भी डी०ए० दिया जाय? उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायं। वह प्रोपेजल यहां गवर्नमेंट में उन्होंने भेजा लेकिन यहां मैं समझता हूं कि वहां के अधिकारियों ने बहुत उचित ही किया जो उनको डी०ए० देना मंजूर किया और दिया।

श्री हरगोविंद सिंह---कर्जा लेकर बढ़ा दिया।

श्री तेज प्रताप सिंह---वह कुछ भी हो। यह तो गवर्नमेंट के देखने की बात थी; लेकिन स्टाफ को भूखा नहीं रखा जा सकता। प्राइसेज का लेविल ऊंचा हो और यहां से रेफ्यूज कर दिया जाय और फिर वह बढ़ा न सकें और फिर यह बात कही जाय कि आपकी शिक्षा का

[श्री तेज प्रताप सिंह]

स्तर गिर रहा है, तो किसी को भूखा रख कर हम यह आशा करें कि वह ठीक काम करे यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंने ठीक ही किया जो उनकी तनख्वाहें बढ़ायीं। आपकी इजाजत से मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उसका deficit खास कारण यही था कि उन्होंने वहां की स्थिति देखते हुए डी० एज० दिये, यूनिवर्सिटी में विस्तार हुआ और उसके साथ-साथ उसका खर्चा भी बढ़ा।

श्री उपाध्यक्ष—अब ५ बज चुका है। आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२७ सितम्बर, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर।)

प्रश्न संख्या ६ से संलग्न सूची।

पट्टी का नाम	गांव का नाम	गांव को रुपये में कितनी हानि हुई
मल्ली रो	देगोली	१६ आना।
"	कफरोली	१६ "
"	बगड़	१६ "
"	मेढ़।	१६ "
"	तल्ला कांडा	१६ "
"	पजौला	६ "
जोगड़	मरगौन मल्ला	१६ "
"	गरग्रही मल्ली	१६ "
"	केराला	६ से १६ आना
"	चमोली	१० आना
"	सलोर	१० "
"	गरग्रही तल्ली	१६ "
"	काला आगर	६ से १६ आना

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर।)

उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें टनकपुर मण्डी के इर्द-गिर्द जंगलात खारिज करके कृषि के लिये जमीन दी गयी।

क्रम-संख्या	नाम पाने वाले का	जमीन बीघों में
१	श्री हयात सिंह	३०
२	श्री नारायण सिंह	३०
३	श्री राजेन्द्र सिंह	३०
४	श्री भवानी दत्त पांडे	३०
५	श्री नत्थू सिंह	३०
६	श्री फकीर सिंह	३०
७	श्री गोपाल सिंह	३०
८	श्री गोपाल सिंह	३०
९	श्री प्रीतम सिंह	३०
१०	श्री उत्तम सिंह	३०
११	श्री मनीचन्द	३०
१२	श्री इन्द्रसिंह	३०
१३	श्री हयात सिंह	३०
१४	श्री राजेन्द्र सिंह	३०
१५	श्री खड़क सिंह	३०
१६	श्री पुरुषोत्तम	३०
१७	श्री गोपालदत्त	३०
१८	श्री जिवानन्द	३०
१९	श्री बन्शीधर	३०
२०	श्री हुकुम सिंह	३०
२१	श्री शेर बहादुर	३०
२२	श्री जीवानन्द	३०
२३	श्री गंगादत्त	३०
२४	श्री रामदत्त	३०
२५	श्री लक्ष्मी दत्त	३०
२६	श्री किशन चन्द	३०
२७	श्री गुमानी चन्द	३०
२८	श्री तरादत्त	३०
२९	श्री रेवाधर	३०
३०	श्री जीवानन्द	३०
३१	श्री मनी चन्द	३०
३२	श्री अमर चन्द	३०
३३	श्री श्रीचन्द	३०
३४	श्री लाली चन्द	३०
३५	श्री जैचन्द	३०
३६	श्री प्रेम वल्लभ	३०
३७	श्री गुमानी चन्द	३०
३८	श्री लक्ष्मी चन्द	३०
३९	श्री खड़क सिंह	३०
४०	श्री फकीर चन्द	३०
४१	श्री रामस्वरूप	३०
४२	श्री दौलत चन्द	३०
४३	श्री प्रेम चन्द	३०
४४	श्री रेवाधर	३०
४५	श्री जवाहर सिंह	३०
४६	श्री वीर सिंह	३०
४७	श्री मूलचन्द	३०
४८	वापस ले लिया गया	...
४९	श्री श्याम सिंह	३०
५०	श्री हरी सिंह	३०
५१	श्री हुकुम सिंह	३०
५२	श्री भूपाल सिंह	३०
५३	श्री हीरा सिंह	३०
५४	श्री चतुर सिंह	३०
५५	श्री भोला सिंह	३०
५६	श्री देव सिंह	३०
५७	श्री जगत सिंह	३०
५८	श्री करणध्वज	३०
५९	श्री अगनध्वज	३०
६०	श्री लक्ष्मी दत्त	३०
६१	श्री चतर सिंह	३०
६२	श्री हरी दत्त	३०
६३	श्री बकलिन	३०
६४	श्री राम दत्त	३०
६५	श्री परमानन्द	३०
६६	श्री गेंगा सिंह	३०
६७	श्री गंगा सिंह	३०
६८	श्री वजीर सिंह	३०
६९	श्री गवर सिंह	३०
७०	श्री उबल सिंह	३०
७१	श्री खुशाल सिंह	३०
७२	श्री पुशकर सिंह	३०

क्रम सं०	नाम पाने वाले का	जमीन बीघों में	क्रम सं०	नाम पाने वाले का	जमीन बीघों में
७३	श्री चतर सिंह	३०	११४	श्री बद्री दत्त	३०
७४	श्री विक्रम सिंह	३०	११५	श्री के०सी० चन्द	३०
७५	श्री बीर चन्द	३०	११६	श्री सोबन सिंह	३०
७६	श्री दीवान सिंह	३०	११७	श्री पूरन चन्द	३०
७७	श्री गुमानी सिंह	३०	११८	श्री बक्शीचन्द	३०
७८	श्री नैनीचन्द	३०	११९	श्री बहादुर सिंह	३०
७९	श्री श्रीचन्द	३०	१२०	श्री राम दत्त	३०
८०	श्री दीवान सिंह	३०	१२१	श्री कोका खान	३०
८१	श्री दलीप चन्द	३०	१२२	श्री राम दत्त	३०
८२	श्री बीरन चन्द	३०	१२३	श्री जैचन्द	२०
८३	श्री रामी चन्द	३०	१२४	श्री लीलाधर	३०
८४	श्री लीलाधर	३०	१२५	श्री जगतनारायण	३०
८५	श्री श्याम बिहारी	१५	१२६	श्री महेन्द्र सिंह	३०
८६	श्री किशन चन्द	३०	१२७	श्री दत्त राम	३०
८७	श्री हरी राज सिंह	३०	१२८	श्री वजीर चन्द	३०
८८	श्री आन सिंह	३०	१२९	श्री जगन्नाथ सिंह	३०
८९	श्री श्याम बिहारी सिंह	३०	१३०	श्री जगन्नाथ सिंह	३०
९०	श्री राजा राम	३०	१३१	श्री पूरन चन्द	३०
९१	श्री पूरनचन्द	३०	१३२	श्री गाजी सिंह	३०
९२	श्री देवीदत्त	३०	१३३	श्री पदम सिंह	३०
९३	श्री किशन बिहारी	३०	१३४	श्री केदार दत्त	३०
९४	श्री रघुवर दयाल	३०	१३५	श्री प्रयाग दत्त	३०
९५	श्री मितल लाल	३०	१३६	श्री प्रयाग दत्त	३०
९६	श्री जीवानन्द	३०	१३७	श्री जय बहादुर चन्द	३०
९७	श्री बी०बी०राव	३०	१३८	,,	३०
९८	श्री रामी चन्द	३०	१३९	,,	३०
९९	श्री जीत सिंह	३०	१४०	,,	३०
१००	श्री चमन लाल	३०	१४१	,,	३०
१०१	श्री राम सरन	३०	१४२	श्री बद्री सिंह	३०
१०२	श्री सुन्दर दास	३०	१४३	श्री अमरननाथ सिंह	३०
१०३	श्री भालो चन्द	३०	१४४	श्री मोती राम	३०
१०४	श्री हीरा वल्लभ	३०	१४५	श्री बद्री दत्त	३०
१०५	श्री रमेश चन्द्र	३०	१४६	श्री परमानन्द	३०
१०६	श्री जीतिश चन्द	३०	१४७	श्री मनीहर गोठ	३०
१०७	श्री किशन चन्द	३०	१४८	श्री मनीहर गोठ	३०
१०८	श्री शांति स्वरूप	३०	१४९	श्री जे० बी० यस० चन्द	३०
१०९	श्री फयाज बेग	३०	१५०	श्री जे० बी० यस० चन्द	३०
११०	श्री आर०डी०उपरेती	३०	१५१	श्री जे० बी० यस० चन्द	
१११	श्री मोती राम	३०	१५२	श्री जे०बी०यस०चन्द	
११२	श्री शिवदत्त	३०	१५३	श्री के०यस० चन्द	
११३	श्री केशव दत्त	३०	१५४	श्री के०यस०चन्द	

क्रम सं०	नाम पाने वाले का	जमीन बीघों में	क्रम सं०	नाम पाने वाले का	जमीन बीघों में
१५५	श्री के०यस०चन्द	३०	१७८	श्री किशन सिंह चन्द	३०
१५६	श्री के०यस०चन्द	३०	१७९	श्री किशन सिंह चन्द	३०
१५७	श्री के०यस०चन्द	३०	१८०	श्री किशन सिंह चन्द	३०
१५८	बगदौड़ा खास और बिचई बगदौड़ाहंशी	३०	१८१	भगदौड़ा खास	३०
			१८२	,,	३०
१५९	बगदौड़ा खास और बगदौड़ा हंशी	३०	१८३	,,	३०
१६०	श्री केदार दत्त	३०	१८४	,,	३०
१६१	श्री देव सिंह	३०	१८५	,,	३०
१६२	श्री नंनसिंह	३०	१८६	,,	३०
१६३	श्री गोपाल सिंह	३०	१८७	श्री उदय सिंह	३०
१६४	श्री हरी सरन सिंह	३०	१८८	श्री रामदत्त	३०
१६५	श्री हरी सरन सिंह	३०	१८९	श्री चतर सिंह	३०
१६६	श्री मनोहर गोठ	३०	१९०	श्री भवानी दत्त	३०
१६७	,,	३०	१९१	श्री दीवान सिंह	३०
१६८	श्री आन सिंह	३०	१९२	श्री जंग बहादुर	३०
१६९	श्री आन सिंह	३०	१९३	श्री कृष्णा नन्द	३०
१७०	श्री आन सिंह	३०	१९४	श्री मोहन सिंह चन्द	३०
१७१	श्री रेवा धर	३०	१९५	श्री त्रिलोक चन्द	३०
१७२	श्री रेवा धर	३०	१९६	श्री केवला नन्द	३०
१७३	श्री भागीरथ	३०	१९७	श्री कृष्णा नन्द	३०
१७४	श्री भागीरथ	३०	१९८	श्री शेरसिंह बुम्ब	३०
१७५	श्री जोगा सिंह	३०	१९९	श्री शेरसिंह बुम्ब	३०
१७६	श्री चिरंजीलाल	३०	२००	श्री किशन सिंह मेहरा	३०
१७७	श्री किशन सिंह चन्द	३०	२०१	श्री चतर सिंह	७१

उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें टनकपुर के इर्द-गिर्द जंगलात खारिज कर के दुकानों के लिये जमीन दी गई।

क्रम-संख्या	नाम	कितनी जमीन दी गई (वर्ग फुटों में)	क्रम-सं०	नाम	कितनी जमीन दी गई (वर्ग फुटों में)
१	श्री आनन्द स्वरूप ..	६०×२०	३९	श्री नत्थू सिंह ..	६०×२०
२	श्री भवानी दत्त ..	"	४०	श्री लीलाधर ..	"
३	श्री भवानी दत्त ..	"	४१	श्री लीलाधर ..	"
४	श्री आन सिंह ..	"	४२	श्री नारायणदत्त और श्री हरीशचन्द्र ..	६०×४०
५	" ..	"	४३	श्री लक्ष्मी सिंह ..	६०×२०
६	" ..	"	४४	श्री श्याम लाल ..	६०×४०
७	श्री रेवाधार ..	"	४५	श्री शेर सिंह ..	६०×२०
८	" ..	"	४६	श्री गोपाल सिंह ..	"
९	" ..	"	४७	श्री पारस राम ..	६०×४०
१०	श्री भगवत सिंह ..	"	४८	पी० डब्लू०डी० ..	"
११	श्री नारायण दत्त ..	"	४९	श्री प्रेम सिंह ..	६०×२०
१२	श्री धरमानन्द ..	"	५०	श्री श्याम लाल ..	"
१३	श्री बाबू राम ..	"	५१	श्री गनश दत्त ..	"
१४	पी० डब्लू० डी० ..	"	५२	श्री गिरधर दत्त ..	"
१५	" ..	"	५३	श्री इन्द्र देव ..	"
१६	श्री हरी दत्त ..	६०×३०	५४	" ..	"
१७	पी० डब्लू० डी० ..	६०×४०	५५	श्री मथुरा दत्त ..	६०×४०
१८	श्री नथलाल शाह ..	६०×२०	५६	श्री लाल सिंह ..	६०×२०
१९	श्री रामजीत सिंह ..	"	५७	श्री बैराग सिंह ..	"
२०	श्री रघुवीर दत्त ..	"	५८	श्री धरम सिंह ..	"
२१	श्री बेनी राम रेवाधार	"	५९	श्री अम्बा दत्त ..	"
२२	श्री रेवा धर ..	"	६०	श्री मोती राम ..	"
२३	श्री पुरुषोत्तम ..	"	६१	श्री भवानी दत्त ..	"
२४	श्री श्याम सुन्दर ..	"	६२	श्री प्रेम वल्लभ ..	"
२५	श्री नारायण दास ..	"	६३	श्री भगवत चरन ..	"
२६	श्री कृपाल सिंह ..	"	६४	श्री चन्डी प्रसाद ..	६०×४०
२७	श्री कन्हैया लाल ..	"	६५	श्री गंगी लाल ..	"
२८	श्री रुद्र सिंह ..	"	६६	श्री खुशाल सिंह ..	"
२९	श्री जोधा सिंह ..	"	६७	श्री मोहम्मद अब्बास	"
३०	श्री शेर सिंह ..	"	६८	श्री किशन चन्द पुनेठा	"
३१	श्री हयात सिंह ..	"	६९	श्री उदय सिंह और श्री दानसिंह..	
३२	श्री धरमानन्द ..	६०×४०	७०	श्री निहाल सिंह	"
३३	श्री खाम सिंह ..	६०×२०	७१	श्री जगत नारायण ..	६०×२०
३४	श्री भगवत सरन ..	"	७२	श्री आनन्द स्वरूप "	"
३५	श्री धर्मपाल सिंह ..	६०×४०	७३	श्री कुलोमेन ..	६०×४०
३६	श्री रेवाधर ..	"	७४	श्री गनेश दत्त ..	६०×२०
३७	श्री पुरुषोत्तम ..	"	७५	श्री उमाकान्त ..	६०×२०
३८	श्री घनश्याम ..	६०×२०			

क्रम-संख्या	नाम	जमीन कितनी दी गई (वर्ग फुटों में)
७६	श्री हर दयाल वर्मा	६०×४०
७७	श्री दीवान सिंह	६०×२०
७८	श्री गोविंद वल्लभ	,,
७९	श्री चूड़ा मणि	६०×४०
८०	श्री हरी दत्त	,,
८१	श्री धरमा नन्द	६०×२००
८२	श्री रघुबर दत्त	,,
८३	श्री लक्ष्मी नारायण	६०×४०
८४	श्री मथुरा प्रसाद	६०×२०
८५	श्री कुलमणी	,,
८६	श्री गंगा दत्त	६०×४०
८७	श्री जै नन्द	,,
८८	श्री पहलाद सिंह	६०×२०
८९	श्री खड़क सिंह	,,
९०	श्री मंस राम	,,
९१	श्री मंस राम	,,
९२	श्री बच्ची राम	,,
९३	श्री उमा राम	,,
९४	श्री प्रेम राम	,,
९५	श्री दौलत राम	,,
९६	श्री किशन राम	,,
९७	श्री मूली राम	,,
९८	श्री गंगा राम	,,
९९	श्री करम सिंह	,,
१००	श्री धानी राम	,,
१०१	श्री गंगा राम	,,
१०२	श्री चतुर सिंह	,,
१०३	श्री चतुर सिंह	,,
१०४	श्री जगन्नाथ	६०×४०
१०५	श्री बद्री दत्त जोशी	,,
१०६	श्री बिक्कर सिंह	,,
१०७	श्री शेर सिंह	,,

क्रम-सं०	नाम	जमीन कितनी दी गई (वर्ग फुटों में)
१०८	श्री दिकर सिंह ..	६०×२०
१०९	श्री धरमा नन्द ..	,,
११०	श्री भोला दास ..	६०×४०
१११	श्री राम दत्त ..	६०×२०
११२	श्री चिन्ता मणि ..	,,
११३	श्री किशन सिंह ..	,,
११४	श्री राम लाल ..	,,
११५	श्री हरी दत्त ..	,,
११६	श्री केशर सिंह ..	,,
११७	श्री बैरागी सिंह ..	,,
११८	श्री शंकर सिंह ..	,,
११९	श्री जै दास ..	६०×४०
१२०	श्री शिव दत्त ..	,,
१२१	श्री श्याम सुन्दर ..	,,
१२२	श्री जोध सिंह ..	,,
१२३	श्री फतेह सिंह ..	६०×२०
१२४	श्री भीम सिंह ..	,,
१२५	श्री घनश्याम ..	६०×४०
१२६	श्री बेनी राम ..	,,
१२७	श्री इन्द्र सिंह ..	६०×२०
१२८	श्री इन्द्रसिंह ..	,,
१२९	श्री जगत नारायण	,,
१३०	श्री जगदीश नारायण	..
१३१	श्री घनश्याम ..	६०×४०
१३२	श्री प्रेम सिंह ..	६०×२०
१३३	श्री जगत सिंह ..	,,
१३४	श्री श्रीराम ..	६०×४०
१३५	श्री कुन्दन सिंह ..	,,
१३६	श्री श्याम लाल ..	६०×२०
१३७	श्री उदय सिंह ..	,,
१३८	श्री लक्ष्मी दत्त ..	६०×०४
१३९	श्री बच्ची राम ..	,,

उन व्यक्तियों की सूची, जिन्हें टनकपुर के इर्द-गिर्द जंगलात खारिज करके मकानों के लिये जमीन दी गई।

क्रम सं०	नाम	जमीन कितनी दी गई (वर्ग फुटों में)	क्रम सं०	नाम	जमीन कितनी दी गई (वर्ग फुटों में)
१	श्री डी० डी० पुनेठा ..	१००×५०	२७	श्री अब्दुल रहीम ..	६०×२०
२	श्री डी० एन० पुनेठा ..	,,	२८	श्री मुहम्मदयाकूब ..	,,
३	श्री सी० एन० पुनेठा	,,	२९	श्री हिदायत उल्ला ..	,,
४	श्री जी० यन० पुनेठा	,,	३०	श्री त्रिबानी प्रसाद ..	,,
५	श्री घनश्याम	,,	३१	श्री राजाराम ..	,,
६	श्री रफीहक अहमद ..	६०×४०	३२	श्री रूप चन्द ..	,,
७	श्री मोम्मद इशहाक	,,	३३	श्री लक्ष्मी दत्त ..	,,
८	श्री अब्दुल मजीद ..	,,	३४	श्री प्रेम लाल ..	,,
९	श्री मथुरा दत्त ..	,,	३५	श्री रघुवीर दत्त ..	,,
१०	श्री सनतोक राम ..	,,	३६	श्री अविनाश चन्द्र ..	,,
११	श्री जयदेव ..	,,	३७	श्री पूरना नन्द ..	,,
१२	श्री कृपालत्त ..	,,	३८	श्री काली चरन ..	,,
१३	श्री राजार राम ..	,,	३९	श्री बलवन्त सिंह ..	११०×८५
१४	श्री घासी ..	,,			२
१५	श्री हरी शंकर ..	,,		पेट्रोल पंप ..	२२०×२४०
१६	श्री राम शाही ..	,,			२
१७	श्री मोहन लाल ..	,,	४०	श्री एस० के० चतुर्वेदी	७०×३०
१८	श्री कृष्णानन्द ..	,,	४१	नैनीताल बैंक ..	६०×७०
१९	श्री नार सिंह ..	,,		बाग तथा बंगले के लिये–	६०×१२०
२०	श्री रोशन लाल ..	,,	४२	श्री विद्या रतन धर्मवीर	११०×२७६
२१	श्री लोक मान ..	,,	४३	किशन सिंह चन्द ..	११०×२८४
२२	श्री प्रेम वल्लभ ..	,,	४४	,, ..	११०×२९५
२३	श्री मोहम्मद शिदक्की	६०×२०	४५	,, ..	३५०×१५०
२४	श्री शबीर हुसेन ..	,,	,,		
२५	श्री रजा हुसेन ..	,,			
२६	श्री अब्दुल रशीद ..	,,			

	एकड़
१—योग उस क्षेत्र का जो कि कृषि के लिये दिया गया है ..	९६१
२—योग उस क्षेत्र का जो कि मकानों तथा दुकानों के लिये दिया गया है	३५
कुल योग ..	९९६
बाकी भूमि ..	१०५
पूर्ण योग ..	१,१०१

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१७७ एल० ए०—१९५४—८५० ।

उत्तर प्रदेश विद्यालय सेवा

उत्तर प्रदेश विद्यालय सेवा